खण्ड-258, अंक-7
बुधवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1887
(11 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ११ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९४

अक्षयवरसिंह, श्री
अखडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान , श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब, खां, चौधरी
अमजद अली , श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री,
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह श्री, (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री

मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी,श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पाण्डेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती

शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, श्री रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ११ अगस्त, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रक्षाबंधन की छुट्टी

**१—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रक्षाबन्धन के त्योहार की सार्वजनिक छुट्टी न होकर निर्बन्धित छुट्टी रखी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

रक्षा बंधन के उपलक्ष में १२ अगस्त, १९६५ को निर्बन्धित छुट्टी घोषित की गई है। चूंकि सरकार की नीति सार्वजनिक (Gazetted) छुट्टियों को कम से कम घोषित करने की है अतः प्रत्येक त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना संभव नहीं है।

**२—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकतर प्रदेश से राजकीय कर्मचारी इस महत्वपूर्ण त्योहार के कारण दफ्तरों में उस दिन उपस्थित नहीं होते ? यदि हां, तो क्या सरकार रक्षा बन्धन के इस महत्वपूर्ण दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सरकार के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री विजयसिंह—

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि सरकार की यह नीति है कि सार्वजनिक छुट्टियों को कम से कम घोषित किया जाय लेकिन ११ वीं शरीफ एक नई छुट्टी जोड़ी गयी है जिस दिन कि शिया कालेज भी खुला रहा और रक्षा बंधन को छुट्टी घोषित नहीं किया गया, जिस दिन कि जी० पी० ओ० भी बन्द रहेगा तो सरकार को रक्षा बंधन के दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने में क्या आपत्ति है और ११ वीं शरीफ सार्वजनिक छुट्टी घोषित क्यों की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य को थोड़ी सी गलतफहमी हो गयी है। जो छुट्टी कम करने की बात थी, वह अब भी है और भारत सरकार की यह नीति है और उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश यह नीति अपनावे कि छुटिट्यां कम से कम दी जायं। उसमें २० छुट्टियां तक हैं। इसके अलावा २ छुट्टियां रेस्ट्रिक्टेड हैं और ३ छुट्टियां जिलाधीश के अधीन हैं जिनको वह लोकल छुट्टियां घोषित कर सकता है। वे अलग अलग जिलों में अलग अलग हैं। ११ वीं शरीफ की छुट्टी लोकल हाली डे थी जो लखनऊ के लिये है और और जगहों पर नहीं थी। देहरादून में झंडा फहराने की छुट्टी होती है, कहीं देवी की छुट्टी होती है। तो इस तरह से २० गजटेड हालीडेज हैं। जिस तरह से भारत सरकार की हैं उसी तरह से यहां भी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नाग पंचमी जो २ तारीख को थी वह तो लोकल हालीडे ही नहीं पूरे राष्ट्र की छुट्टी है लेकिन उस दिन सरकारी तमाम कार्यालय तथा हमारा हाउस भी खुला रहा और ११ वीं शरीफ जिसको लोकल हालीडे बतलाया गया है उस दिन अपना हाउस तथा सेक्रेटेरियट भी बन्द रहा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जिलाधीश के डिस्पोजल पर ३ छुट्टियां थीं। एक डिक्लेयर कर दी गयी और दो अन्य कर दी जायंगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं जिलाधीश की बात नहीं कह रहा हूं। हाउस और सेक्रेटेरियट जिलाधीश के मातहत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि ११ वीं शरीफ जो लोकल हालीडे थी उस दिन यह सेक्रेटेरियट और यह हाउस जो जिलाधीश के मातहत नहीं है बन्द रहा और नाग पंचमी के दिन खुले रह तो ऐसा क्यों किया गया ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी छुट्टियां हैं जो जिलेवार हुआ करती हैं चूंकि लखनऊ में शियों की बहुत आबादी है इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सलाह की और गवर्नमेन्ट ने मुनासिब समझा कि इसको लखनऊ के लिये छुट्टी मान ली जाय, इसलिये मान ली गयी। नागपंचमी की छुट्टी प्रदेश में क्या सारे देश में हो सकती है। लेकिन वह इन २० छुट्टियों में नहीं आती है। वैसे तो हिन्दुओं के त्योहार बहुत हैं और उनकी मान्यता भी बहुत है। लेकिन केवल २० छुट्टियां ही होती हैं।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार की नीति है कि छुट्टियां कम की जायं। लेकिन रक्षा बंधन का सारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में ऐसा त्योहार है जिससे सब लोगों का संबंध है। यह लड़कियों का त्योहार है और लखनऊ में सारे लड़कियों के स्कूल खुले हुए थे तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की निगाह में यह बात क्यों नहीं आई कि जिस तरह से ग्यारहवीं शरीफ को आफिसेज बन्द किये गये इस दिन भी बन्द किये जाते? इसमें सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक रक्षाबंधन के त्योहार का ताल्लुक है आफिसेज दस बजे खुलते हैं और रक्षाबंधन के त्योहार में कितना समय लगता है। इसमें कौन-सी मुश्किल है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सरकार छुटिट्यां कम करना चाहती है इसलिये यह छुट्टी नहीं की गई तो मैं जानना चाहता हूं कि जितने धर्मावलम्बी प्रदेश में हैं उनकी कौन-कौन छुट्टियां निर्बन्धित की गई हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप यह जानना चाहेंगे कि निर्बन्धित छुटिट्यां कितनी हैं उसके लिये हमारे पास लिस्ट है उसमें से साल में दो छुट्टियां ले सकते है। इसमें यह छुट्टी भी है, पारसाल भी थी और इसके पहले साल भी थी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सार्वजनिक छुट्टियों के निर्णय करने का आधार क्या है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा है कि तीन नेशनल हालीडेज हैं। १६ छुट्टियां और देते हैं और दो बैन्क हालीडेज हैं। इस तरह से २० छुट्टियां होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनको पढ़कर सुना दूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। छुट्टियों के निश्चित करने का आधार क्या है?

श्री राममूर्ति—

यह तो हर त्योहार की गरिमा के ऊपर है। सोचने वाले व्यक्ति बैठकर विचार कर लेते हैं।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन छुट्टियां निर्बन्धित छुट्टी के रूप में की गई हैं?

श्री अध्यक्ष---

वे कह रहे हैं कि उनके पास सूची मौजूद है उसके अनुरूप करते हैं।

श्री रघुनाथसिंह---

सिर्फ ४-५ छुट्टियां की गई हैं मंत्री जी चाहें तो बता सकते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

वह तो गजट में छपी हुई ,हैं आपके पास उसकी प्रति भेजी जाती है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात हैं कि रक्षाबन्धन का कितना धार्मिक और सामाजिक महत्व है और इसके अतिरिक्त उसका ऐतिहासिक महत्व भी है ? इस दृष्टि से इस त्योहार को अन्य त्योहारों की अपेक्षा अधिक वरीयता देने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

मेरे पास जो छुट्टियों की लिस्ट है, उसमें से आप कोई एक छुट्टी काट सकें तो काट दें, होली की काट दें, दीवाली की काट दें, और उसके स्थान पर इस छुट्टी को रख दें यदि रक्षा बन्धन को आप अधिक महत्व देते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

इतवार की छुट्टी का क्या आधार है जो अभी कान्टिन्यू कर रही है ? मंत्री जी इसके बारे में बता दीजिये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे देश में जितने धर्मावलम्बी और त्योहार हैं, यदि इन सब का हिसाब किया जाये तो ३६६ छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, जब कि वर्ष में दिन ३६५ ही होते हैं। इसलिये जितनी ही कम छुट्टियां हों, उतना ही अच्छा है यह मंत्री जी को मेरा सुझाव है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नागपंचमी की छुट्टी पारसाल थी या नहीं, रक्षा बन्धन की छुट्टी थी या नहीं ? या इसी तरह से रिस्ट्रेक्टेड थीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

रक्षा बन्धन की इसी तरह से पारसाल भी रिस्ट्रेक्टेड हालीडे थी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मंत्री जी ने नागपंचमी के बारे में नहीं बताया, इसे छिपा रहे हैं। नागपंचमी की पिछले साल सार्वजनिक छुट्टी थी, किन्तु अब उसके स्थान पर ग्यारहवीं शरीफ की सार्वजनिक छुट्टी रख दी गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

नागपंचमी के बजाय ग्यारहवीं शरीफ की छुट्टी रख दी गयी, और जैसा कि कल ही इस सदन में बताया गया कि जन्माष्टमी की छुट्टी २० तारीख के बजाय १९ तारीख को रख

दी गयी है जब कि १९ तारीख को १२ बजे जन्म होने के बाद २० ता० को छुट्टी रहनी चाहिये थी। इन सबको देखते हुए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से ऐसी पालिसी नहीं बरती जा रही है कि हिन्दुओं के सारे त्योहारों की छुट्टी धीरे-धीरे करके बन्द कर दी जायं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि २० के बजाय १९ को क्यों की गयी ? किन्तु जो छुट्टियां हैं उनको आप देख लें तो लिस्ट में रक्षा बन्धन की रिस्ट्रेक्टेड छुट्टी है, इस छुट्टी को काटने का प्रश्न नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

राम नवमी की छुट्टी को भी आपने निर्बन्धित किया और हिन्दुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों को जिस तरह से आप प्रतिबन्धित कर रहे हैं आपकी इन भावनाओं को देखते हुए देश क एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। तो इसे देखते हुए आप इस प्रकार की गलती न करें इस पर आप विचार करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

छुट्टी कम करने की केवल बात है, खत्म करने की बात नहीं है ।

श्री विजयसिंह—

प्रश्न २ के उत्तर में कहा गया है कि सरकार को इस बात की सूचना नहीं है कि श्रावणी के दिन हिन्दू लोग दफ्तर में काम करते हैं या नहीं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि दो-चार लोग ही श्रावणी को दफ्तर आयेंगे और काम अधिक नहीं होगा, तो क्या सरकार फिर से इस बात पर विचार करेगी कि इसको पुनः गजेटेड हालीडे डिक्लेयर करे और दूसरे त्योहारों को ज्यों का त्यों रहने दे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

छुट्टी की सूची आप यदि देख लेते तो अपने आप ही यह बात न कहते ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अगर आपके सेक्रेटेरियट में अधिक लोग रक्षाबंधन पर निर्बन्धित छुट्टी ले लें तो बहुमत में ऐसे कर्मचारियों के न आने से यदि काम नहीं होगा तो उसके लिये क्या सरकार ने कोई प्रबन्ध कर लिया है कि काम कैसे चलेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो ४ वर्ष से इसी प्रकार चला आ रहा है, सिर्फ इसी वर्ष का सवाल नहीं है । दफ्तर तो बन्द होते नहीं हैं, हमारा तजुर्बा रहा है।

तारांकित प्रश्न

गाव पंचायत, ऐती का भट्ठा

*१—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायत ऐती, परगना व जिला कानपुर के प्रधान ने सन् १९६२ में स्कूल निर्माण के हेतु ५१,२०५ ईंटों का भट्ठा लगवाया था और उस भट्ठे को पकाने के लिए कोयले की छर्री कितने रुपए की किस भाव से खरीदी थी ?

श्री राममूर्ति--

गांव पंचायत ऐती, परगना व जिला कानपुर के प्रधान ने सन् १९६२ में स्कूल निर्माण हेतु ५१,२०५ ईंटों का भट्ठा लगवाया था। उस भट्ठे को पकाने के लिए ५ मीटर सिंगल कोयले की छर्री ९१ रुपए प्रति मीटर की दर से ४५५.०० रुपए की खरीदी थी।

*२--श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भट्ठे को लगवाने के लिए गांव पंचायत ऐती के प्रधान ने कुल कितना धन व्यय किया और इस धन के व्यय के लिए गांव पंचायत के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत करा के डी० पी० ओ० से भी स्वीकृति प्राप्त की थी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राममूर्ति--

उक्त भट्ठे को लगवाने के लिए गांव पंचायत, ऐती के प्रधान ने कुल रुपये १,२४२.१७ पैसे व्यय किया थे इस व्यय के लिए गांव पंचायत के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करवाया गया और डी० पी० ओ० से भी स्वीकृति नहीं प्राप्त की थी।

गांव सभा, बावन का आय-व्यय

*३--श्री पूरनलाल (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में ब्लाक बाबर को ग्राम सभा बावन से १९६२ से अब तक कुल कितनी आमदनी हुई और वह किन-किन मदों द्वारा हुई तथा कितनी-कितनी?

श्री राममूर्ति--

जिला हरदोई में ब्लाक बावर की गांव सभा बावन की कुल आय १-७-६२ से १२-७-६५ तक रु० २०,०२३.३२ पैसे की हुई जो मदवार निम्नलिखित है--

	रुपए	पैसे
१--शासकीय अनुदान यातायात एवं जनस्वास्थ्य हेतु	२,२३२.	५६
२--कर शुल्क से	५३४.	५१
३--हाट बाजार से	९,०३३.	३७
४--इमारतों और भूमि का किराया	१९५.	००
५--विविध	२,०२७.	८८
६--असाधारण और ऋण	६,०००.	००
योग ..	२०,०२३.	३२

*४--श्री पूरनलाल (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उपरोक्त गांव सभा का पैसा १९६२ से किन-किन कार्यों में अब तक खर्च किया गया और कितना शेष है?

श्री राममूर्ति--

उपरोक्त ग्राम सभा में दिनांक १-७-६२ से १२-७-६५ तक कुल ११,७५३.७३ रु० का व्यय हुआ है जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार है और शेष रु० १२,९८३.१२ पै० है।

	रुपए	पैसे
१--साधारण शासन प्रबन्ध और वसूली कराने में कर्मचारियों पर व्यय	१९५.	३६
२--शिक्षा, पुस्तकालय तथा वाचनालय पर व्यय ..	५८.	४७
३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य--		
(अ) निर्माण	८,७४०.	४०
(ब) मरम्मत	६०.	००
४--विविध--		
(अ) कृषि तथा उद्योग	१,०००	००
(ब) निर्वाचन व्यय	३.	००
(स) अन्य	७०६.	५०
५--असाधारण और ऋण--		
(अ) ऋण का भुगतान	९९०.	००
योग ..	११,७५३.	७३

*५--श्री पूरनलाल (अनुपस्थित)--

क्या विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त ग्राम सभा में १९६२ से अब तक पूरा पंचायत टैक्स वसूल हो चुका है? यदि वसूल हुआ है, तो कितना और कितना शेष है?

श्री राममूर्ति--

उपरोक्त गांव सभा में पंचायत कर सन् १९६२ से अब तक का पूरा वसूल नहीं हुआ है अब तक रु० ५३४.५१ पैसे वसूल हुआ है और रु० १,४५६.०२ वसूल करना शेष है।

*६-८--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

[हटा दिए गए।]

अलीगढ़ मलिखान सिंह, जिला अस्पताल के विरुद्ध श्री हरीशंकर मित्तल के आरोप

*९--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक २८ जुलाई, १९६४ अथवा उसके आस-पास चिकित्सा निदेशक के माध्यम से कोई प्रार्थना-पत्र श्री हरीशंकर मित्तल, पंजाब नेशनल बैंक, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा अलीगढ़ मलिखान सिंह, जिला अस्पताल में व्याप्त ढिलाई तथा अकर्मण्यता जिसके कारण उनकी पत्नी का देहान्त हुआ, उसकी जांच के लिए मिला?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

जी हां।

*१०--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

यदि हां, तो उक्त आवेदन-पत्र पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आरोपों की जांच कराई गई और जांच की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि श्री मित्तल की पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र चिकित्सा निदेशक के माध्यम से २८ जुलाई, १९६४ को मिला। १ वर्ष से अधिक हो गया। उसकी रिपोर्ट को आये हुए। मैं यह जानना चाहता हूं कि चिकित्सा निदेशक की रिपोर्ट क्या है और वह कब आयी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह जांच २०-१०-६४ को की गई, वह आ गयी है और उस पर अन्तिम निर्णय लेना बाकी है। इसीलिए निवेदन किया कि विचाराधीन है, निर्णय हो गया होता तो निवेदन कर देता।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि जो रिपोर्ट निदेशक ने दी है वह क्या है। निर्णय तो आप बाद को करेंगे लेकिन वह रिपोर्ट क्या है और कब आयी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मित्तल साहब की पत्नी की मृत्यु के सम्बन्ध में सिविल सर्जन द्वारा जांच करवायी गयी। उस जांच में सभी लोगों ने अपने बयान दिये और उनके आधार पर रिपोर्ट आयी है। यहां सरकार के अन्दर उस पर विचार हो रहा है और विचार होने के बाद ही निवेदन किया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

जो जांच की रिपोर्ट है उसमें किन-किन शिकायतों को सही माना गया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सही माना गया होता तो मैं निवेदन कर देता।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी शिकायत को सही नहीं माना गया है? यदि माना गया है तो किस शिकायत को?

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब है कि आरोपों में से किसी को ठीक माना गया है या नहीं और वह कौन-सा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

पूरा सुना दूं?

श्री अध्यक्ष--

पूरा कहां तक सुनाइयेगा। उसकी खास-खास बातें बता दीजिये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बात यह है कि उन्होंने एम्बुलेन्स के लिए फोन किया। वहां से उनको बताया गया कि एम्बुलेन्स का पैसा जमा कर दीजिए अस्पताल में तब एम्बुलेन्स भेजी जायगी। उसके बाद वह

वहां पर पहुंचे, वहां जो डाक्टर ड्यूटी पर होना चाहिए था उसे बुलाया गया। उसने आकर के उनसे दवा बाजार से लाने को कहा और उस दवा के आने के बाद उनकी पत्नी को एक इंजेक्शन इंट्रा मसकुलर लगाया गया जिसको मित्तल साहब गलत समझते हैं और इसीलिए उन्होंने उनको दोषी माना है कि उनकी पत्नी की मृत्यु उसी कारण से हुई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

वह कौन-सी दवा थी जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी और जिसे पेशेंट को खरीदना पड़ा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

उपलब्ध होने की बात नहीं है। दो प्रकार के रोगी होते हैं जिनको दवा फ्री दी जाती है, एक तो सरकारी नौकर और दूसरे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो। यह रोगी दोनों ही कोटि में नहीं आते थे इसलिये उनसे कहा गया था कि दवा बाजार से ले आवें। फिर भी यदि दवा उपलब्ध न होती और सामने ही दवाखाना न होता जहां से दवा मिल सकती थी जैसा स्वयं मित्तल साहब के बयान से स्पष्ट हो जायगा तो अस्पताल से उनको दवा दी ही जाती।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैंने यह पूछा था कि कौन से वे इंजेक्शन थे जो अस्पताल में प्राप्य नहीं थे और उनको खरीदने के लिए उनसे कहा गया यानी वे कौन-सी दवाइयां थीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

क्लोरोमाइसिटीन और डेकाड्रान।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या जांचकर्ता अधिकारी ने शिकायत करने वाले सज्जन से जांच करते समय शिकायत के बारे में पूछा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

उनका बयान मेरे पास मौजूद है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन आरोपों की जांच होने के बाद रिपोर्ट पर विचार करने में क्यों देर हो रही है और इस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

शीघ्र ही इस पर विचार होने की आशा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

जबकि रिपोर्ट को आये एक वर्ष हो गया तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

दो महीने के अन्दर इस पर निर्णय हो जाना चाहिये।

कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायतें

*११---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि वार्ड नं० ५ कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद के पदाधिकारियों के विरुद्ध उनके सदस्यों की ओर से बार-बार दिनांक १० जुलाई,

१९६४, ५ फरवरी, १९६५ को जो शिकायती दरख्वास्तें रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कंज्यूमर्स, लखनऊ व डिप्टी रजिस्ट्रार, बरेली को लिखी गई, उन पर क्या कार्यवाही की गई और उनमें क्या-क्या खास इलजामात थे ?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बतायेंगे कि जिस समय सोसाइटी के सदस्यों की संख्या २९५ थी, उनमें से १६७ सदस्यों ने एक दरख्वास्त मौजूदा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स और पदाधिकारियों के विरुद्ध दी और बाद में एतमाद की दी और नए एलेक्शन की मांग रजिस्ट्रार, लखनऊ को भेजी ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१३--श्री रियासत हुसैन--

क्या सहकारिता मन्त्री को मालूम है कि उपरोक्त सोसाइटी के डाइरेक्टरों और मेम्बरों की ओर से गत १० जुलाई को यह दरख्वास्त रजिस्ट्रार से की गई कि सोसाइटी का कोई झगड़ा कोर्ट में न भेजा जाय फिर भी सदर सोसाइटी वार्ड नं० ५, मुरादाबाद ने भूतपूर्व कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी पर झूठा गबन का मुकदमा अदालत में दायर किया इससे कितना माली नुकसान सोसाइटी को हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह तीनों सवाल एक सोसाइटी के मुताल्लिक हैं। इनको गवर्नमेंट को भेजे बहुत वक्त हो गया है तो इतनी देर होने पर भी सूचना न आने का क्या कारण है और कब तक सूचना आ जायेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जितने प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं उनके उत्तर इकट्ठा करने में एक महीने से ज्यादा लगेगा। सरकार प्रयत्न कर रही है कि शीघ्र उत्तर आ जायं।

श्री अध्यक्ष--

अनुमानित समय बतला दीजिए।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह पूछ कर बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

१५ दिन के अन्दर सूचना आ जानी चाहिए।

श्री बंशीधर पांडेय--

बहुत अच्छा।

*१४-१६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

[वापस लिये गए ।]

*१७-१८--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

[३रे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आई० टी० आई० में छात्रवृत्ति

*१९--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो आई० टी० आई० में शिक्षा पाते हैं, उनमें से ३३ फीसदी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके स्थान पर भविष्य में ५० फीसदी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाया करे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

विषय विचाराधीन है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० में ३३ फीसदी से ५० फीसदी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाय यह मामला सरकार के विचाराधीन है तो इसमें अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह गवर्नमेंट आफ इंडिया से सम्बन्धित मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने डाइरेक्टर जनरल आफ ट्रेनिंग ऐंड इम्प्लायमेंट को और गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है कि इसको ५० फीसदी कर दें। अब उनके निर्णय के बाद ही प्रान्तीय सरकार निर्णय लेगी।

श्री जे० पी० मिश्र--

इसके अनुसार ३३ परसेन्ट को ग्रान्ट मिलती है लेकिन अगर उसमें ४० शेड्यूल कास्ट के लड़के हैं तो उन सब को ग्रान्ट मिलती है तो मैं इस बात की सफाई चाहता हूं कि जब उनको १०० परसेन्ट ग्रान्ट मिलती है तो उनको इस ३३ परसेन्ट में क्यों जोड़ दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

हरिजनों का तो यह फीस माफी का परसेन्टेज है।

श्री जे० पी० मिश्र--

वहां अगर २०० लड़कों में ६० हरिजन हैं तो वह ग्रान्ट उन ६० को मिलेगी और उनको इस ३३ परसेन्ट में जोड़ दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यदि २०० में ६६ लड़के शेड्यूल कास्ट के हों तो इस के माने यह है कि ३३ परसेन्ट वाली ग्रान्ट किसी को नहीं मिलेगी ।

श्री जे० पी० मिश्र--

मेरा प्रश्न यह है कि यदि २०० लड़कों में ६६ शेड्यूल कास्ट के आ गए तो उनको तो मिलता ही है फिर उनको इस ३३ परसेन्ट में क्यों जोड़ा जाता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसके लिए विस्तृत सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

३३ परसेन्ट छात्रवृत्ति दी जा रही है और इसे ५० प्रतिशत भारत सरकार कर सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को सिफारिश करेगी कि यह ५० प्रतिशत कर दी जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं पहले ही बता चुका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने १७ जुलाई को भारत सरकार के डाइरेक्टर ट्रेनिंग ऐंड इम्प्लायमेंट को सिफारिश की है कि यह २५ से ३० और ३३ १/३ से ५० कर दी जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

जिन ३० प्रतिशत अतिरिक्त विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति मिल रही है क्या उसे बढ़ा कर ५० प्रतिशत करने पर यह सरकार विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

गढ़का-मोहनपुर सड़क पर व्यय

*२०--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़का रेलवे स्टेशन से टाउन एरिया, मोहनपुर, जिला एटा तक के लिए सड़क बनाने हेतु विकास विभाग द्वारा कितने रुपए दिए गए तथा वह धनराशि किस प्रकार से खर्च की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मोहनपुर, गढ़का सड़क को गढ़का रेलवे स्टेशन से टाउन एरिया, मोहनपुर, तक बनवाने के लिए जिला नियोजन समिति द्वारा २०,०००.०० रु० की अनुमानित लागत पर ९,००० रु० १९५४-६५ में स्वीकृत किया गया था। जिसमें से अब तक १४७३०.०० रु० की लागत पर ७,३६५.०० रु० अनुदान स्वरूप जिला नियोजन समिति द्वारा भुगतान किया जा चुका है यह धनराशि सड़क तथा पुलियों के निर्माण में कंकड़, सीमेंट, लोहा तथा ईंट आदि पर व्यय हुई है।

२१--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या विकास मन्त्री जिला नियोजन अधिकारी एटा से पूर्ण एवं विस्तृत जांच करा कर यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़का-मोहनपुर सड़क, जिला एटा की पूर्ति अभी तक न होने का क्या कारण है तथा अब कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मोहनपुर-गढ़का सड़क के पूर्ण न होने का कारण सड़क की भूमि एक्वायर करने के सम्बन्ध में कई साल तक मुन्सफी, दीवानी, कासगंज तथा हाई कोर्ट, इलाहाबाद में केस चलना तथा उसका निर्णय शीघ्र न होना रहा है। गत वर्ष केस का निर्णय हो चुका है और जमीन अब एक्वायर हो चुकी है। भूतपूर्व चेयरमैन श्री छत्रसेन, टाउन एरिया, मोहनपुर ने जिनकी देखरेख में सड़क के निर्माण का कार्य हो रहा है विश्वास दिलाया है कि यह कार्य एक साल में पूर्ण हो जावेगा।

श्री राजेन्द्रसिंह--

श्रीमन्, यह जो १४,७३० रुपया खर्चा हुआ है इसमें से मुश्किल से ६-७ हजार रुपये का सामान लगा होगा, बाकी रुपया विभिन्न तरीकों से गबन हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

२० हजार की कुल लागत थी। जो १४ हजार का खर्चा हुआ है, आप कहें तो उसका ब्योरा पढ़ कर सुना दूं।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मेरे कहने का मतलब यह था कि जो उसमें लोहा, ईंटें और सीमेंट आदि लगा वह उतने रुपये का नहीं है जितना खर्च दिखाया गया है। तो क्या उन वाउचर्स को फिर से जांच करायेंगे और यह देखेंगे कि जितना लोहा आदि का खर्च दिखाया गया है उतना हुआ है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो तो बताइये, इस तरह से कैसे जांच होगी।

श्री राजेन्द्रसिंह--

यह जांच करा लें कि जितने रुपया के वाउचर्स हैं उतने का सामान इस्तेमाल हुआ है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

हमारे अधिकारी जब उसकी जांच करके सार्टिफिकेट दे देते हैं तभी उसके बाद पेमेंट होता है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह निर्माण-कार्य भूतपूर्व टाउन एरिया के चेयरमैन को क्यों दिया गया और जो वर्तमान नयी टाउन एरिया है उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पहले गांव सभा के प्रधान को दिया गया जब उनका कार्यक्रम सुस्त रहा तो इनको दिया गया, दूसरे उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको इस वर्ष पूरा कर देंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह--

मेरा प्रश्न यह है कि श्री छत्रसेन को यह ठेका क्यों दिया गया और जो नयी टाउन एरिया है उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिलाधीश को चूंकि यह काम करवाना था, उन्होंने इनको यह काम दिया, उनको कोई टाउन एरिया के भूतपूर्व चेयरमैन होने के नाते नहीं दिया गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार फिर से इस बात की जांच करायेगी कि इस केस में कुछ गबन हुआ है या नहीं और जितना पैसा दिया गया है वह सब खर्च हुआ भी है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, यह तो जांच करके ही उस अधिकारी से मालूम हुआ है। अगर आप फिर जांच चाहते हैं तो स्पेसिफिक बात बतायें।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने मन लोहा तथा सीमेन्ट इसमें लग गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, इसमें सड़क निर्माण के कार्य का जो मूल्यांकन रहा है वह इस प्रकार है—७ फर्लांग २३० फीट—२४५५.१९ रुपये ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे माननीय सदस्य क्षमा करें। यह सारा ब्योरा तो बहुत लम्बा हो जावेगा ।

सदर अस्पताल, बदायूं में कम्पाउण्डर्स

*२२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के सरकारी सदर अस्पताल में कुल कितने कम्पाउण्डर हैं और कितने-कितने सालों से लगातार इसी अस्पताल में हैं और उपरोक्त कम्पाउन्डरों में से ऐसे कम्पाउन्डर कितने हैं जो कि बदायूं शहर के ही निवासी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बदायूं जिले के सरकारी सदर अस्पताल में कुल ८ कम्पाउन्डर हैं जिनमें से एक लगभग २० वर्ष, एक १० वर्ष, एक ८ १/२ वर्ष, दो ८ वर्ष तथा तीन २ वर्ष से इस अस्पताल में हैं । उक्त ८ कम्पाउन्डरों में से ४ बदायूं शहर के निवासी हैं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय में विचार करने की कृपा करेगी कि बदायूं के अस्पताल में कम्पाउन्डर्स को बीस-बीस, दस-दस और आठ-आठ वर्ष रहते हो गया है ? सरकार क्या व्यवस्था करेगी कि ऐसे कम्पाउन्डर्स को किसी दूसरे अस्पताल में थोड़े दिनों के लिये भेज दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, साधारणतया, कम्पाउन्डर्स के तबादले का कोई नियम नहीं है । अगर कोई शिकायत या वैसी बात होती है तो वहां से जरूर हटा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की नाराजगी का तो खयाल कीजिये ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या ये कम्पाउन्डर्स उसी स्थान के रहने वाले हैं और इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन ही मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कम्पाउन्डर्स को अविलम्ब स्थानान्तरित करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

कठिरांव अस्पताल की इमारत

*२३—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि स्थान कठिरांव, ब्लाक बड़ा गांव, तहसील व जिला वाराणसी, में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है और वहां से पिंडरा १२ मील तथा मड़ियाहूं (जौनपुर) १० मील से ऊपर है, जहां सिर्फ मिडवाइफ रहती हैं ? क्या सरकार उक्त स्थान पर एक महिला चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी हां। कठिरांव, जिला वाराणसी में महिला औषधालय की स्थापना का प्रस्ताव इसी प्रकार के अन्य संहत प्रस्तावों के साथ इस वर्ष शासन के विचाराधीन है।

श्री ऊदल---

आखिरी अस्पताल इस वर्ष प्रश्न के ऊपर कब तक लगेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इसी साल में वित्तीय वर्ष में हो जायेगा।

*२४---श्री ऊदल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कठिरांव सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, वाराणसी बहुत ही खराब कच्ची इमारत में चल रहा है जबकि यहां से १०-१५ मील की दूरी पर चारों तरफ को अस्पताल नहीं है, तो क्या सरकार इस पिछड़े हुये क्षेत्र में इस अस्पताल के लिये अच्छी पक्की इमारत बनवाने पर विचार करेगी, जिसमें कुछ मरीजों के भी रहने की व्यवस्था हो सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह सही है कि कठिरांव अस्पताल के लिये समुचित भवन की व्यवस्था नहीं है, परन्तु इस समय इस अस्पताल के लिये भवन बनवाने का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। जांच से यह पता चला है कि वहां की स्थानीय जनता स्वंय एक नवीन भवन अस्पताल के लिये बनवा रही है।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि अस्पताल बनना आसान नहीं है ? बहुत पिछड़ा इलाका है कठिरांव। श्रीमन्, मैंने स्वंय देखा है। स्थानीय जनता ने २५ हजार ईंट दी है जो नींव पर खत्म हो गई है। तो क्या सरकार इस पर पुनः विचार करके अपनी तरफ से अनुदान या ग्रांट देगी ताकि उसमें सहायक हो सके ? और इमारत जल्द से जल्द बन सके ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इस समय वहां मजनूराम मौर्य जी मंत्री है। उन्होंने दो हजार के करीब इकट्ठा किया है और पी० डब्ल्यू० डी० से नक्शा वगैरह भी ले लिया है और वे इस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। उनके प्रयत्न के बाद किसी स्थिति पर संभव होगा तो विचार करेंगे।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं उन्होंने सराहनीय कार्य किया है और जो वहां का डाक्टर था उसका भी ट्रान्सफर भटनी को कर दिया गया तो वह काम अधूरा रह जावेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस सवाल पर विचार करके शासन की तरफ से चार-छः हजार रुपये देने की कृपा करेंगे ताकि वह इमारत बन जाये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अभी तो नहीं, लेकिन बाद में सोचेंगे।

महिला अस्पताल, रुद्रप्रयाग

*२५---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले वर्ष रुद्रप्रयाग में एक महिला अस्पताल खोलने की स्वीकृति के फलस्वरूप औषधियां तथा अन्य हजारों रुपये का समान रुद्रप्रयाग भेज दिया गया,

परन्तु अस्पताल की इमारत का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है ? यदि हां, तो अस्पताल के भवन निर्माण से पहले ही औषधियां आदि वहां भेज देने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

महिला अस्पताल रुद्रप्रयाग, जिला गढ़वाल का अपना भवन नहीं है अतः इसे किराये या बिना किराये के भवन में स्थापित करने के आदेश ११-११-१९६४ को सरकार द्वारा जारी किये गये थे । इस अस्पताल के लिये १,०६१.४५ रु० का सामान तथा ५५४.१९ रु० की औषधियां गत वर्ष खरीद ली गईं थी ताकि उपयुक्त भवन मिलते ही अस्पताल कार्य प्रारम्भ कर सके ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां कोई भवन निर्माण हो गया है या नहीं य कोई इसके लिये प्रयत्न हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

भवन का निर्माण नहीं हुआ है । यह प्रयत्न हो रहा है कि कोई मकान मिले और उसमें फौरन अस्पताल चालू कर दिया जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

नवम्बर, ६४ में मंत्री जी ने स्वीकृति दी कि वहां अस्पताल खोला जाय, तो वहां औषधियां किस तारीख में भेजी गई ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय--

भेजी नहीं गईं, वहीं पर मार्च में पहले खरीदी गईं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

तो उन दवाइयां का क्या हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

दो स्थान देखे गये लेकिन दोनों अनुपयुक्त पाये गये । अब तीसरे की बातचीत चल रही है । जैसे ही वह मिल जायगा वैसे ही अस्पताल प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)--

रुद्रप्रयाग के नागरिकों ने २५० रुपये माहवार पर एक इमारत ले रखी है और गत वर्ष से उसका किराया दे रहे हैं । मकान काफी बड़ा है और जिले के चिकित्सा अधिकारी ने भी उसे एप्रूव कर दिया है । सरकार वहां डाक्टरनी भेजकर अस्पताल चालू करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यदि सिविल सर्जन ने एक एप्रूव कर लिया है तो फौरन उसके आदेश दे देंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गत वर्ष से वहां के नागरिक उस मकान का किराया देते रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जानकारी तो नहीं है लेकिन कर लेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

जब वहां भवन का इन्तजाम नहीं हो पाया तो वहां के अधिकारियों ने १ लाख रुपये का सामान और दवाइयां क्यों खरीद लीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

१ लाख रुपये की नहीं, ५५४.१६ रुपये की दवाइयां तथा १०६१.४५ रुपये का दूसरा सामान खरीदा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या टैंट इत्यादि लगवा कर दवाइयां देने के उपचार की व्यवस्था करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मौजूदा स्थिति में यह संभव नहीं होगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर--

मकान वहां मौजूद है जिसका साल भर से किराया दिया जा रहा है । तो डाक्टरनी भेजकर उस दवा का प्रयोग कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

पुरुष चिकित्सालय मे रोगियों का काम चल रहा है । यह तो महिला चिकित्सालय अलग से होने की बात है ।

मदनमोहन नेत्र चिकित्सालय, फतेहपुर के प्रान्तीयकरण की मांग

*२६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिल फतेहपुर)--

१७ फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न ६१ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब दिनांक ९ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न ४१ के उत्तर में ६ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण होने और फतेहपुर के नेत्र चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण करने पर विचार होने की सूचना दी गई, तो फिर उक्त प्रश्न ६१ के उत्तर में उसके बजाय पुरुष अस्पताल बिसवां, जिला सीतापुर का प्रान्तीयकरण करने की विशेषता क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

दिनांक ९ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न ४१ व ४२ के उत्तर में ६ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण होने और फतेहपुर के नेत्र चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण करने पर विचार होने की सूचना अवश्य दी गई थी पर उसका यह तात्पर्य नहीं था कि केवल फतेहपुर के नेत्र चिकित्सालय का ही प्रान्तीयकरण सरकार के विचाराधीन था । इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से अस्पतालों का प्रान्तीयकरण भी सरकार के विचाराधीन था और उनमें पुरुष अस्पताल, बिसवां, जिला सीतापुर, भी था । चिकित्सालय और औषधालयों के प्रान्तीयकरण करने के प्रश्न पर गुणावगुण के अनुसार विचार किया जाता है और ऐसे प्रस्तावों को वरीयता दी जाती है जिनमें प्रान्तीयकरण होने के बाद भी स्थानीय निकाय का अंशदान मिलता है । जिला परिषद्, सीतापुर तथा म्युनिसिपल बोर्ड, बिसवां, अस्पताल के प्रान्तीयकरण के पश्चात् भी अपना अंशदान देने को तैयार थे परन्तु जिला परिषद्, फतेहपुर से ऐसी सहमति नही प्राप्त हुई । अतः बिसवां अस्पताल के प्रान्तीयकरण को प्राथमिकता दी गई ।

*२७--श्री रघुबीरसहाय कैथवार--

उक्त दिनांक १७ फरवरी, १९६५ से प्रश्न सं० ६१ के ही उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मदन मोहन नेत्र चिकित्सालय, फतेहपुर का प्रान्तीयकरण करने के पूर्णतया व शर्तें सन् ६३ में सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं, तो फिर उसका प्रान्तीयकरण अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सन् १९६२-६३ में प्रान्तीयकरण की योजना देश में संकट कालीन परिस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी, अतः इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण के प्रश्न को भी स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद भी इस अस्पताल का प्रान्तीयकरण नहीं हुआ क्योंकि कुछ अन्य अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की आवश्यकता अधिक थी ।

*२८--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या स्वास्थ्य मंत्री मदन मोहन नेत्र चिकित्सालय, फतेहपुर की दशा व जिला परिषद् के प्रस्ताव और अपने आश्वासन के आधार पर उदारतापूर्वक विचार करके उसका प्रान्तीयकरण करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इस अस्पताल के प्रान्तीयकरण के विषय में स्थिति पूर्व प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

जब पूर्व प्रश्न ४१ और ४२ के उत्तर में ६ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण किये जाने और जिला परिषद्, फतेहपुर के अस्पताल का प्रांतीयकरण करने का विचार गत वर्ष से होने की सूचना दी जा चुकी है और जब सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी विचाराधीन मामला आता है । तो क्या कारण है कि फतेहपुर के नेत्र चिकित्सालय को प्रान्तीयकरण न देकर बिसवां के पुरुष अस्पताल को उससे पहले प्रान्तीयकरण दे दिया गया है जब कि उसके बारे में पहले से कोई सूचना विचाराधीन नहीं थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना का प्रश्न नहीं है । प्रश्न ४१ और ४२ फतेहपुर के बारे में थे । बिसवां का प्रश्न उस समय भी विचाराधीन था । वहां की नगरपालिका और स्थानीय जनता ने सहायता दी, इसलिये उसे प्राथमिकता दे दी गई ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

जब १९६२-६३ में संकटकालीन घोषणा होने की वजह से अस्पतालों के प्रान्तीयकरण की योजना स्थगित कर दी गई थी और ७ अस्पतालों का उसी समय में प्रान्तीयकरण किया गया, तो फतेहपुर का क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य फतेहपुर के जिला परिषद् से अपने अनुदान के बारे में लिखा कर भेज दें जिससे आगे विचार किया जा सके क्योंकि और जिलों से भी ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं, अगर फतेहपुर का नहीं आया तो वह और भी पीछे पड़ जायगा ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या जिला परिषद् का जो प्रस्ताव हुआ है, उसमें सारी शर्तें पूरी कर दी गयी हैं अतः उसका प्रान्तीयकरण तुरन्त किया जाना चाहिय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अंशदान के सम्बन्ध में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

जिला फतेहपुर एक पिछड़ा हुआ जिला है । उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि वह सारा अनुदान दे सके । ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी और शर्तों के पूरी हो जाने पर अनुदान संबंधी शर्त की उसको छूट देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो गुणावगुण की बात है । सभी चीज सोचकर निर्णय लिया जाता है ।

श्री विपिनबिहारी तिवारी—

सीतापुर जिला परिषद् ने और बिसवां नगरपालिका ने अपने अस्पतालों का प्रान्तीयकरण करा दिया, क्या मंत्री जी उनको और सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या जिला परिषद् फतेहपुर ने अंशदान की बात को भी स्पष्ट कर दिया है तो क्या उसका तत्काल प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नहीं हुआ, मैं माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि अंशदान वाली बात का वे जल्द स्पष्टीकरण करा कर भेज दें ।

*२९—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

सहायक निबंधक, बस्ती के कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदनपत्र

*३०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक कार्यालय, बस्ती में सहकारी संस्थाओं के पंजीकरण के लिये कितने आवेदन-पत्र ६ मास से अधिक से विचाराधीन हैं तथा क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

सहायक निबन्धक, बस्ती के कार्यालय में सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण के लिये कोई आवेदन-पत्र ६ मास से अधिक समय से विचाराधीन नहीं है ।

*३१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री प्रश्न (१) के उत्तर से सम्बन्धित समितियों के बारे में बतायेंगे कि उनका पंजीकरण कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में कम्पाउण्डरों को बढ़ोत्तरी न मिलना

*३२--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सभी कंपाउन्डरों की वार्षिक बढ़ोत्तरी रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी नहीं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब सभी कम्पाउण्डरों की बढ़ोत्तरी नहीं रुकी तो जिला परिषद् के मातहत कंपाउन्डरों को बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, ४० कम्पाउन्डरों में से ५ कम्पाउन्डरों के नाम एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली के कारण पिछड़ गये । उनके केसेज को भी जल्द से जल्द समाप्त कर देने के लिये आदेश हो चुके हैं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

श्रीमन्, उत्तर साफ नहीं हुआ । एक तरफ कहा गया कि किसी की बढ़ोत्तरी नहीं रुकी, फिर ५ कम्पाउन्डरों की कैसे रुकी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, रोकी किसी की नहीं गयी । कुछ कारणवश अपने आप रुक गयी । बात ऐसी हो गयी कि कुछ ट्रांस्फर्स के होने से बढ़ोत्तरी के बजाय घटोत्तरी हो गयी । उसको ठीक करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला परिषद् के कम्पाउन्डर, श्री रामचन्द्र शर्मा जो रुद्रपुर में हैं उनकी बढ़ोतरी क्यों रोकी गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह श्री रामचन्द्र शर्मा तो इसमें नहीं आते । इसमें तो यह ५ व्यक्ति हैं श्री आर० ए० गुप्ता, श्री डी० एन० लाल, श्री विश्वनाथ प्रसाद, श्री बजरंगी लाल और श्री के० पी० पांडेय, केवल यही ५ व्यक्ति हैं ।

श्री ऊदल--

कम्पाउन्डर्स के सम्बन्ध में जो बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में जी० ओ० सरकार ने निकाला था वह जिला परिषद् के ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स पर लागू हुआ या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जहां तक इनको मैं देख सका हूं, ग्रेड वगैरह से यही प्रतीत होता है कि उनको भी वही ग्रेड मिल रहा है जो सरकारी कम्पाउन्डर्स को मिल रहा है ।

मैनपावर यूटीलाइजेशन कमेटी के निर्णय

*३३--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि मैन पावर यूटिलाइजेशन योजना के सम्बन्ध में जो उच्च स्तरीय समिति की बैठक श्री बंशीधर पांडेय की अध्यक्षता में दिनांक ४ जून, १९६५ को विधान भवन में हुई उसमें मुख्य-मुख्य क्या निर्णय लिये गये ?

श्री राममूर्ति--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६९--७७० पर)

*३४--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३५-३६--श्री बेदराम (जिला एटा)--

[हटा दिये गये ।]

*३७--श्री जगन्नाथ राव--

[हटा दिया गया ।]

ऊंचागाव ब्लाक में पौष्टिक आहार योजना न होना

*३८--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विकास खंड, ऊंचा गांव, जिला बुलन्दशहर में पौष्टिक आहार यू० एन० आई० सी०ई० एफ० योजना को अब तक क्यों लागू नहीं किया गया है, जब कि जिले का यह सबसे पुराना ब्लाक है और योजना का लागू किया जाना इस ब्लाक में अत्यन्त आवश्यक है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

पौष्टिक आहार योजना (एप्लाइड न्यूट्रीशन प्रोग्राम) में, जो यूनिसेफ की सहायता से प्रदेश में चलायी जा रही है केवल वे ब्लाक चुने गये हैं जो कि प्रशिक्षण संस्थान के पास हैं और उनसे सम्बद्ध है ।

क्योंकि ऊंचा गांव में इस तरह की कोई सामूहिक विकास या कृषि प्रशिक्षण संस्था नहीं है । अतः वह ब्लाक इस योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

खानपुर-अमरपुर मार्ग पर नीम नदी का पुल

*३९--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सन् १९६३-६४ और १९६४-६५ में खानपुर-अमरपुर मार्ग पर खानपुर के समीप नीम नदी का पुल बनाने के लिये कितने हजार रुपये अनुदान के रूप में जिला परिषद, बुलन्दशहर को देना स्वीकार किया था और किन कारणों से जिला परिषद्, बुलन्दशहर नीम नदी के उक्त पुल का निर्माण नहीं कर सकी और उक्त अनुदान की धनराशि का प्रयोग नहीं हो सका ?

श्री राममूर्ति--

सन् १९६२-६३ में जिला परिषद् बुलन्दशहर को ९,६०० रु० अनुदान स्वरूप खानपुर-मरपुर मार्ग पर नीम नदी पर पुल बनाने के लिये स्वीकार हुआ था । इस पुल के निर्माण के

लिये १९,२०८ रु० का तखमीना तैयार किया गया था परन्तु अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ने डिजाइन स्टैन्डर्ड न होने के कारण वापस कर दिया और कहा कि यहां टी–बीम-पुल बनवाना पड़ेगा। जिला परिषद् में अभियन्ता न होने के कारण अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्लान बनाने के लिये लिखा है। परन्तु समय के अभाव में वह अभी कोई कार्यवाही नहीं कर सके हैं।

*४०—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब कि जिला बुलन्दशहर में नीम नदी को सरकार ने नोटीफाइड नदी घोषित कर दिया है और उस पर छोटे पुलों का निर्माण असंभव हो गया है और जिला परिषद् के पास भी धन का अभाव है तो सरकार नीम नदी पर खानपुर-अमरपुर मार्ग पर खानपुर के समीप अत्यन्त आवश्यक पुल के निर्माण के लिये क्या यत्न कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के मतानुसार नीम नदी पर छोटे पुल का निर्माण संभव नहीं । इस पुल के निर्माण का प्रश्न परिषद् के विचाराधीन है ।

फर्रुखाबाद जिला अस्पताल तथा प्रसूति केन्द्र, फतेहगढ़

*४१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में जिला अस्पताल तथा महिला अस्पताल प्रसूति केन्द्र, फतेहगढ़ में १६ शैय्या वार्ड बनाना है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विचार के लिये स्थगित किया गया है ।

*४२—श्री होरीलाल यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला अस्पताल प्रसूति केन्द्र, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद में प्रतीक्षालय बनाने के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों ने वर्ष, १९६४- ६५ में मांग की है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिला अस्पताल में परामर्शदात्री समिति ने १९६४-६५ में महिला अस्पताल प्रसूति केन्द्र में प्रतीक्षालय बनाने का प्रस्ताव किया था। इस पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में विचार किया जायगा ।

*४३-४४—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गांव पंचायत ऐती के कागजात की जांच

*४७--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश महोदय कानपुर की दिनांक ६ अक्तूबर, १९६४ की आज्ञा से सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कानपुर ने विकास खंड कार्यालय विधनू में जा कर गांव पंचायत के कागजातों का निरीक्षण किया था उसमें क्या भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोप प्रधान के विरुद्ध प्राप्त हुये और उन्होंने जिलाधीश महोदय को अपनी क्या रिपोर्ट प्रेषित की थी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिलाधीश , कानपुर के दिनांक ६ अक्तूबर, १९६४ के आज्ञानुसार वर्ष ६१-६२ से ६३-६४ तक गांव पंचायत ऐती के कागजातों की जांच की गयी । जांच में कोई भी अनुचित बात एवं अनियमिततायें तथा भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं पायी गयी ।

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि ५०० रुपया घूस लेकर वह रिपोर्ट लिख दी गई है और सही बात को छिपाने की कोशिश की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी वह क्या जांच करायेंगे ।

प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ द्वारा खाद वितरण

*४८--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविंशियल को० फेडरेशन लखनऊ, के द्वारा जो रसायनिक खादों का वितरण होता है उसका भुगतान उपरोक्त फेडरेशन को गवर्नमेंट को कितनी अवधि में करना पड़ता है तथा क्या इस डिफर्ड पेमेंट पर पी० सी० एफ० को गवर्नमेंट को कोई ब्याज देना पड़ता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन को ३० जून, १९६३ तक की प्राप्त नियंत्रित खादों पर अनुबंध के अनुसार बिक्री मास के ४५ दिन के अन्दर बिक्री धन का भुगतान करना पड़ता है १ जुलाई, १९६३ से प्राप्त होने वाली नियंत्रित खादों के मूल्य का पूर्ण भुगतान संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत १८ महीने के अन्दर करना होता है । यदि निर्धारित अवधि में भुगतान न हो सका तो ३० जून, १९६३ तक प्राप्त खाद पर ६ प्रतिशत और १ जुलाई, १९६३ से प्राप्त होने वाली खाद पर ५.५० प्रतिशत ब्याज देय होता है ।

*४९--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

[हटा दिया गया ।]

*५०--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० सी० एफ०, लखनऊ के पास १५ जून, १९६५ को विवरण हेतु भिन्न-भिन्न रासायनिक खादों का कितना स्टाक था ?

श्री बंशीधर पांडेय--

१५ जून, १९६५ के खाद स्टाक की स्थिति उपलब्ध नहीं है ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार को १८ मास में खाद का भुगतान करना पड़ता है तो किसानों से तुरन्त खाद पर ब्याज क्यों लिया जाता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

पहले यह नियम था कि भारत सरकार की ओर से जब खाद आता है तो सारे का सारा जमा होता था, स्टाक जमा रहता था, माल ब्लाक हो जाता था और पैसा काफी रुक जाता था। और जब सेल होता था तो जितना सेल होता था उसके ४५ दिन के अन्दर अगर रुपया जमा हो जाता था तो कोई ब्याज नहीं पड़ता था अन्यथा सवा छः फीसदी के हिसाब से ब्याज देना पड़ता था। अब नया जो संशोधित नियम हो गया है उसके हिसाब से भारत सरकार ने जब यह रुपया जमा होने लगा तो १८ महीने का पलैट रेट कर दिया। उसके अनुसार जब गोदामों से डिस्पैच हो जायगा तो १८ महीनों के अन्दर कुछ नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद साढ़े पांच फीसदी का सूद लगेगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गयाप्रसाद जी का सवाल यह है कि जिस समय वे खाद लेते हैं उसी समय उनको ब्याज देना पड़ता है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, जहां की यह बात होगी अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो मैं पता लगा सकूंगा कि कौनसी सोसाइटी की यह बात है और क्यों ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना है कि १८ महीने तक सूद नहीं लिया जाता। उनका कहना है कि सूद तुरन्त लिया जाता है....

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया अगर माननीय सदस्य मुझे बता देंगे तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

जो प्राइमरी बात है वह यह है कि जिस दिन से किसान लोन एप्लीकेशन देता है उसी दिन से उससे सूद लिया जाता है और उसी दिन से ही उसे ब्याज देना होता है तो जब आपको १८ महीने तक कोई सूद नहीं देना पड़ता है तो सरकार किसानों से क्यों सूद १८ महीने के पूर्व ही ले लेती है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अगर लिख कर दे देंगे तो मैं जांच करवा लूंगा।

बलरामपुर अस्पताल के मेडिकल वार्ड में पलंग

*५१--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला स्थित बलरामपुर अस्पताल में रेडियोलाजी (एक्सरे) विभाग के विशेषज्ञों के अन्तर्गत मरीजों के भर्ती हेतु कितने पलंग मेडिकल वार्ड में निर्धारित किये गये हैं ?

नोट--तारांकित प्रश्न ५० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में रेडियोलो जी विभाग के एक विशेषज्ञ, जो ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी भी हैं, के अन्तर्गत मरीजों की भर्ती हेतु चार पलंग मेडिकल वार्ड में निर्धारित हैं।

*५२--श्री बलवानसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि मेडिकल वार्ड में कुल कितने पलंग हैं तथा उसमें से अलग-अलग दूसरे विभागों जैसे पैथालोजी, इत्यादि के विशेषज्ञों के कितने पलंग निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

बलरामपुर अस्पताल के मेडिकल वार्ड में कुल ५२ पलंग हैं जो निम्नलिखित विशेषज्ञों के अन्तर्गत निर्धारित हैं--

		पलंग	
(१) अधीक्षक (ज्येष्ठ चिकित्सक)	..	१२	मुंशी वार्ड में
		५	महिला वार्ड में
	योग	१७	
(२) चिकित्सक	..	२२	मेडिकल वार्ड में
		६	महिला वार्ड में
		३	नर्सेज सिक रूम में
	योग	३१	
(३) सीनियर मेडिकल आफिसर (रेडियोलोजिस्ट)		४	
	कुल योग	५२	

भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों के अन्तर्गत आने वाले मरीजों की संख्या के अनुसार अस्पताल के अधीक्षक पलंगों की संख्या निर्धारित करते हैं।

पहासू–शिकारपुर सड़क की खराब हालत

*५३--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहासू, जिला बुलन्दशहर के पास काली नदी का पुल बना हुआ है, पहासू–शिकारपुर सड़क जो कच्ची जाती है गत बरसात में नदी के तेज धारा से सड़क कट कर बह गई है ? गत वर्षों में दो विद्यार्थी सड़क कटी होने के कारण डूब कर मर चुके हैं ? क्या सरकार बरसात से पहले पहासू कस्बे के पास कटी हुई सड़क को बनाने की कृपा करेगी।

श्री राममूर्ति--

जी हां।

चूंकि पहासू–शिकार पुर सड़क जिला परिषद् बुलन्दशहर की है, अतः उसे सरकार द्वारा बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। परिषद् उस कार्य को इस वर्ष के दौरान में पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि सड़क के कटाव इतने बड़े व गहरे हैं कि बरसात में उनका भरवाना निरर्थक होगा। परिषद् इतने बड़े कार्य पर इस समय खर्चा करने में भी असमर्थ है।

जिला आर्गनाईजर पी० आर० डी०, फर्रूखाबाद द्वारा प्रमाण-पत्र छपवाना

*५४––श्री होरीलाल यादव––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में १९५८–५९, १९५९–६० में जिला आर्गनाइजर पी० आर० डी० द्वारा कितने रक्षक परिचय–पत्र व प्रमाण पत्र छपवाये गये? उसमें कितना व्यय हुआ और उनको बेचने से कितना धन वसूल हुआ?

श्री राममूर्ति––

जिला आर्गनाइजर पी०आर०डी०, फर्रुखाबाद द्वारा वर्ष १९५८–५९ में कोई परिचय पत्र तथा प्रमाण-पत्र नहीं छपवाये गये। बस १९५९–६० में उन्होंने स्थानीय रूप से १५०० परिचय पत्र तथा इतने ही प्रमाण-पत्र स्थानीय प्रेस में छपवाये थे। इस कार्य में कुल ७८१·२४ रुपया व्यय हुये। इन परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्रों को बेचने से कितना धन वसूल हुआ इसका कोई लेखा उपलब्ध नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर आई० टी० आई० से उत्तीर्ण हरिजन

१––श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर आई० टी० आई० से सन् १९६४ व १९६५ में कितने–कितने प्रशिक्षणार्थी प्रत्येक ट्रेड में उत्तीर्ण हुये और उनमें से कितने हरिजन हैं?

श्री बनारसीदास––

सन् १९६४ में ६७७ व १९६५ में ७३० प्रशिक्षणार्थी इंजीनियरिंग व्यवसाय में उत्तीर्ण हुये जिनमें क्रमशः ४५ व ६४ प्रशिक्षणार्थी हरिजन थे। व्यवसाय सहित ब्योरे सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७१–७७४ पर)

२––श्री मुरलीधर कुरील––

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के आई० टी० आई० से १९६४ व १९६५ में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों में से कितने अपरेंटिस ट्रेनिंग में कानपुर आई० टी० आई० या कानपुरा सेवायोजन (इम्पलायमेंट एक्सचेंज) द्वारा भेजे जा चुके हैं तथा जो शेष हैं वह कब तक भेज दिये जायगा? इनमें से प्रत्येक ट्रेड में कितने हरिजन हैं?

श्री बनारसीदास––

सन् १९६४ तथा १९६५ में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों में से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कानपुर अथवा सेवायोजन कार्यालय, कानपुर द्वारा क्रमशः २८३ व ३६४ प्रशिक्षणार्थियों को अपरेंटिस ट्रेनिंग में भेजा जा चुका है। शेष प्रशिक्षणार्थियों को अपरेंटिस ट्रेनिंग के लिये संस्थानों में स्थान रिक्त होते ही लगा दिया जायगा। हरिजन प्रशिक्षणार्थियों जो अपरेंटिस में लग गये हैं या जो शेष हैं उनके विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

३--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर आई० टी० आई० में प्रशिक्षणार्थियों के हेतु चुनाव समिति में कोई हरिजन सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं, क्योंकि प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव हेतु समिति में अनिवार्य रूप से किसी हरिजन सदस्य के होने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

४-५--श्री मुरलीधर कुरील--

[३रे बुधवार के लिये प्र० सं० ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

महालक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर द्वारा निर्मित क्वार्टरों में असुविधा

६--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि महालक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर, जिला सहारनपुर के मजदूरों को जो क्वार्टर दिये गये हैं उनमें न पानी का इन्तजाम है न ही खाना बनाने, पाखाने जाने व रोशनी व सफाई का इन्तजाम है ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । इस मिल द्वारा निर्माण कराये गये कुछ क्वार्टरों में आवश्यक सुविधाओं की कमी है । चूंकि मकान मिल मालिकों द्वारा बनवाये गये हैं, आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध वही कर सकते हैं ।

७--श्री जयगोपाल--

क्या उपरोक्त मिल में मजदूरों को वेतन बहुत देर से दिया जाता है, जिससे उनको बड़ी असुविधा होती है, तो उस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास--

जी हां । पिछले कुछ महीनों में मजदूरों को वेतन वितरित करने में मिल प्रबन्धकों ने विलम्ब किया । परन्तु इस प्रकार की सूचना पाते ही श्रम विभाग के अधिकारियों ने तुरन्त हस्तक्षेप करके वेतन वितरित करवाया और पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, १९३६ के अधीन निर्देश प्रार्थना-पत्र न्यायालय में दायर करके उक्त मिल के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की ।

८--श्री ऊदल--

[४थे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नागर क्षेत्रों में चिकित्सालयों की कमी

९--श्री रक्षपालसिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर क्षेत्र (टाउन एरिया) ऐसे हैं, जिनमें राजकीय प्रारम्भिक चिकित्सालय भी नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

६१ ऐसे नगर क्षेत्र हैं जहां कोई भी चिकित्सालय नहीं है ।

१०—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार ऐसे नागर क्षेत्रों (टाउन एरिया) के चिकित्सा संबंधी आवश्यकता को देखते हुये उक्त स्थानों में शीघ्र ही कम से कम प्रारम्भिक चिकित्सालय खोलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव को श्री निहाल सिंह का आवेदन-पत्र

११—श्री होरीलाल यादव—

क्या विकासा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांतीय रक्षक दल हेड क्वार्टर से पत्र सं० १/९/६२–६३, दिनांक २६ जुलाई, १९६२, पत्र सं० १/४८/६२–६३, दिनांक ५ दिसम्बर, १९६३ तथा पत्र सं० १/२०५/६४–६५, दिनांक १७ नवम्बर, १९६४ द्वारा किन-किन प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गनाइजरों का अवकाश-काल का वेतन देने के लिये जिला उन्नाव के नियोजन अधिकारी या जिलाधीश को लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या इस संबंध में हेडक्वार्टर से डी० ओ० सं० १/२०५/६४-६५, दिनांक ८ जनवरी, १९६५ को लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—

प्रान्तीय रक्षक दल हेडक्वार्टर से पत्र संख्या १-३९/ ६२-६३ दिनांक २६-७-१९६२ प्रसारित नहीं किया गया है । पत्र संख्या १-४८/६२-६३, दिनांक ५–१२–१९६३ का पत्र संख्या १-२०५/ ६४-६५, दिनांक १७-११-१९६३ जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव को श्री निहाल सिंह, क्षेत्रीय संगठन कर्त्ता को अवकाश स्वीकृत करने तथा उनके अवकाश काल के वेतन दिलाने के बारे में लिखे गये थे तथा डी० ओ० सं० १२०५/६४-६५, दिनांक ८–१–१९६५ उन्हें पुनः उपर्युक्त मामले में तुरन्त कार्यवाही करने के लिये स्मरण कराया गया । श्री निहाल सिंह को दिनांक १ सितम्बर, १९६२ से २३ अक्तूबर, १९६२ का वेतन जब से छुट्टी पर थे उन्हें मनीआर्डर द्वारा भुगतान कर दिया गया था । उसके बाद की छुट्टी श्री निहाल सिंह को स्वीकृत नहीं की गयी क्योंकि सिविल सर्जन, फतेहगढ़ का प्रमाण-पत्र उनकी अस्वस्थता से ठीक होने और छुट्टी से लौटने के बारे में अस्पष्ट था तथा फंडामेंटल रूल ८१ फाइनेन्शियल हैंड बुक द्वितीय खंड (भाग २ से ४ में) किये गये निदेशों के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी मेडिकल अवकाश तभी स्वीकृत कर सकता है जब सरकारी कर्मचारी के ठीक होने के उपरान्त ड्यूटी पर आने की सम्भावना हो । पुनः सिविल सर्जन को स्पष्ट प्रमाण-पत्र भेजने को कहा गया था जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि श्री सिंह सक्रिय सेवा के योग्य नहीं हैं इनका मामला अब मेडिकल बोर्ड को भेजा गया है और बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्री निहाल सिंह के अवकाश आदि के मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा । श्री सिंह को उनके मामले की स्थिति बराबर सूचित की जा रही है ।

विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, ६–७ दिन हुये मैंने परिवहन मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था । मैं जानना चाहता हूं कि उस पर क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

फाइल अभी आई है ।

श्री अब्दुल बशीर खां की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना आई है कि डा० अब्दुल बशीर खां, अध्यक्ष ज्योलोजी डिपार्टमेंट, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, जो एम० एल० ए० रिपब्लिकन पार्टी के हैं, को डी० आई० आर० के रूल ३०(१)(बी) में बन्दीकृत किया गया है । वे सेन्ट्रल, जेल आगरा को भेज दिये गये हैं । यह सूचना मुझे कल सायंकाल ७ बजे के करीब मिली थी ।

श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, यह गिरफ्तारी किस समय हुई ?

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैंने निवेदन किया यह मुझे शाम को मिली । यह इस प्रकार है "सूचना दी जाती है कि डाक्टर अब्दुल बशीर खां, ज्योलोजी विभाग के अध्यक्ष, मुस्लिम युनिवर्सिटी, एम० एल० ए० रिपब्लिक पार्टी को ११ बजे दिन को बंदीकृत नियम ३०(१)(बी) के अन्तर्गत किया गया है ।"

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस समय गृह मंत्री मौजूद हैं और चूंकि यह एक विधायक का प्रश्न है तो क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं और किस धारा के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया है ?

गृहमंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, उन्हें डी० आई० आर० में बन्द किया गया है ।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

डी० आई० आर० में बहुत सी धारायें हैं, तो वे किस धारा में और किस आरोप में वे गिरफ्तार किये गये हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को पुकारा नहीं गया ।)

संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास २ कामरोको प्रस्ताव आये हैं, एक माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय उग्रसेन, माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय शिवनाथ तथा माननीय गयाप्रसाद का और दूसरा है माननीय काशी नाथ मिश्र का । इसमें शिकायत यह हुई है कि पुलिस द्वारा कुछ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुये हैं । इसको मैंने इस समय नियम ५२ में स्वीकार कर लिया है और मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण हो जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

सवाल श्रीमन्, कुछ कार्यकर्ताओं का नहीं है । राज्य पार्टी के दफ्तर पर करीब-करीब २ बजे के बाद पुलिस ने सैकड़ों की तादाद में छापा मार कर घेर लिया.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको पढ़े दे रहा हूं । माननीय रामसुन्दर पांडेय और ५ अन्य माननीय सदस्यों की सूचना इस प्रकार से है ।

[श्री अध्यक्ष]

"राज्य संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय, पानदरीबा पर आज लगभग २ बजे रात से लखनऊ की पुलिस द्वारा घेरा डाला गया और राज्य मंत्री श्री मधुकर दिगे, संयुक्त मंत्री श्री रमाशंकर गुप्त तथा अखिल भारतीय युवजन सभा के मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र व अन्य ७ व्यक्तियों को अकारण ही गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी बिलकुल ही असंवैधानिक, अप्रजातांत्रिक है एवं गैर कानूनी है इससे प्रदेश एवं देश की करोड़ों जनता में महान क्षोभ और असंतोष है।"

श्री काशीनाथ मिश्र का इस प्रकार है :—

"रात के १ बजे से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राज्य कार्यालय पानदरीबा, लखनऊ को सशस्त्र पुलिस ने घेर रखा है। कार्यालय के अन्दर काम करने वाले और राज्य के विभिन्न जिलों से आये हुये अनेक समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कार्यालय के अन्दर सोये हुये व्यक्तियों को गिरफ्तार करना हमारे मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है और जनतांत्रिक परम्पराओं और सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय में आवागमन को पुलिस ने बन्द कर रखा है। पुलिस के इस रवैये से लखनऊ शहर.....।"

माननीय गृह मंत्री जो इस पर आप कब वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

अब जब असेम्बली खुलेगी उस दिन दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

हां, कृपया पहले ही दिन। ४ दिन छट्टी है उसके बाद जब खुले उसी रोज दे दीजियेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं निवेदन करना चाहता था श्रीमन्, आपने नियम ५२ के अन्दर स्वीकार किया है तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लें। यह प्रश्न कोई एक पार्टी, एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का नहीं है। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि अगर सरकार जनता की तकलीफों को सुनती नहीं है तो हमको अधिकार मिला है कि सभायें करें, पार्टी करें, प्रदर्शन करें, जुलूस निकालें। श्रीमन्, हमको जानकारी है कि कल उत्तर प्रदेश के हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं की बैठक रही दारुलशफा में और उसमें डाक्टर लोहिया की गिरफ्तरी की खबर सुनी गयी जिससे उनमें जोश आया। वे इस वक्त कच्छ के सवाल को लेकर और मंहगाई के सवाल को लेकर सारे प्रदेश की जनता को जगाना चाहते हैं, एसे व्यक्ति को, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाय इस पर लोगों को जोश आया.....

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ से संबद्ध जो बात कहनी हो वही कहें। यह सब तो आप सोमवार को भी कह सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो जितने कार्यकर्ता वहां पर हजारों की तादाद में उपस्थित थे सब ने दारुलशफा से जुलूस बना करके अमीनाबाद तक गये और बीच में नारे लगाते रहे.....

श्री अध्यक्ष—

इसका तो कोई उल्लेख नहीं है इसमें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, सुन लें। सभायें हुई, वक्ताओं ने भाषण दिये और सभा समाप्त हो गयी तथा सारे वक्ता और श्रोता, कार्यकर्ता अपने-अपने स्थानों को चले गये। राज्य पार्टी के दफ्तर में १२५

व्यक्ति रात को सोये हुये थे, उनको घेर लिया गया, और उनमें से ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमको जब रात्रि में करीब ४ बजे इसकी जानकारी हुई तो हमने होम मिनिस्टर...

श्री अध्यक्ष—

आप एक ऐसी परम्परा डाल रहें हैं कि आइन्दा भी लोग ऐसा ही कहेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, यह जो गिरफ्तारी हुई उसके बारे में मैंने जानना चाहा कि आखिरकार किस धारा के अनुसार ये गिरफ्तार किये गये? जब होम मिनस्टर से मैंने पूछा तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी तो फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछना चाहा और जब वहां भी जानकारी नहीं हुई तो सिटी मैजिस्ट्रेट से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने वारंट हस्ताक्षर के लिये नहीं आया है। इस समय विधान सभा में आकर मैंने होम मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि दफा १४४ तोड़ने में उनकी गिरफ्तारी हुई है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी कानून के माहिर और रोजाना अदालतों में देखते रहें होंगे और मेरे विरोधीदल के नेता माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी वकील हैं और बहुत कानून जानते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि १४४ तोड़ने के बाद जब लोग घर चले गये तब किसी को गिरफ्तार किया जाय। जिस वक्त जुलूस निकला और यहां से अमीनाबाद तक गया और बीच में से किसी ने रोका नहीं, सभा शुरू हो गयी और व्याख्यान भी दिये गये, तभी कोई रोक नहीं हुई और जब वे घर चले गये तब कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमसे ज्यादा जानकार लोग यहां बैठे हुये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अवैधानिक काम इस प्रदेश में हो और लखनऊ शहर में हो जहां कि सारे मंत्री और सारे सदस्य बैठे हैं, इस प्रस्ताव को आप दफा ५२ में स्वीकार करके मैं समझता हूं कि हमारे हक को छीन रहें हैं। आप जानते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण सवाल है और इसके ऊपर आज ही इसी वक्त विचार होना चाहिये। जब आये दिन प्रदेश के अन्दर इस तरह के कार्य हो रहें हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके वे रक्षक न होकर भक्षक हो रहें हैं तो ऐसी हालत में हमारा क्या कर्त्तव्य हो जाता है? हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार के गैर-कानूनी कार्यों का विरोध करें और जबरदस्त विरोध करें।

श्री अध्यक्ष—

बयान तो हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बयान तो दूसरे दिन होगा। आज सवाल यह है कि दफा १४४ के अन्तर्गत जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उनको पहले इसकी नोटिस देना चाहिये था। वहां सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग जमा थे, उन्होंने सभा की, और सभा बरखास्त होने के बाद सब लोग अपने-अपने घर गये और फिर रात में गिरफ्तारी की गयी। आप वकील है, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तरह की बातें क्यों प्रदेश में होने दे रहे हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इस प्रदेश की पुलिस इस प्रकार के कार्य तेज कर रही है, इसलिए इस प्रश्न पर आज ही इस सदन में बहस होनी चाहिए। अगर इस पर आज सदन में विचार नहीं हुआ तो इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान होगा और उन लोगों का नुकसान होगा जो जनतांत्रिक भावनाओं को इस उत्तर प्रदेश में कायम रखना चाहते हैं। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूं कि इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कीजिए और इस पर आज ही बहस कराइए।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, जैसा कि हमारे माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा, सचमुच यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम सब लोगों के लिए है और विशेषकर विरोधी दलों के लिए है। यह हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

मौलिक अधिकार का प्रश्न है। आप श्रीमन्, वकील हैं और आप भी जानते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कानून का इस्तेमाल करते हैं, अगर कहीं दंगा या शान्ति भंग होती है या कोई ऐसी चीज हो रही है जो नियमों के विरुद्ध है। अब एक बात मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि सदन में बड़े-बड़े वकील हैं और हर समय यदि कानून का सहारा लिया जाय तो मैं समझता हूं कि यहां बैठा हुआ हर आदमी गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन क्या हमारे माननीय मन्त्री जी ने कभी इस पर सोचा है? माननीय पांडेय जी ने कहा कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कानूनी हक है उसके ऊपर यह आघात है। अगर हर आदमी के मन में इसी तरह का भाव हो और वह उसका प्रकटीकरण करने लग जाय तो यह कहां तक औचित्य है कि आप उनको घटना-स्थल पर तो न पकड़ें और जब वे घर चले जायं तब उनको पकड़ लिया जाय?

श्रीमन्, आपके सामने मैं क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड से हाई कोर्ट की एक रूलिंग पढ़ रहा हूं जिससे स्थिति साफ हो जायगी। वह इस प्रकार है—

"It is the duty of the magistrate to protect lawful rights if they can, rather than to muzzle them and to restrain by the means within their power, unlawful interference with lawful rights."

यह मैं आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता था कि जो मौलिक अधिकार है उसका प्रकटीकरण समाज के सामने किया जाय तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है। अगर शान्ति व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका हो, या उसमें किसी प्रकार की बाधा डाल रहे हों तब तो आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वे न तो किसी चीज में बाधा डाल रहे थे और न कोई गड़बड़ी ही कर रहे थे, फिर क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? कल इन पर आई है, परसों हमारे ऊपर आएगी। आपने यह सोच लिया है अपना विवेक न इस्तेमाल कर के कि विरोधी पक्ष आपकी मर्जी के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। मेरा निवेदन है कि आज ही इस पर बहस होनी चाहिए, बाद में सब मामला गड़बड़ हो जायगा। बेलेबिल आफेन्स है, पता नहीं छोड़ ही दें बिना किसी आपत्ति के। इसलिए पहले विवाद हो जाय कि सचमुच एसा क्यों हुआ और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए गृह मंत्री व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—

मुश्किल यह है कि इस समय कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। गृह मन्त्री कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जिस समय नेता विरोधी दल भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आप भी वकील हैं तो माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि वह भी वकील हैं। वह शायद "चौवन्निया वकील" रहे हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, रात को जुलूस निकला और अगर १४४ तोड़ने के अपराध में उनको गिरफ्तार किया गया तो उसी वक्त क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? पुलिस का निकम्मापन था ऐसी बात नहीं है। सोच समझ कर तय करके रात को १ बजे गिरफ्तार किया जाता है। डाक्टर बशीर तथा लोहिया साहब को भी गिफ्तार किया गया। इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि डी० आई० आर० का मिस्यूज नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिस्यूज होना शुरू हो गया है। आफेन्स कमिट किया था तो उसी वक्त गिरफ्तार किया जाना चाहिये था न कि रात के १ बजे प्लान बनाने के बाद गिरफ्तार किया जाता।

श्री अध्यक्ष--

१६ तारीख को मिनिस्टर साहब डाक में खड़े होंगे तब पूछ लीजियेगा।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

यह विषय महत्वपूर्ण हैं और लखनऊ का लोकल मामला है। इसलिये मेरा आग्रह यह है कि मंत्री जी आज ही बयान दें और अगर इस समय देना मुमकिन न हो तो शाम तक दे दें।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत यह भी संभव है कि जिस दिन सूचना प्राप्त हो उसी दिन सायंकाल को मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकत हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह--

अभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसलिये कि सामूहिक रूप से १४४ को तोड़ा गया। इसलिये आज तो मैं किसी भी हालत में कोई वक्तव्य नहीं दे सकता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और कितनी होंगी। यह सरकार तो तुली हुई है ऐसे कदम उठाने के लिये जिनसे जन आन्दोलन कुचल जायं। उसम किसी को कोई भ्रम नहीं है कि गिरफ्तारियां होंगी और बहुत सी होंगी और इस तरह से नाजायज कानून का भी इस्तेमाल होगा। लकिन प्रश्न यह कामरोको क जरिये उठाया गया है और उसे आपने नियम ५२ में स्वीकार कर लिया है। नियम ५२ में अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न होता है और नियम ५२ क अन्तर्गत आपकी र्होलिंग ह कि कम स कम समय म जल्दी से जल्दी सूचना मंत्री को मंगा कर सदन को देना चाहिये। आम तौर से मंत्रिगण नियम ५२ के प्रश्न से संबंधित सूचना टेलीफोन से, वायरलेस से या मैसेंजर भेज कर मंगाते हैं। लेकिन यह वाकया लखनऊ के अन्दर हुआ है, कल रात को गिरफ्तारी हुई है। आप प्रिजम्पशन के लिये एलाऊ नहीं करते है। इस समय सवाल उठाया गया है कि जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनके संबंध में बता दें कि ये गिरफ्तारियां क्यों की गईं। ऐसी दशा में जब मीटिंग की, जुलूस निकाला, उस समय इनकी पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन रात को हमला करके गिरफ्तारियां कीं। मेरा कहना यह है कि आप माननीय गृह मंत्री जी को आदेश दें कि वे सूचना प्राप्त करके सदन को अवगत करायें क्योंकि सदन चार दिन के लिये छुट्टी पर जा रहा है। यह अविलम्बनीय प्रश्न है इसलिये माननीय गृह मंत्री सूचना शीघ्र प्राप्त करके सदन को बतायें। जो घटना घट चुकी है उसके बारे में बता दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी फरमा रहे हैं कि अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनके बारे में बता दें। ये तो हमको गिरफ्तार ही करेंगे, न खाना द पायेंगे, न नौकरी दे पायेंगे और न हमें दवा ही दे पायेंगे। ये गिरफ्तार करेंगे इसकी हमें चिन्ता नहीं है। लेकिन इस समय जो कामरोको प्रस्ताव पेश है उस पर आप बहस कराइये। हम जनता के भेजे हुए यहां आये है, इसलिये हम अपनी बात जरुर कहेंगे। सभा हो गई, भाषण हो गये और जुलूस निकाला गया, लेकिन मंत्री जी की पुलिस ने कुछ नहीं किया लेकिन रात में गिरफ्तारियां कीं। इससे प्रदेश की जनता को मालूम हो गया कि यहां की पुलिस कैसी कार्यवाही कर रही है। आप सदन का काम रोक दें और इस पर तत्काल बहस करायें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं एक ही वाक्य कहूंगा कि बिहार के गृह मंत्री की गलती की वजह से सारे बिहार प्रदेश में उत्पात हो गया। मैं चाहता हूं कि वह गलती हमारे प्रदेश के गृह मंत्री न दोहरायें जिससे तूफाने बदतमीजी पैदा हो। इस स्थिति को ध्यान में रखकर वे गलती न करें। डाक्टर लोहिया की गिरफ्तारी से सारे प्रदेश में विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। वे उत्तर प्रदेश से संसद के सदस्य हैं। उनकी गिरफ्तारी ने लाखों जन मानुष को झकझोर दिया है।

श्री हरगोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि हमारे अफसरान इस समय किसी जगह पर मौजूद नहीं होंगे और इस वक्त हम कोई स्टेटमेन्ट नहीं दे सकते।

श्री झारखण्डे राय—

श्रीमन्, हम इसका घोर विरोध करते हैं और अपने दल के सहित सदन का परित्याग करते हैं।

(कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री जी चाहते हैं कि इस प्रदेश में सारे कानून कायदे खत्म हो जायं। इसीलिए वे चाहते हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वे वैधानिक हैं या अवैधानिक हैं, उस पर विचार न हो सके। पुलिस के लोग गलत काम कर लें; इसके बाद मामला हाउस में पेश हो। इसलिए उनके रवैये के खिलाफ हम लोगों को बड़ा दुख है और उसको बदलने के लिए हम लोग ५ मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों ने सदनका परित्याग किया।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं आप से इस विषय पर स्पष्ट व्यवस्था चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री ने अभी कहा कि गिरफ्तारी हुई हैं और अभी हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि पूरे वाकयात की जानकारी मन्त्री महोदय को है। मैं आपसे उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि गिरफ्तारी सम्बन्धित जानकारी होते हुए भी वक्तव्य न देने का क्या कारण है। आज शाम तक ही आपके द्वारा मन्त्री जी से वक्तव्य न दिलाने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में यह है कि सम्बन्धित मन्त्री उस दिन किसी समय या अन्य दिन वक्तव्य दे सकेंगे, तो मुझे मजबूर करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कहते हैं मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसलिए वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, बात यह है.....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है?

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं उसी पर आता हूं, जब माननीय गृह मन्त्री यह कहते हैं कि मुझे स्थिति का कुछ ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है.....

श्री अध्यक्ष—

नहीं कहा है कि पूर्ण ज्ञान नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—

पूर्ण ज्ञान न सही। यह सदन में प्रश्न उठ चुका है कि कई माननीय सदस्यों की गिरफ्तारियां हुयीं, सोशलिस्ट पार्टी के और बहुत सी पार्टियों के नेता गिरफ्तार हुए और हो रहे हैं। तो यह जो अव्यवस्था पैदा होने जा रही है इसके फलस्वरूप और कल से ४ दिनों के लिए हाउस बन्द रहेगा। तो आपको इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि आप उपाय कर सकते हैं कि अव्यवस्था न उत्पन्न हो तो अच्छा हो। मेरा विचार है कि ऐसी स्थिति के लिए आपको विशेष अधिकार हैं और इस समय आप उन अधिकारों का प्रयोग करके इस पर वक्तव्य दिलायें और मन्त्री जी को समझायें कि वह शाम तक अवश्य वक्तव्य दे दें और यदि इन्हें नहीं मालूम है तो यह गृह मन्त्री होने के योग्य नहीं हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी, बिजनौर, के कार्यालय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

नियम ५२ के अन्तर्गत, श्रीमन्, मेरी भी एक सूचना मेरे यहां के बारे में थी, जो अनावृष्टि हुई है और जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है, जो पानी नहीं बरसा और फसल ऊंची हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

नियमों का ज्ञात होते हुए भी, नेता विरोधी दल' आप ऐसा कहते हैं। केवल वक्तव्य के लिए मैंने दूसरा स्वीकार किया है। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय व रामकिंकर जी आदि बहुत से माननीय सदस्यों की ओर से दिया गया है, जो जिला बिजनौर के बारे में है और इस प्रकार है—

"जिला बिजनौर के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को श्री कृष्णदेव शर्मा आदि ने ताला बन्द कर जिलाधीश बिजनौर के पास इस आशय की दरख्वास्त १९ जुलाई, सन् १९६५, को दी कि मैंने कांग्रेस कार्यालय में ताला इसलिए बन्द कर दिया है कि वहां पर कांग्रेस के फर्जी मेम्बर समय के बाद जमा किए जा रहे हैं। जिलाधीश ने १९ जुलाई, १९६५ को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को नोटिस देकर अपने कोर्ट रूम में बुलाया जहां पर स्थानापन्न पुलिस कप्तान, जिलाधीश तथा एक अन्य डिप्टी कलेक्टर मौजूद थे और उनसे एक ओर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन मांगा और दूसरी ओर उनसे कहा कि आप यदि ताला खोलेंगे तो न्याय व्यवस्था स्थापित करने हेतु हमें कदम उठाना पड़ेगा। अतः इस प्रकार १९ तारीख से आज तक जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कुछ बलवाइयों ने बलपूर्वक अपना कब्जा कर रखा है और जिला कांग्रेस के अधिकारियों को दफ्तर से बाहर कर दिया है।"

मन्त्री जी, कब आप इस पर अपना वक्तव्य दे देंगे?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

उसी दिन इसका भी दे देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, एक जानकारी चाहता हूं वह किस पार्टी से सम्बन्धित चीज है, जो स्वीकार हुई है?

श्री अध्यक्ष---

यह जिलाधीश के खिलाफ शिकायत है कि वह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कुछ आदरणीय सदस्यों को घुसने नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार से वह अधिकारी उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, जिसकी वजह से क्षोभ है।

(श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

अब इसमें बहस की क्या बात है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

यह तो एक पार्टी विशेष से सम्बन्धित चीज है और इस पर आपने वक्तव्य दिलाया है, यह तो उचित नहीं है जबकि मेरा सार्वजनिक हित में प्रश्न था।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

नियम ५२ के बारे में मेरा यह है.....

श्री अध्यक्ष---

पहले आप बैठ जाइए, फिर मैं आपको सुनूंगा।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक खाद के अभाव तथा वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)---

अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि प्रदेश में उर्वरक का अभाव महसूस किया जा रहा है जिससे कृषकों के कृषि उत्पादन कार्य को क्षति पहुंचने की सम्भावना है। अभाव का मुख्य कारण प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य का न मिलना है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका में हड़ताल हो जाने के कारण उर्वरक आयात में कमी हो गयी जिसकी वजह से आवश्यकता के अनुसार कोटा राज्य सरकार को प्राप्त न हो सका। अतएव यह कथन सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के ऋण की अदायगी न होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में प्रदेश को खाद नहीं मिल पायी है। केन्द्रीय सरकार की ऋण की अदायगी महालेखापाल द्वारा बुक ट्रांसफर से की जाती है और हर किस्त बराबर अदा की जा रही है।

अलीगढ़ जिले में प्रथम त्रैमासिक कोटा २०,००० टन का किया गया था परन्तु केवल १०,००० टन प्राप्त हो सका। अन्य सघन कृषि विकास क्षेत्रों वाले जिलों में ७०,००० टन त्रैमासिक कोटा दिया गया था पर वहां भी ५० फीसदी प्राप्त हुआ है। बाराबंकी जिले को इन सघन कृषि विकास क्षेत्र में न होने के कारण २,००० टन कोटा दिया गया। यह आदेश केन्द्रीय सरकार के थे कि सघन कृषि विकास क्षेत्रों को उर्वरक देने में प्राथमिकता दी जाय और उसी आदेश के अनुसार वितरण किया जा रहा है।

इस विषय में २९ जून, १९६५, को मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के खाद्य मन्त्री को एक अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा सूचित किया कि इस प्रान्त में उर्वरक की बहुत कमी है और व्यक्तिगत प्रार्थना है कि इस प्रान्त का कोटा बढ़ाया जाय। आशा की जाती है कि इसके फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रदेशीय सरकार के कोआपरेटिव, केन और कृषि विभागों पर केन्द्रीय सरकार का कितना ऋण है जो अब तक अदा नहीं किया गया है ?

श्री गेंदासिंह---

यहां से पूरे कोटे की मांग की जाती है और फिर प्रादेशिक स्तर पर उसका बटवारा किया जाता है। इस वर्ष के लिए ८ लाख टन का कोटा मांगा गया है, लेकिन वहां से जो स्वीकार हुआ है वह केवल ६ लाख २७ हजार मी० टन है। उसमें पहली तिमाही में १ लाख ४ हजार मी० टन मिलना चाहिए था, लेकिन केवल ४४६४७ मी० टन मिला और दूसरी तिमाही में १ लाख १ हजार ५० मी० टन मिलना था, लेकिन मिला सिर्फ ५ हजार १६६ मी० टन।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि कोआपरेटिव, केन और कृषि पर कितने रुपये ऋण के खाद के रूप में हैं जिसे प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार को देना है ?

श्री गेंदासिंह---

उसके लिए बुक एन्ट्री होती है। नकदी रुपया केन्द्रीय सरकार को हमें नहीं देना पड़ता है जो कुछ भी रुपया सरकार पर आयद होता है वह एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से बुक एन्ट्री द्वारा एडजस्ट हो जाता है। कोई बकाया प्रदेशीय सरकार के ऊपर नहीं है।

श्री रामाकशोर त्रिपाठी---

मैं बुक एन्ट्री के बारे में जानना चाहता हूं कि उससे आपका क्या मतलब है, रुपया तो देना होता है ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप बता दीजिए।

श्री गेंदासिंह---

इतनी ही जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय सरकार पर इस मद की कोई रकम नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने टन रासायनिक खाद की आपको जरूरत है और आप कितने की मांग करते हैं।

श्री गेंदासिंह---

सब बातों को ध्यान में रखकर यहां से ६,२७,४०० मी० टन की मांग की गई है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इस बात को देखते हुए मैंने नियम ५२ में स्पष्ट लिखा था कि ८ करोड़ केन कोआपरेटिव का, लगभग १ करोड़ कृषि विभाग का बाकी है। अब मन्त्री जी कहते हैं कि कुछ बाकी नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रुपया प्रदेशीय सरकार के यहां किस तरह से एडजस्ट होता है।

श्री गेंदासिंह---

हमको लगता है कि माननीय रामकिशोर जी को कुछ गलतफहमी है। केन्द्रीय सरकार का प्रदेशीय सरकार के ऊपर फर्टीलाइजर के सिलसिले में कोई बकाया नहीं है।

श्री बलवानसिंह—

सूबे में १० करोड़ मन खाद की जरूरत है। आपने केन्द्रीय सरकार से १० करोड़ मन में कितनी मांग की है ?

श्री गेंदासिंह—

हमने ६ लाख २७ हजार मी० टन की मांग की है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं कृषि मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल में रासायनिक खाद की कितनी खपत रही है और इस वर्ष कृषि मन्त्री जी उसके अनुपात में कितनी बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—

यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि पिछले ३ वर्ष में जितनी खपत हुई है उससे अधिक मांग की गई है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो यह आपने मांग की है उसमें अलग-अलग कौन-कौन सी किस्म की खाद है और उसको पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, इस वर्ष की मांग यह है कि:

	मी० टन
अमोनियम सल्फेट	३९,०००
यूरिया	३५,०००
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	३३,४००
कै० अमोनियम नाइट्रेट	२,५०,०००

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

जिन किसानों ने कोआपरेटिव सोसाइटी से ऋण लिया था उनको ३३ फीसदी खाद अनिवार्य रूप से दिया गया था। उन पर उसी दिन से सूद लगना आरम्भ हो गया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा करेंगे कि जब उनको खाद दिया जाय तब उस रुपए पर सूद लगना शुरू हो ?

श्री गेंदासिंह—

यह प्रश्न दूसरी तरह का है, इसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं इस पर तैयार नहीं हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

सूखा पड़ रहा है और पानी बरसा नहीं है तो आप इस रासायनिक खाद को मंगाकर क्या करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं।

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो खाद देहातों में भेजा जायगा उसके ट्रान्सपोर्ट चार्जेज विभाग बरदाश्त करेगा या किसान बरदाश्त करेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

यह प्रश्न भी पूछा नहीं गया था, तो इसके लिए तैयार नहीं होकर आया हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जितनी रासायनिक खाद की उन्होंने मांग की है वह उनको मिलने वाली नहीं है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए वह क्या सोच रहे हैं और क्या विशेष रूप से वह इस पर विचार करेंगे कि इस प्रदेश से जो खली बाहर को एक्सपोर्ट होती है जिसका खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, उसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाय ? इसकी सरकार से सिफारिश करेंगे ?

श्री गेंदासिंह---

रासायनिक खाद की कमी को पूरा करने के लिये कंपोस्ट की चेष्टा की जा रही है, दूसरे हरी खाद की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और तीसरी बात जो भानुप्रताप जी ने कही, वह तो स्टेट बोर्ड आफ ऐग्रीकल्चर में हैं और उनकी सलाह की बड़ी वकत है खेती-बारी के मामले में, जैसी वहां वह सलाह देंगे उस पर विचार किया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

बाहर की खाद तो फारेन एक्सचेंज के कारण पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि हमारे देश और प्रदेश में सबसे उचित खाद गोबर की खाद है, तो सरकार गोबर की खाद को सुरक्षित रखने के लिये क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री गेंदासिंह---

जितनी भी चेष्टा की जा सकती है कि गोबर की खाद इस्तेमाल हो सके उसके लिये यत्न किया जा रहा है और जो गोबर आज जलाने के काम में खर्च किया जाता है उसको बचाने की चेष्टा की जा रही है ताकि वह बचा कर खेतों में डाला जा सके ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि पिछले साल १५ हजार मन रासायनिक खाद का प्रयोग बाराबंकी जिले में हुआ था और इस साल २ हजार टन ही कोटा उसके लिये दिया गया है, क्या वहां की आवश्यकता को देखते हुये वहां का कोटा बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री गेंदासिंह---

यदि खाद मिल सकी तो जरूर इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जितनी आवश्यकता हो वहां उतनी खाद दी जाय ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जहां पैकेज प्रोग्राम हैं उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाय, तो क्या मंत्री जी इस आदेश और खाद की शार्टेज को देखते हुये सभी जगहों पर रासायनिक खाद बराबर देने की कृपा करेंगे ताकि वह सभी को बराबर मिलती रहे ?

श्री गेंदासिंह---

सबका ध्यान रख कर ही प्रबन्ध किया गया है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश की तैयार की हुई खाद दूसरे प्रदेशों में बिकती है और दूसरे प्रदेशों की खाद यहां बिकती है और इस तरह से ट्रांसपोर्ट की कीमत उस पर बढ़ जाती है ?

श्री गेंदासिंह---

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)---

इस प्रदेश के अन्न संकट को देखते हुये और इस बात को देखते हुये कि खरीफ की फसल वर्षा न होने के कारण नष्ट हो गयी है और रबी की फसल शुरू होने वाली है क्या मंत्री जी कोई कदम उठायग कि रबी की फसल क लिय वह जल्दी से जल्दी किसान के पास तक उर्वरक पहुंचा सकें ?

श्री गेंदासिंह---

श्रीमन्, उर्वरक प्राप्त करने के लिये बराबर जो भी प्रयत्न किये जा सकते हैं वह किये जा रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भी तथा औरों के द्वारा भी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचना के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

श्रीमन्, राष्ट्रीय झंडे के प्रति यदि कहीं कोई अपमान होता है तो वह बड़ी शर्मनाक बात है। हमारे जिले एटा में घंटाघर में इसी प्रकार की घटना गत कई वर्षों से होती आ रही है। यहां सदन में कई बार प्रश्नों के उत्तर में यह बताया भी गया है सरकार की ओर से कि पार्टी का झंडा वहां नहीं फहराया जायेगा। माननीय शारदाभक्तसिंह जी के प्रश्न के उत्तर में भी यही उत्तर मिला था। वहां के जिलाधीश को भी इसके लिये आदेश दिये जा चुके हैं। किन्तु फिर भी ९ अगस्त को वहां की नगरपालिका ने यह प्रस्ताव पास किया है कि वहां पर पार्टी का ध्वज भी फहराया जायेगा .....

श्री अध्यक्ष---

आपकी सुविधा के लिये अब मैंने यह किया है कि हर नियम ५२ की सूचना को मैं माननीय मंत्री जी क पास भज दता हूं। हर सूचना को यहां तो स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या मेरा प्रस्ताव भी माननीय मंत्री के पास आपने भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष---

जी हां, आप मंत्री जी से मिल लें।

प्रदेश में खाद्यान्नों और उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव तथा उनके मूल्यों में वृद्धि के विषय पर विवाद (क्रमागत)†

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस सम्बन्ध में काफी बहस हुई। माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया और जो बातें इस माननीय सदन के समक्ष रखी हैं उनके पीछे शक्ति है, उनके पीछे तथ्य हैं, बहुत स्पष्ट हैं और मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं। सरकार की खाद्य नीति के सम्बन्ध में जो कमियां बतलायी गयी हैं उनके सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्री जी प्रकाश डालेंगे। आपके माध्यम से, श्रीमन्, मैं कुछ बातें माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। खाद्यान्न की काफी कमी इस प्रश में है और रहेगी और मेरा खयाल है कि काफी दिनों तक रहेगी। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ फैसले लिये गये हैं, तथा सरकार खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने जा रही हैं इस पर माननीय खाद्य मंत्री प्रकाश डालेंगे। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्यान्न की कमी का सम्बन्ध कई विभागों

---

†१० अगस्त, १९६५, की कार्यवाही से।

से है, और खाद्यान्न की कमी की पूर्ति में और विभाग क्या योगदान करते हैं इस पर भी खाद्य मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे। मेरा अपना विचार है, श्रीमन्, खाद्यान्नों के उत्पादन में कई जगह काफी कमी है और खाद्यान्नों के अधिक उपजाने के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार अच्छे तरीके से सावधानी बरतती नजर नहीं आती। मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश की करोड़ों एकड़ जमीन आज भी सिंचित नहीं है और उससे सरकार की योजनाबद्ध कार्यवाही से इस प्रदेश को अभी १५ वर्षों तक पानी मिलने की संभावना नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि माईनर इर्रीगेशन को जीवन दिया जाना चाहिये। श्रीमन्, खरीफ की फसल पूरी तबाह हो गई है और पानी न मिलने के कारण रबी की फसल भी न बोई जा सकी तो इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता क खाद्यान्न का क्या प्रबन्ध खाद्य मंत्री महोदय करेंगे। शहरों का इंतजाम खाद्य मंत्री महोदय ने कर दिया है लेकिन इस खरीफ की फसल मर जाने से दूर-दूर कोने-कोने के गांवों पर इसका असर पड़ेगा। हर किसान काश्तकार के पास इतना भोजन नहीं है। अगर खरीफ की पूरी फसल मर गई तो भूखा मरेगा। अगर आपने शहरों का इन्तजाम किया है तो गांवों में आपके वितरण की प्रणाली क्या होगी।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव, पीठासीन हुये।)

आप कैसे गांवों के मजदूरों को भोजन देंगे? उन मजदूरों का, जिनके पास अपनी खेती नहीं है, उनके भोजन का आप क्या प्रबन्ध करेंगे? आज यह पहेली बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब-जब आपने खाद्य वितरण का प्रबन्ध किया है आज तक भी आपने उस गरीब काश्तकार का, मजदूर का जिसके भोजन का ठिकाना नहीं है, क्या प्रबन्ध किया है। आपके स्टेटमेंट से, आपके बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उस तरफ आपकी बिलकुल तवज्जह नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस गांव के काश्तकार के पास जिसके पास अलाभकर जोते हैं, जिनके भोजन का ठिकाना नहीं, अगर खरीफ की फसल मारी गई तो रबी की फसल पर भी इसका असर पड़ेगा, उनका क्या होगा? उत्तर प्रदेश की आठ करोड़ जनता में कितने आदमी भोजन चाहते हैं, यह देखना भी आपका कर्तव्य है। आप शहरों को तो भोजन दे दें और गांव वाले भूखों मरें, ऐसा नहीं होना चाहिये। इस विषमता को आपको दूर करना चाहिये। श्रीमन्, उन गरीब खेतिहर मजदूरों की जिनकी तादाद आज लाखों के करीब हैं, उनके भोजन का क्या इन्तजाम होगा? केवल शहरों के लोगों को भोजन दे देने से आपकी खाद्य समस्या की पूर्ति हो जाय, यह बात बिलकुल उलटी है। भोजन आपको उसको देना है जिसके पास भोजन नहीं है और शहरों में भी आपकी जो नीति है उससे मैं असहमत हूं। शहरों में भी सैकड़ों रुपये तनख्वाह पाने वाले उतना ही राशन पाते हैं जितना कि भैंस की तरह गाड़ी खींचने वाला मजदूर पाता है। वह मजदूर सिर्फ अन्न पर ही रहता है। शहरों में जो मजदूर सिर्फ अन्न पर रहता है और इसके विपरीत जो लोग अनाज के साथ दूध, फल, सब्जी खाते हैं उनके बराबर आपने बिलकुल एक पल्ले पर शहर को भी नाप रक्खा है। तो, श्रीमन्, जिनके पास अन्न के अलावा दूध है, वेजिटेबिल्स हैं, अन्न के अलावा फल हैं, उनके राशन में कमी करें। जिनके पास फल नहीं, जिनके पास दूध नहीं और जिनके पास सप्लीमेंट करने के लिये भोजन के साधन नहीं, उनके राशन को बढाना होगा। ऐसे लोगों का राशन कम करना होगा जो और तरीकों से सप्लीमेंट कर लेते हैं।

देहात के सिलसिले में बात यह है कि देहात के लिये आपको एक फेहरिस्त बनानी होगी जिसमें उन किसानों के नाम होंगे जिनके पास अलाभकर जोतें हैं। अलाभकर जोतों की मुकम्मिल फेहरिस्त बनानी होगी और उस फेहरिस्त के हिसाब से भोजन की आपको व्यवस्था करनी होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी खाद्य मंत्री की सरकार पर है। इसके लिये दो तीन अन्य विभागों को मिलाकर खाद्य मंत्री जी को प्रयत्न करना होगा। अगर लोग भूखे रह तो जराइम बढ़ेंगे, ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ेगी।

[श्री जे० पी० मिश्र]

हम लोग जो फूड कमेटी के मेम्बर हैं उन्होंने जनता से वायदा किया है, उसको आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बिलकुल फर्जी साबित रहा है। सरकार ने हम को आश्वासन दिया था, उससे सरकार हटी है। इस समय सूखा की परिस्थिति है, उसमें सरकार अगर अपने आश्वासन से हट गयी तो भुखमरी फैल जायगी और सितम्बर अक्तूबर के महीने जनता के लिये घातक सिद्ध होंगे। १९६३ रबी की फसल को पाला मार गया था और अब खरीफ की फसल सूखे के मारे मर गयी है। इसलिये आपको काश्तकार की हर तरह से मदद करनी चाहिये। अभी तक काश्तकार ने ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने पैदा नहीं किया है। सूखा में अब काश्तकार के लगान का प्रश्न आता है। उसे भी आपको देखना है। खाद्यान्न मंत्री जी की अगर सिंचाई विभाग का सहयोग हो जाय तो लाखों बीघा भूमि सिंचित होकर खरीफ की फसल हो सकती है। प्रदेशीय सरकार की सारी जिम्मेदारी है। अभी तक प्रदेशीय सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है जिससे काश्तकारों को किसी किस्म की राहत मिलने की बात हो। आज काश्तकार की परिस्थिति बहुत गम्भीर है। उसकी दिक्कत को दूर करने के लिये आपको तत्काल लगान की माफी करनी होगी। इस समय खरीफ की सिंचाई का पैसा आपको बिलकुल माफ करना होगा। इस समय जितनी जमीन में सिंचाई हो सके उतनी सिंचाई आपको तत्काल माफ करना चाहिये, तभी किसान को अधिक अन्न पैदा करने का उत्साह हो सकता है। अब तक सरकार ने काश्तकार को किसी किस्म की राहत नहीं दी है। सारे लोगों की तनख्वाहें बढ़ गयीं और सारे काम हो गये, लेकिन आज इस सूखा के कारण किसान की रोटी का ठिकाना भी नहीं रहा है। सूखा की वजह से सारी फसल तबाह हो गयी है। इसलिये सिंचाई और लगान की माफी का ऐलान तुरन्त होना चाहिये। जिन लोगों की पूरी फसल मारी गयी है उनके भोजन का इन्तजाम आपको करना होगा और किसान अबकी बार इतना अन्न पैदा न कर सकगे कि अपना पेट भर सकें क्योंकि खरीफ तबाह हो रही है और ऐसी हालत में शहरों की तरह उन के भोजन की जिम्मेदारी भी आप पर आयेगी। अगर उनको भोजन न मिल सका तो सूबे की परिस्थिति अगर गंभीर हो जाय और एक अनजाना संकट खड़ा हो जाय, तो कोई ताज्जुब न होगा। मैं चाहता हूं कि यह जो विरोधी दलों के लोग हैं उस संकट का नाजायज लाभ न उठा सकें। खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिये आप कहीं न कहीं से उनको भोजन दें और उनका प्रबन्ध करें। यही मेरा निवेदन है और आशा है कि सरकार मेरी बात पर तवज्जह करेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज सदन में जो समस्या विचार के लिये उपस्थित है उसकी गम्भीरता को मैं समझता हूं और सदन के ९९ प्रतिशत माननीय सदस्य महसूस करते हैं और खास तौर से जो लोग गांवों से आते हैं और जहां लोगों का जीवन केवल किसानी पर ही निर्भर है वह आज एक बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं। बमुकाबले हमारे नेगी जी, माननीय राममूर्ति जी, माननीय बनारसीदास जी, और मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी जी के। आज वह यहां नहीं हैं और हम तकलीफ में हैं कि आज जबकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर वाद-विवाद हो रहा है ऐसे वक्त में उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और मंत्रिगण ऐसे विषय में योगदान देने में तत्पर न हों और इधर और उधर के माननीय सदस्यों के विचार सुनना न चाहते हों और क्या कार्यवाही मंत्री जी इस पर करेंगे यह सब भी जब अंधेरे में ही हो तो ऐसा मालूम होता है कि इस बहस पर सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है। फिर भी आप जानते हैं कि हम सबने तो यही सीखा है कि कोई सुने या न सुने, मंत्री सुनें या न सुनें, सरकार सुने या न सुने, लेकिन हम सुनायेंगे और सुनाकर ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे जिससे सरकार को हम सही कदम उठाने के लिये मजबूर कर सकें। हमारे सामने २ अगस्त, सन् ६३ और ७ अगस्त, सन् ६४ के दोनों वर्षों की तालिका सरकारी गल्ले के भावों की है। जब हम इसे देखते हैं तो मालूम होता है कि आज गल्ले की महंगाई और दूसरे सामानों की महंगाई केवल बनावटी है और इसका कारण इस सरकार की

नीति है। आप जानते हैं कि सरकार ने तालिका में दिया है कि प्रदेश में गल्ले की कमी नहीं है और जब ऐसी बात है तो कारण क्या है कि पारसाल के मुकाबले में इस वक्त गल्ले के भाव क्यों तेज हैं? पारसाल २ अगस्त को हरदोई में सबसे ज्यादा गेहूं का भाव था ८५.३५ प्रति क्विन्टल और ७ अगस्त, सन् १९६५ को सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ८५ रुपये क्विन्टल था। इसी तरह चावल साधारण का भाव ६४ रुपया प्रति क्विन्टल था वह १३० रुपये क्विन्टल हो गया। इस सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि इतनी तेजी से जो यह भाव बढ रहे हैं इसके २ कारण ह पहला तो यह है कि सरकार के संरक्षण में जो सूबे के बड़े बड़े धन्नासेठ हैं जिनके घरों में खत्तियां हैं और गोदाम हैं और जिन्होंने किसानों का सस्ता गल्ला ले कर भर लिया है और सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह उन से लेकर उपभोक्ताओं और किसानों को सस्ते दामों पर दिला सक। हमारे यहां मुट्ठी भर बड़े-बड़े किसान हैं उन से गल्ला लेने के लिये सरकार ने कौन सा कदम उठाया जखीरे-बाजी रोकने के लिये सभायें हुई, प्रदर्शन हुये, इधर के बैठने वाले तमाम लोग गिरफ्तारहुये, कानून भी बना लेकिन सरकार उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर वह पिछले सालों में चलती आ रही है।

श्रीमन्, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस रिपोर्ट में खाद्य मंत्री ने लिखा है कि हम जितना कोटा चाहते थे केन्द्रीय सरकार ने उतना कोटा नहीं दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह तो आप के घर की, कांग्रेस की लड़ाई है, पर इस बात स तो करोड़ों की जनता को खाना नहीं मिलेगा। हमें इस सवाल को उठाना है और इस मसले पर विचार करना है कि कैसे इस करोड़ों की जनता को खाना मिले। हमारी पार्टी, श्रीमन्, आज से नहीं सालों से इन सामानों की महंगाई को रोकने के लिये एक राय दे रही है कि जो सामान किसानों को दिया जाता है, उसके दाम निर्धारित करो। आप गल्ले के भावों को निर्धारित करो और जो कारखाने का बना हुआ सामान है, उसका दाम निर्धारित करो, अन्यथा यह महंगाई रुक नहीं सकती है। एक नहीं, हजार कोशिश आप करें, बिना इसके किये कुछ होने वाला नहीं है। हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि २ फसलों के बीच में एक सेर में एक आने से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये। अप्रैल के महीने में गेहूं का दाम ७०–७५ रुपये प्रति क्विन्टल से कम हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल, के महीने में जौ, गेहूं, चना और चावल का भाव क्यों कम हो गया। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप किसानों से गल्ला लेने की जब बात करते हैं तो २०–२२ रुपये मन की बात करते हैं, लेकिन जब किसानों को उस गल्ले की जरूरत होती है, वह मजबूर हो जाता है उस गल्ले को महंगे दामों पर लेने के लिये। आपके पास ताकत नहीं है कि आप सस्ते भाव से उन किसानों को महाजनों से गल्ला दिला सकें। हमारी पार्टी का कहना है कि एक सेर पर अधिक से अधिक १ आने का फर्क होना चाहिये। उस हिसाब से अगर गेहूं अप्रैल में १० रुपये प्रति मन बिका तो भादों, अगहन और पौष के महीने में जब कि किसान को जरूरत होती है इस सरकार को चाहिये कि वह महाजनों से लेकर अधिक से अधिक १२ १/२ रुपये मन के हिसाब से उन किसानों को दिलायें। उससे ज्यादा उसका भाव नहीं होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि इस प्रकार से दाम निर्धारित करे और जो महाजन उस भाव पर न बेचे उसे सरकार द्वारा गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा सकता है। क्या हमारी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान गया है? नहीं यही वजह हैं कि आज लूट है और महंगाई आसमान पर चढ़ रही है। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि कारखानों के बने हुये सामान का भाव लागत से ड्योढ़ा मत हो। आज जब कि इस सरकार से कहा जाता है कि तुम दाम तय करो तो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार की बस की बात है। केन्द्रीय सरकार को तो ठीक करने के लिये इधर के बैठने वाले संयुक्त समाजवादी पार्टी के लोग जम कर लड़ाई लेते हैं।

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं और शायद आपको भी जानकारी होगी कि मिट्टी के तेल की बोतल एक रुपया आठ आने तक में बिकी। आखिर इसका क्या कारण है? जहां से मैं आता हूं हमारे पूर्वी जिले में शीरा खाया जा रहा है। आज १० रुपये, १८ रुपये और १९ रुपये मन बिक रहा है। १९ रुपये मन भूसे का भाव है, फल यह हो रहा है कि सारे पेड़

[श्री रामसुन्दर पांण्डेय]

बिना पत्तों के होते जा रहे हैं और सारे उत्तर प्रदेश में हैजा फैला हुआ है। अभी मेरे पास एक तार आया बरहज बाजार, जिला देवरिया, से कि हैजा नहीं रुक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आदमी दो दिन लगातार उपवास करेगा, और उसके बाद उसको कटहल खाने को मिल गया या सत्तू खाने को मिल गया तो उसको खाकर वह बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? और अगर वह मर जाता है तो सरकार कह देगी कि वह बीमारी से मर गया, भूख से नहीं मरा। सारी जिम्मेदारी इस सरकार की है।

मैं कह रहा था कि कारखाने के सामान की कीमत लागत से ड्योढ़ी नहीं होनी चाहिये। तेल के कारखाने में तेल तैयार होता है, जो एजेन्सियां हैं, जो विदेशी कम्पनियां हैं सरकार उनका क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करती? लेकिन सरकार की पूंजीवादी नीति के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती। नतीजा इसका यह है कि आज झोपड़ियों में तेल का चिराग तक नसीब नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस मिट्टी के तेल की कीमत लागत ४ पैसा है वह डेढ़ रु० बोतल देहात में मिल रहा है। तपेदिक की सुई जो २ आने में तैयार होती है उसे आप १४ आने में बेचते हैं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी की सीमेंट ५ रु० १३ आना में १ बोरी तैयार होता है उसको आप महाजन को देते हैं ८ रु० कुछ आने में और वही सीमेंट ब्लैक में २५ रु० बोरी के हिसाब से मिलता है। यदि सरकार ने इसी तरह से खाद्यान्नों के सम्बन्ध में, कारखानों के बने हुए सामानों के सम्बन्ध में महाजनों को खुली छूट दी, तो यह लूट जारी रहेगी और महंगाई आसमान पर रहेगी। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि कारखानों के सामानों की कीमत तय करना और कीमतें गिराना तो दोनों कीमतों में संतुलन करना पड़ेगा तभी आदमी अपने दिल में महसूस करेगा कि हम भी रोटी खाने के हकदार हैं। लेकिन आज हालत क्या है? आप, श्रीमन्, गांव से आते हैं, परसों एक गांव में मैं गया था, डा० जेड० ए० अहमद साहब के निर्वाचन क्षेत्र का गांव है, वहां के लोगों से पूछा कि आपके गांव में क्या खाने-पीने की हालत है। उन्होंने कहा कि २, ३ घरों को छोड़ कर कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें दो वक्त खाना मिलता हो। चोटे का रस पीकर लोग काम करते हैं और हैजे के शिकार होते हैं। इस प्रदेश के हजारों गांवों में लाखों करोड़ों आदमी चोटे के रस पर अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं और गांव में ९० फीसदी घरों में दो वक्त खाना नहीं बनता। ऐसे नाजुक मौके पर यह सदन महंगाई के सम्बन्ध में विचार कर रहा है, प्रदेश की जनता आशा लगाये बैठी है कि सरकार इस भूख की समस्या का कोई हल निकालेगी। लेकिन मुझे तकलीफ है कि मुख्य मंत्री हाजिर नहीं, राजस्व मंत्री खुद कहते हैं कि वर्षा के अभाव में सारी फसल बरबाद हो गयी, वह भी मौजूद नहीं हैं।

एक और निवेदन कर दूं कि सरकार के लोग कहते हैं कि विरोधी दल कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देता। माननीय बनारसीदास जी इस पार्टी में बहुत दिन तक रहे हैं और उनकी राय को लेते हुए कुछ प्रस्ताव भी पारित होते रहेहैं, एक बार नहीं हजारों बार कहा गया है कि अगर आप चाहते हों कि यहां गल्ला बढ़े तो आपको २, ३ काम करने पड़ेंगे। पहला यह कि जो गल्ला किसान पैदा करता है उसको उसकी कमाई का उचित पैसा मिले। जब तक सरकार किसान को प्रोत्साहित नहीं करेगी तब तक किसान अच्छी तरह से गल्ला पैदा नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि हमने हजारों बार कहा कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ करो, तभी किसान समझेगा कि हमको अपने खेतों में अच्छा गल्ला पैदा करना चाहिये ताकि गाढ़े वक्त में खाने के लिये अन्न व अन्य कामों के लिये पैसा मिल जाय।

तीसरी बात यह है कि एक बार नहीं बल्कि हजारों बार सरकार से कहा गया कि किसानों के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं तथा सिंचाई कर की दर कम की जाय। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां सिंचाई के लिये इतना ज्यादा कर वसल किया जाता हो? आप बतलावें माननीय बनारसीदास या खाद्य मंत्री जी ही बतलावें कि इतना अधिक रेट कहां है? यहां सिंचाई का जितना रेट आपने रखा है इसका यही माने हो जाता है कि किसान अपने खेतों में ज्यादा गल्ला न पैदा करें।

हर किसान चाहता है कि वह अपने सब खेतों में सिंचाई का काम करे। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार वह किसान जिसने ६ बीघे खेत को बोया है, तो वह २ बीघे खेत की सिंचाई करके ४ बीघे खेत को क्यों छोड़ देगा। इसका कारण यही मालूम पड़ता है कि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने सारे खेतों की सिंचाई करे और सिंचाई करके ज्यादा गल्ला पैदा करे जिससे यह अपने घर को खाना दे सके और अपने प्रदेश के लोगों को खाना दे सके।

श्री अधिष्ठाता--

पांडेय जी, अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कम से कम १० मिनट। अगर आप चाहते हैं कि किसान ज्यादा गल्ला पैदा करे तो सिंचाई की दर कम कीजिये, साथ ही उसे सिंचाई के सारे साधन सुलभ कीजिये। कल नेगी जी ने कहा कि हमारे पास क्या सिंचाई के साधन हैं जो किसानों को दे सकें। अब सरकार को क्या कहा जाय ? अगर सरकार का एक मंत्री यह कहता है कि सरकार के पास ताकत नहीं है, जब सरकार खाना नहीं दे सकती है, सिंचाई के साधन नहीं दे सकती है, सारे खेतों में देने के लिये खाद नहीं दे सकती है और नयी जमीन तोड़ने के लिये अन्न सेना नहीं भर्ती कर सकती है, तो फिर इस सरकार के यहां रहने की जरूरत ही क्या है, क्यों सरकार यहां जबरदस्ती बैठी हुई है ? माननीय श्रीपति मिश्र चले गये, मैं कहता हूं कि जिस तरह से आपकी सिंचाई योजनायें चल रही हैं अगर उसी तरह से चलती रहीं तो १५ साल क्या २० सालों में भी उस स्कीम के अनुसार सारे प्रदेश के खेतों का सिंचन नहीं हो सकेगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह अन्न सेना की भर्ती करे और वे लोग जो खेतों में जाते नहीं हैं, अपने खेतों को पहचानते नहीं हैं, बीज क्या पड़ना चाहिये, इसे जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों के हाथों में खेत रखकर अगर आप गल्ला पैदा करना चाहते हैं तो वह होने वाला नहीं है। इसलिये ऐसे लोगों के हाथों से जमीन छीन लीजिये और खेतीहीन किसानों को दे दीजिये और गल्ले के दाम भी तय कीजिये।

राज्य व्यापार के लिये क्या कहूं, संकोच होता है, कहने में। केन्द्रीय सरकार ने और इस सरकार ने भी इस सदन में एक बार नहीं बीसों बार आश्वासन दिया और धमकी तक दी कि बड़े किसान और महाजन अपना गल्ला घोषित कर दें वरना उनके चूतरों पर बेंत लगेगी। माननीय नेगी जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कितने गल्ला व्यापारियों के चूतरों पर बेंत लगवायी। बड़े गल्ला व्यापारियों व महाजनों को तो बेंत नहीं लगवायी गयी, लेकिन उनकी वजह से करोड़ों आदमी जो किसान, भूमिहीन और मजदूर के रूप में हैं, उनके पेटों पर बेत अवश्य लगी। यह सरकार इस काबिल नहीं है कि वह बड़े-बड़े महाजनों से गल्ला छीन सके। आखिरकार इसकी वजह क्या है ? आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सदा से सरकार को सचेत करती रही है और पारसाल भी हमने १३ सितम्बर से २५ सितम्बर के बीच में सारे प्रदेश में एक दिवस मनाया था जिसमें बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, जेलखानों में भी गये, फिर भी सरकार को अक्ल नहीं आयी और इस तरफ उसका ध्यान नहीं गया कि करोड़ों आदमी जो उपवास करते हैं, उनके घरों में चूल्हे जलाने का इन्तजाम किया जाय।

आज पारसाल के मुकाबले में विकट परिस्थिति है। इस विकट परिस्थिति में हालत ऐसी बिगड़ती जा रही है कि अगर सरकार ने अपनी रीति में परिवर्तन नहीं किया तो गांव गांव में भोजन दंगा होगा और उस दंगे को रोकने में सरकार असमर्थ होगी। यह मैं मान सकता हूं कि हरगोविन्द सिंह तथा बनारसीदास की पुलिस इने गिने लोगों को जेल में बन्द कर सकती है लेकिन लाठियों और गोलियों के जरिये जिन लोगों के चूल्हे नहीं जलते हैं उनके दिलों को ठंढा नहीं किया जा सकता। लिहाजा यह सरकार इस प्रकार के रवैये को छोड़े।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

आपको बतलाना चाहता हूं कि अगस्त अथवा सितम्बर के महीने के बाद इस साल प्रदेश में भीषण अकाल पड़ने वाला है। अगली रबी की फसल के लिये जब ठीक से बीज नहीं पड़ेगा तो रबी की फसल नहीं होगी और उसका प्रभाव दो वर्ष तक रहेगा। पार साल ११ जून को वर्षा हुई और इस साल १५ जुलाई को वर्षा हुई। इस साल मुरादाबाद तथा बुलन्दशहर में तो थोड़ी वर्षा हुई थी लेकिन पूर्वी जिलों में, जहां वर्षा बहुत होती थी, इस साल वर्षा नहीं हुई। लेकिन देर से वर्षा होने के कारण जो अर्ली क्राप बोई गयी वह सूख गयी और अर्ली फसल सब बरबाद हो गयी। अगहनी धान पानी न बरसने से क्यारियों में पड़ा सूख रहा है। सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। चिन्ता है सोशलिस्ट पार्टी तथा विरोधी दल के लोगों को गिरफ्तार करने की। इससे करोड़ों लोगों की भूख नहीं मिट जायगी। लेकिन सरकार डाक्टर लोहिया को जो फर्रुखाबाद से संसद के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करती है और इसलिये गिरफ्तार करती है कि कई दिनों से वह प्रदेश में जो भूखों तड़प रहे हैं, इस देश में जो कच्छ का हिस्सा पाकिस्तान के सुपुर्द करके नापाक समझौता कांग्रेस सरकार ने किया है उस सबके खिलाफ जनता को आगाह कर रहे हैं और वह यह चाह रहे थे कि इस सब के खिलाफ जनता संघर्ष करे, जनमत इकट्ठा किया जाय। ऐसे व्यक्ति को इन कारणों से सरकार ने जेल भेज दिया। गांधी जी ने डाक्टर लोहिया तथा जय प्रकाश नारायण जी के लिये क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब तक डाक्टर लोहिया और जय प्रकाश जैसे देशभक्त गिरफ्तार हैं तब तक हम विदेशियों से बात नहीं कर सकते। जिन नेताओं की नस-नस में देशभक्ति हो ऐसे लोगों को जेल में बन्द करना, यह केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रद्रोह का काम किया है और सबसे पहले उनको छोड़ा जाय। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कल रात को क्या किया गया। लखनऊ में मंत्रियों की नाक के नीचे पुलिस ने क्या किया? यहां के मजिस्ट्रेट तथा पुलिस गलत काम करे और हरगोविन्द सिंह तथा सरकार के मिनिस्टर उसका समर्थन करें, इसके यह मानी हो जाते हैं कि आप पुलिस के जरिये इस प्रदेश में आग भड़काना चाहते हैं। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो बजे रात को घेरा गया, पकड़ा गया और आलमबाग थाने में रखा गया। थानेदार को फोन किया गया लेकिन वह कुछ बताने के लिये तैयार नहीं हैं, सिटी मैजिस्ट्रेट भी कुछ बताने के लिये तैयार नहीं हैं और अभी साढ़े तीन बजे शाम तक खाना दाना तक नहीं मिला है। इस तरह के गलत कायदे कानून उत्तर प्रदेश की सरकार इस्तेमाल करती है। मैं आपके द्वारा प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं और इधर के बैठने वाले जितने हमारे साथी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, कि इस महंगाई के सवाल को लेकर, कच्छ के सवाल को लेकर जुट जाइये। यह समस्या ऐसी है जिसके लिये सरकार को हटाया भी जा सकता है। भूख से तड़पती हुई जनता मरे, इसको इधर के बैठने वाले कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो भूखा होगा, नंगा होगा वह अपनी भूख की ज्वाला को बुझाने के लिये कानूनी, गैरकानूनी जो भी काम करेगा उसका हम विरोधी दल के लोग नेतृत्व करेंगे। कानून, श्रीमन्, सरकार तोड़ती है, धन्नासेठ तोड़ते हैं, बड़े किसान तोड़ते हैं; छोटे किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और ठेला चलाने वाले नहीं तोड़ते हैं। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि "बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्" भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता है? इन शब्दों के साथ मैं जनता से कहना चाहता हूं कि भूख से तड़प कर मरें नहीं बल्कि संघर्ष करके लाठी तथा गोली खाकर मरना चाहिये। वह शान की बात है और सरकार के खिलाफ जद्दोजहद करो।

*सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस विवाद के अन्दर मेरा कोई हिस्सा लेने का इरादा नहीं था, लेकिन सदन के अन्दर जो भाषण सुनने को मिले उनसे मुझे भी कुछ कहने की आवश्यकता हुई। आज जो हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न की समस्या है उसपर कोई रचनात्मक सुझाव न देकर जनता की परेशानी से आज जगह-जगह राजनीतिक कैपीटल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे देश के अन्दर अन्न की समस्या दुश्मन नम्बर एक है लेकिन भूख पर कविता करने से, आंसू बहाने से, हमदर्दी का इजहार करने से, कुछ लोगों में असन्तोष पैदा करने से और जनता का प्रदर्शन करने से इस समस्या का हल होने वाला नहीं है बल्कि यह समस्या और गम्भीर होने वाली है ।

श्रीमन्, माननीय रमेश्चन्द्र जी ने हिंदुस्तान की पावर्टी के ऊपर लिखते हुये लिखा है कि हिन्दुस्तान का बृटिश काल का इतिहास अकाल का इतिहास है । यही दादा भाई नोरोजी ने लिखा है । यहां दस-दस साल में अकाल पड़ता था । बिलारी में १८७५ में अकाल पड़ा जिसमें एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई इस अकाल में लोगों ने वृक्षों के पत्ते चबाये और पेड़ों की छालें खाई । आज हिन्दुस्तान की समस्या भिन्न हो गई हैं । १९५१ में हमारे प्रदेश के अन्दर ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी थी जो आज ८ करोड़ है । अगर हम प्रति व्यक्ति ६ छटांक की व्यवस्था करें तो सवा करोड़ टन अनाज की आवश्यकता है और आज भी हमारी कृषि ज्यादातर प्रकृति की बैगीरीज पर निर्भर करती है । इस साल का उत्पादन जरूरत के लिये काफी है जिसमें मटर, चना दाल वगैरह शामिल हैं। चना का निर्यात तो बन्द है, लेकिन मटर, दालें प्रदेश से बाहर चली जा रही हैं। आज जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे खाद्य की समस्या के हल होने की कोई भी सम्भावना नहीं है । आखिरकार किस प्रकार उत्पादन बढ़े ? अभी यहां पर कहा गया कि दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । हमारे प्रदेश में सन् ४६ में लड़ाई खत्म होने पर यहां के म्युनिसिपल टाउन्स में राशनिंग की व्यवस्था की गयी । तो उस वक्त किसने कंट्रोल के खिलाफ आन्दोलन किया था ? कौन सा दल था जिसने उस वक्त यह कहा था कि डिकंट्रोल एक रामबाण औषधि है । जगह जगह पर प्रदर्शन हुये । समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों ने आन्दोलन किये जिसकी वजह से कंट्रोल तोड़ने पड़े । आज कहा जाता है कि भाव बढ़ते चले जा रहे हैं । मैं पूछता हूं कि भावों को रोकने का क्या तरीका है । हमारे देश और प्रदेश के अन्दर स्टेटुटरी कंट्रोल किया जाय ? यही न है, कि स्टेट ट्रेडिंग की जाय । लेकिन अगर सरकार खाद्यान्नों पर नियंत्रण करना चाहती है जहां उत्पादन के स्रोत हैं चाहे सीमेंट के, चाहे कपड़े के, चाहे चीनी के उत्पादन स्रोत हैं उस पर नियंत्रण किया जाय । अनाज के लिये उत्पादक और खरीदार के बीच सीधा सम्बंध कायम हो और फिर हम भाव पर नियंत्रण करें । अगर गवर्नमेंट इसको सख्ती से करना चाहती है तो उसके लिये हमें बाजारों के अन्दर मानोपली प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा । क्या आप उसके लिये समर्थन करेंगे ? उस समय भी शोर मचायेंगे कि यह गलत काम सरकार कर रही है । फिर लेवी सिस्टम हो सकता है, यानी बाजार में जितना माल आवे उसको आढ़तिया खरीदे और उसमें कुछ परसेंटेज सरकार खरीद ले । अगर यह किया जाय तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे ? आप यह कहेंगे कि इसमें तो मंडियां अनियंत्रित तरीके से काम करेंगी । तो क्या आप चाहेंगे कि लेवी सिस्टम रखा जाय ? यह भी आप नहीं चाहते । तो फिर तीसरा तरीका रह जाता है प्रोक्योरमेंट का । उसके लिये अभी रामसुन्दर जी ने कहा कि बड़े किसानों से प्रोक्योर किया जाय । मैं पूछता हूं कि बड़े किसान कितने हैं और कितना माल उनसे मिलेगा ? जब प्रोक्योरमेंट होगा तब आप कहेंगे कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ है, यह किसानों के अधिकारों पर सरकार हमला बोलना चाहती है ।

दामों में पेरिटी की बात कही जाती है । यहां जिस वक्त सन् ५१ में के० एम० पी० पी० के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि डिकंट्रोल किया जाय । शकर का और दूसरी चीजों का हमने डिकंट्रोल किया । तो आप सब परस्पर विरोधी बातें कहते हैं । किया क्या जाय ? कहा जाता है कि दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । आज संसार भर में भावों के ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति है । अगर आप चाहते हैं कि यहां भाव निश्चित दायरे के अन्दर रहें तो सख्या के अन्दर रहें तो सख्ती के साथ नियंत्रण करना पड़ेगा ; और कोई रास्ता नहीं है । सोवियत रूस के अन्दर नियंत्रण हुआ । लेकिन भारत के अन्दर समाजवादी पार्टी, दूसरी पार्टियां और चुनावों

[श्री बनारसी दास]

के कारण कम्युनिस्ट पार्टी भी इस तरह के मेजर्स का समर्थन करना पसन्द नहीं करती। न्यू इकनामिक पालिसी रशा के अन्दर हुई। वहां २० अैर ३२ में भारी अकाल पड़े और आज चीन के अन्दर कोई १ हजार तक बिना बैंक मैनेजर की इजाजत और १ हजार से ऊपर की रकम बिना मैजिस्ट्रेट की इजाजत के नहीं ले सकता, वहां के लोगों को कैनन का निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां की आबादी कम हो। यह जो फूड की समस्या है, हमारे यह कांग्रेस दल की समस्या नहीं है। फूड की समस्या हमारी राष्ट्रीय समस्या है। फूड की हमारे देश भर में कमी है। इसलिये इस पर मतभेद हो सकता है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाये, किन्तु इस पर सबकी एक ही राय है कि देश में हमारे यहां फूड की कमी है। जिस प्रकार से एक बीमारी जब बहुत कठिन हो जाती है तो उसके उपचार के लिये विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लोग अपने-अपने मत से अलग-अलग ढंग से उसका इलाज सोचते हैं, रोग का निवारण करने के लिये और तब तक वह अपनी कोशिश करते रहते है जब तक कि रोग का जड़ से इलाज न हो जाये। तो जब तक हम प्क्योरमेंट की नीति को न अपनायें, तब तक गवर्नमेंट के पास जखीरा नहीं हो सकता है। और यदि गवर्नमेंट के पास अनाज जमा नहीं है तो वे किसी भी कारण हो खाद्यान्न के न होने पर उसे कहां से कर सकती है। यह किसी देश की इज्जत और सुरक्षा के खिलाफ है कि हम हमेशा विदेशों की तरफ देखें। इस मामले में आखिर अमेरिका की गवर्नमेंट से हमें कितना और कब तक गेहूं मिल सकता है? हमारी मुख्य मंत्री और हमारे खाद्य मंत्री ने बराबर प्रयत्न किया है कि हमारा कोटा बढ़ाया जाये, लेकिन देश--केन्द्र की और अन्य प्रदेशों की भी कुछ परिस्थितियां और दिक्कतें हैं जिसके कारण जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मंगा सकते हैं। हमारा प्रदेश पूरे देश की इकाई है और हमें हर मामले में पूरे देश के साथ चलना होगा। प्रत्येक चीज पर कंट्रोल की बात होती है, किन्तु सब चीजों पर और इतना व्यापक कंट्रोल करें जिसकी हम व्यवस्था ही न कर सकें तो कंट्रोल से लाभ ही क्या होगा, बल्कि उससे तो उल्टे हानि ही हो सकती है। गांव-गांव और शहर-शहर हम राशनिंग करें--यह व्यवस्था कितनी ही मुश्किल होगी और न जाने उस पर कितना खर्च होगा। उस पर जो खर्च होगा, उसमें १० फीसदी राशनिंग के अतिरिक्त सार्वजनिक कोष से हमारा धन खर्च हो जायगा और वह उसी बढ़ती हुई कीमतों पर जाकर लगेगा, जिससे कीमत और भी बढ़ जायंगी।

तो असली इलाज है इस रोग का उत्पादन का बढ़ाया जाना और इस के प्रति सरकार पूर्ण रूप से जागरूक और सचेष्ट है। यह कहना कि उत्पादन बढ़ाने की ओर कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, यह सर्वथा गलत है। उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छे और आधुनिक सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गयी है। आबपाशी के लिये नहर और ट्यूबवेल के ऊपर साल भर में ५ करोड़ रुपये का हम नुकसान बरदाश्त करते हैं। क्या महाराष्ट्र या अन्य दूसरी स्टेट्स में सिंचाई का मुहकमा कोई नुकसान बरदाश्त करना है? प्राइवेट ट्यूबवेल पर भी उनका खर्च होता है और कोई ऐसा ट्यूबवेल नहीं है जिस पर ४-५ हजार रूपया सरकार का लास न होता हो। आपकी तरफ से कहा जाता है कि सिंचाई की दरों को कम कर दिया जाये, किन्तु आज की असली मांग यह है कि किसी न किसी तरह से लोगों को पानी दिया जाये। जहां पर ट्यूवलेल्स नहीं है, वहां के लोग चाहते हैं रिश्वत देकर भी उनके लिये ट्यूबवेल का एलाटमेंट किया जाये, उन्हें पानी दिया जाये। समस्या उनके लिये पैसे की नहीं है; जरूरत उनको इसकी है कि उनको पानी दिया जाये। बुन्देलखंड क्षेत्र में समस्या ट्यूबवेल्स लगाने की नहीं है, वहां पर बड़े-बड़े बांध बना कर नहर बनाने की है, वहां पर बंधियां बनाने की समस्या है। वहां पर हम चाहते है कि बंधी बना कर उनके उत्पादन को बढ़ाने में मदद की जाये। चाहे आपकी पार्टी हो या रामसुन्दर जी हों या यादव जी हों, वर्षा के ऊपर कोई दावा नहीं कर सकता है और उस पर कोई अपना अधिकार नहीं कर सकता है। कृषि के चाहे जितने उन्नत वैज्ञानिक साधन अपनाये जायें, किन्तु सिंचाई के साधनों का सदैव अपना महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। फिर भी हमें वर्षा के उपर निर्भर रहना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, जो आपके सिंचाई के साधन हैं वे भी दोषपूर्ण हैं, मशीन जल जाती है।

श्री बनारसी दास--

यह भी सही है कि ट्यूबवेल्स जो चल रहे हैं उनमें कहीं-कहीं ट्यूबवेल की बिजली का ब्रेक डाउन हो जाता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यहां पर प्रशासनिक भी कुछ रुकावटें हो सकती हैं। लेकिन ट्यूबवेल्स बनाये ही इसलिये गये हैं कि इनसे सिंचाई हो और उत्पादन बढ़ सकें।

यह भी कहा जाता है कि उपज तभी बढ़ सकती है जब अनएकोनामिक जमीन से लगान छोड़ दिया जाये। तो सवाल यह है कि कितनी जमीन हमारे यहां अनइकानामिक है। क्या गारंटी इस बात की है कि आगे वह अनइकोनामिक नहीं होगी? आपने सीलिंग लगाया तो सीलिंग लगने पर सभी लोगों ने अपने को उस सीलिंग से बाहर निकाल लिया। लोगों ने जमीन अपने परिवार वालों के नाम और अपने नौकरों के नाम कर दी। जमीन मिल नहीं पाई। तो अगर कानून से आप चलना चाहते हैं और यह सोचें कि जमीन मिल जायगी, यह कठिन है। अगर आप यह सोचें कि अनइकानामिक लैंड होल्डिंग को माफ कर दिया जाय तो १०, १५ साल के अन्दर हमारे प्रदेश की सारी जमीन अनइकानामिक लैंड होल्डिंग बन जायगी। बहुत सारे डिवीजन बन जायेंगे और यह समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और उलझ जायगी। फिर आप यह चाहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी को काम मिले, उनके लिये अन्न ज्यादा पैदा हो; तो जैसा मैंने निवेदन किया कि इस प्रदेश की आबादी ५१ में ६ करोड़ ३२ लाख थी और आज ८ करोड़ के लगभग है। आगे आने वाले ५ सालों में हमारे यहां कुल वर्किंग फोर्स ३५ लाख ज्यादा होने वाला है। नये आदमियों को काम देंगे। आप चाहते हैं कि पूंजी का संचय न किया जाय। पिछले साल और इस साल में हमने पूरा प्रयास किया है। छोटी सिंचाई के साधनों के लिये काफी तादाद में कुंये बनाये गये हैं। इस साल भी कुंये बनाये जा रहे हैं। पम्पिंग सेट और माईनर इरीगेशन के लिये जितने भी साधन हो सकते हैं सरकार स्वयं उस दिशा में कार्य कर रही है जितने भी साधन मुहइया कर सकती है वह कर रही है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करने की जरूरत है और सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिये बजाय इसके हम लोगों के अन्दर आतंक पैदा करें, संशय की भावना पैदा करें या अनूचित भावना उत्पन्न करें उसके लिये प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़े। साल डेढ़ साल में एलेक्शन नजदीक है उसके लिये हम इस बात को सोचें कि जो ये आज दाम बढ़ रहे हैं उसमें हम परस्पर विरोधी भावना उत्पन्न करें तो यह उचित बात नहीं कही जा सकती। अभी कुछ समय पर्व श्रीमती विजय लक्ष्मी का चुनाव हुआ .....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

आप जानते हैं कि पानी का इन्तजाम नहीं है। पानी बरस भी नहीं रहा है। १४ फीसदी से अधिक का इन्तजाम सरकार नहीं कर पाई है; तो बतलाइये कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है?

श्री बनारसी दास--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सन् १९४६ से इस वक्त जितनी जमीन सिंचाई के अन्दर है वह दुगुनी से ज्यादा है। खाद के लिये हमारे यहां फर्टीलाइजर की गोरखपुर में फैक्ट्री लगाई गई। कानपुर में भी हम फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाने का प्रयास कर रहें हैं। इस साल हमारे सूबे को अधिक फर्टीलाइजर नहीं मिल पाया, लेकिन हम उसके लिये आगे को प्रयत्नशील हैं कि अधिक मिले। हमारे यहां सिंचाई का रकबा बढ़ा है। इसके साथ ही किसानों को हमारे यहां लांग टर्म पर लोन देने का प्रयास किया गया है। लोगों को तकावी दी गई है और केन डिपार्टमेंट की तरफ से काफी तादाद

[श्री बनारसीदास]

में लोगों को पम्पिंग सेट लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया है। यह सब इसलिये किया गया है कि अन्न का उत्पादन बढ़े। तो प्रयास बराबर जारी है, लेकिन यह सोचना कि इस प्रदेश के अन्दर ४।।करोड़ एकड़ जमीन को ५ साल के अन्दर १०० फीसदी सिंचाई के अन्दर ले आया जाय, यह असंभव है। ४।। करोड़ एकड़ जमीन पर पानी की व्यवस्था करने के लिये एक नियोजित ढंग से व्यवस्था करनी होगी। लिहाजा पूरी योजना के अन्दर प्रयास किया गया है और इस योजना के अन्दर भी है। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ न किया गया हो। पिछले साल से इस साल अन्न ज्यादा पैदा हुआ है और ६०–६१ के अन्दर जितना अन्न का उत्पादन था उससे आज कुछ ज्यादा हुआ है। मगर भाव ज्यादा बढ़ रहें हैं तो दूसरी चीजों के भाव भी ज्यादा बढ़े ह.....

श्री उग्रसेन—

पहले १८० लाख टन का लक्ष्य था, लेकिन आपके यहां १३८ लाख टन हो गया। यह आपके आंकड़े बहुत कम हैं। यह आपकी रिपोर्ट में है।

श्री बनारसीदास—

मैंने आपसे निवेदन किया कि पहले जितनी पैदावार की बात सोची गई थी अगर उनके अन्दर प्रकृति का सहयोग नहीं मिलता है तो फिर अन्दाजा सही साबित नहीं हो सकता है .....

श्री बलवानसिंह—

सन् १९५०–५१ में १ करोड़ १५ लाख टन था और १९६३–६४ में १ करोड़ १६ लाख टन हो गई तो इन पांचसाला योजनाओं के बाद भी हम वहीं हैं।

श्री उग्रसेन—

एक कृषि मंत्री चले गये, दूसरे आगये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा सुनिये।

श्री बनारसीदास—

बहरहाल, कृषि मंत्री के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो उग्रसेन जी को तसल्ली होनी चाहिये कि कृषि मंत्री जी उनके नजदीक के हैं।

तो अबकी बार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन १४८ लाख टन का है और यह इस साल का उत्पादन पिछले कई सालों के मुकाबले अधिक अच्छा है।

श्री उग्रसेन—

साठ–इकसठ की फसल इस से ज्यादा हुई थी।

श्री बनारसीदास—

वह हमारा पीक इयर थ। और इस साल उस से भी बढ़ गयी, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसके लिये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती। गवर्नमेंट की तरफ से सिंचाई के लिये, खाद के साधन जुटाने के लिये प्रयास किये गये हैं, लेकिन मुख्य समस्या देश में यह थी कि जो चीजों के दाम हैं, अन्य वस्तुओं के दाम हैं वह बढ़ते जा रहे हैं। उन पर कैसे रोक लगायी जाय तो इसके लिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज कोई हिम्मत करने के लिये तैयार नहीं है। अगर आप एक सर्वदलीय कमेटी बना कर एक नीति निर्धारित करें और गांव-गांव की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हों कि वहां अनाज के बैंक्स बनाये जायं, गांव की जरुरत का अनाज छोड़कर बाकी

सब अनाज उनमें रहें और इसे आप राष्ट्रीय नीति घोषित करें, तो मैं समझता हूं कि आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन इस नीति के निर्धारण करने में आप सहयोग देने के लिये तैयार नहीं होंगे। लिहाजा हमारे सामने यह प्रश्न था और हमारे खाद्य मंत्री जी का यह मत था, लेकिन इस के साथ ही हमारी कोई नीति ऐसी अवास्तविक नहीं हो सकती कि जो जनता की भावनाओं के अनुकूल न हो और इसी कारण हमने प्रोक्योरमेंट की नीति नहीं अपनायी। हमने मोनोपोली प्रोक्योरमेंट की नीति नहीं अपनायी, हमने लेवी की नीति नहीं अपनायी, हमने ओपेन मार्केट से अनाज खरीदने की नीति अख्तियार की।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

आपने कुछ नहीं अपनाया, जो आपने अपनाया उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री बनारसीदास--

ज्यादातर लोग फ्री ट्रेड की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सप्लाई और डिमांड के उसूलों पर इस को छोड़ दिया जाय, सब चीजें ठीक हो जायंगी। दीपनारायण जी आदि समझते हैं कि कंट्रोल की वजह से यह बीमारी है। तो हमने इस सूबे में कंट्रोल तो, जितनी कि हमारी केन्द्रीय नीति के मातहत आवश्यक हो जाता है, उस को ही लगाने की कोशिश की। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि यह जो खाद्य की समस्या है कुछ तो भावों की वृद्धि के कारण है और यह किसानों के सामर्थ्य और गुजर के लिये भी आवश्यक है। जैसे और चीजों के दाम बढ़ रहें हैं उस के हिसाब से उसे भी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य मिल सकता है। इलाहाबाद की कांस्टीटुयेन्सी में डाक्टर लोहिया से कुछ किसानों ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम को अपनी पैदावार का उचित दाम न मिले। तो आज यह कहना कि यहां पर जो लोग इस तरह का असंतोष पैदा कर रहे हैं उन के लिये गांधी जी का उद्धरण देना उचित नहीं है। भाई परमानन्द जी खुद देवता की तरह पुजते थे, लेकिन बाद में वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी हो गये। आज हमारी सरकार है, १९६७ में जनता हमारी नीतियों की समीक्षा करेगी, उस उसका मौका होगा और इसलिये इस तरह की नीतियों का संगठन करना, जनता की मुसीबतों को बढ़ाने का प्रयास करना, जनता की संपत्ति को नष्ट करना औरउस में इस प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करना जिससे उसकी संपत्ति नष्ट हो,इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। इसलिये हमारे प्रदेश में जो खाद्य स्थिति है उस के प्रति हम पूरी तरह जागरूक हैं। जरुरत इस बात की है कि लोगों में एलार्म न पैदा किया जाय। लोगों की खाने की हैबिट्स बदली जायं, लोगों का एप्टीट्यूड बदला जाय। लोगों की और विशेषकर पूर्वी जिलों की सामाजिक स्थिति को बदला जाय, यह नहीं कि एक जिला तो गन्ना ही गन्ना पैदा करे, दूसरा गेंहूं ही गेंहूं पैदा करे। जब यह सब चीजें ठीक होंगी तभी खाद्य की समस्या हल हो सकेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे राज्य में आज सब जगह अकाल की छाया मंडरा रही है और खाद्य संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। प्रदेश की खाद्य स्थिति का सही चित्रण माननीय खाद्य मंत्री जी के वक्तव्य में नहीं मिला। उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि इस सरकार को इस संकट की गहराई का सही अहसास नहीं है और ऐसा लगता है कि हमारे खाद्य मंत्री, हमारी सरकार तथा अन्य जिम्मेदार लोग कम्पेल सेन्ट होकर बैठे हैं। श्रीमन्, कीमतों के जो आंकड़े दिये गये हैं वे भी गलत हैं। गेंहूं के आंकड़े दिये गये हैं ८५ रुतये प्रति क्विंटल, जबकि वह १००–११० रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है। इसी तरह चावल का भाव १३५ रुपये प्रति क्विंटल बताया गया है जब कि वह १७५ रुपये क्विंटल बिक रहा है। मिट्टी का तेल १ से २ रुपये तक प्रति बोतल के हिसाब से मिल रहा है, सीमेंट की बोरी ३२ रुपये में बिक रही है। क्या यह सही चित्रण आपके वक्तव्य में मिलता है ? नहीं मिलता है। जनता की परेशानियों का यही चित्रण माननीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य में नहीं मिला। हमारे माननीय बनारसीदास जी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

भाषण देकर चले गये, इतनी गैर-जिम्मेदारी की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पोलीटिकल कैपिटल नहीं बनाना चाहिये । श्रीमन्, अभी माननीय झारखंडे राय जी के पास, सर्वदलीय कमेटी का एक तार आया है, ललितपुर, झांसी से, उसमें लिखा है--

"Acute food and fodder scarcity. people in thousands starving. thousands cattle folk dead-please intervene immediately. open ration shops and arrange fodder supply."

सभी लोगों ने जिसमें कांग्रेस, एस० एस० पी० आदि सभी दलों के लोग थे उन्होंने एक राय से यह कहा है कि वहां की खाद्य स्थिति गंभीर हो गयी है । सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं । आजमगढ़ की जिला परिषद् ने भी एक राय से इस संबंध में प्रस्ताव पास किया है । वहां तो कांग्रेस का बहुमत है । उन्होंने कहा है कि अकाल की स्थिति होती जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर ही है । हम मांग करते हैं कि सरकार कार्यवाही करे । श्रीमन्, हम रूस की तरह से कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । क्या जनवाद के माने होते हैं कि इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता को आप जखीरेबाजों के हवाले कर देना चाहते हैं ? आप इस प्रदेश की निरीह, निरपराध जनता को, मध्यम वर्ग को, छोटे सरकारी कर्मचारियों को आज भूखे भेड़ियों के सामने फेंक देना चाहते हैं, क्या जनवाद के माने यही हैं । आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने परसुयेशन के रास्ते अख्त्यार किये, हमने उनसे प्रार्थना की, लेकिन प्राफीटीअर्स ने हमारी बात को नहीं माना। आपकी इस जनवादी सरकार ने डि-होर्डिंग करने के लिये क्या कदम उठाये इस गंभीर खाद्य संकट की स्थिति में । कुछ दिन पहिले कम्युनिस्ट प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में गवर्नर साहब से मिलने गया था । गवर्नर साहब बेचारे मजबूरी दिखा रहे थे कि हमने डि-होर्डिंग के लिये कानून बनाया लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं उन्होंने उस कानून को कामयाब नहीं होने दिया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज सरकार सरैन्डर करती है प्राफीटीअर्स के सामने और फिर आप कहते हैं कि हम क्या करें ? मैं कहता हूं कि आप यह नीति बदलें । गल्ला पिछले वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष ज्यादा पैदा हुआ फिर भी गल्ले की हालत बिगड़ती ही जा रही है । आप प्राईस कन्ट्रोल क्यों नहीं करते, आप इसके लिये कदम क्यों नहीं उठाते ?

श्रीमन् दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो हमारे खाद्य मंत्री जी ने भी कहा था, और मैं जानता हूं कि उनकी नीति गल्ले के राज्य व्यापार के विषय में हमदर्दाना है, परन्तु वह राज्य व्यापार भी हल नहीं हो सका है । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि १९५९ में नागपुर के अधिवेशन में पास हुआ था कि गल्ले का राज्य व्यापार किया जायेगा परन्तु आज ६५ हो गया है फिर भी आप क्यों गल्ले का राज्य व्यापार, लागू नहीं करते इसीलिये कि स्वयं कांग्रेस पार्टी का स्टेट ट्रेडिंग पर विश्वास नहीं है । जब-जब जनता का दबाव हुआ है और जनता ने इस संबंध में आन्दोलन किये हैं तो सरकार मजबूरन यह ढकोसला करती है, लेकिन वह नीति सैबोटाज की जाती है और उसको अमल में नहीं लाया जाता । इस सदन में, बनारसीदास जी का भाषण हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, हम कन्ट्रोल नहीं करेंगे, परन्त बनारसीदास जी ने एक अक्षर स्टेट ट्रेडिंग के बारे में नहीं कहना चाहा । यह उनकी उसी नीति का परिचायक है जिसका नेतृत्व वे कांग्रेस के अन्दर करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार ने ८ लाख टन गल्ला प्रोक्योर किया । उन्होंने गल्ला जबरदस्ती प्राक्योर नहीं किया । मारकेट में सरकार गई, मारकेट के दाम दिये । मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि यहां सरकार ने पचास हजार टन गल्ला वसूला । इतना कम प्रोक्योरमेंट क्यों हुआ ? महाराष्ट्र की राज्य सरकार खाद्य संकट को हल करने का कदम उठा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हाथ में बांधे जनता को इन मुनाफाखोरी के सामने फेंक देती है । अगर बेचैनी बढ़ती है और परेशानी है तो हमें उस बात को मानना चाहिये ।

श्रीमन्, दूसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार के जिम्मेदार लोगों से, एक सुपरस्टीशन पर यकीन करने वाले इन्सान की तरह से क्योंकि वे कहते हैं कि यह देश अकालों का देश है । इसमें दस साल के बाद अकाल पड़ता है । हम सिंचाई के साधन नहीं करेंगे । बड़े शर्म की बात

है, सिवाई मंत्री इस समय नहीं है। नहर के किनारे फसलें सूख रही हैं। ट्यूबवेल से पानी नहीं दे रहे हैं। आज किसान पानी के लिये परेशान है। आप कहते हैं कि अगस्त और सितम्बर के महीने में पानी देने का कानून नहीं है। हर जगह लाल फीताशाही हावी है। कहना यह है कि कि इन महीनों में बरसात होती है इसलिये पानी नहीं देंगे। रिअलिटी के ऊपर उसको नजर अन्दाज करना और उस पर यह रवैया, बड़ा ही गलत रवैया है। होना यह चाहिये था कि सरकार इस समय नहरों और ट्यूबवेलों का पानी मुफ्त देती और अच्छी फसल होने के बाद उसे भले ही वसूल कर लेती।

सरकार यह भी कहती है कि हमने कुछ कदम उठाये और आगे क्या कदम उठाते। मैं यह जानना चाहता हूं कि १९ साल के कांग्रेसी शासन के बाद आज इस उत्तर प्रदेश में १ करोड़-एकड़ जमीन, खेत के नायक, क्यों परती पड़ी हुई है जिस पर खेती नहीं हो रही है और वह भूमिहीन खेती करनेवालों को नहीं बांटी जा रही है? ये सरकार के ही आंकड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन औसत से इतना कम क्यों है, १०।। मन का एकड़ है? आपने पानी और खाद का इन्तजाम नहीं किया है और खेती करने वालों को भूमिहीनों को जमीन नहीं दी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कीमतें इसलिये निर्धारित नहीं की कि उससे गल्ले के बाजार में आने की टेंडेंसी कम हो जाती अब कम से कम गल्ला बाजार में मिल तो रहा है भले ही मंहगा हो। पिछले ५,६ वर्षों में इस देश के गल्ले के व्यापारियों ने नाजायज फायदा देश के संकट का उठाया है और यह उन्हीं की मांग रही है कि गल्ले पर किसी प्रकार का नियंत्रण न किया जाय। सरकार ने उनके सामने अपने घुटने टेक दिये, उन निहित स्वार्थी तत्वों के सामने जो सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव डालते चले आ रहे हैं।

आज देहात की सारी सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द कर दी गई हैं। सरकार भी मानती है कि इस प्रदेश में ४० फीसदी भूमिहीन खेतिहर मजदूर है। वे भूखों मर रहे हैं। गरीब लोगों के लिये, छोटे सरकारी कर्मचारियों और छोटे दूकानदारों के लिये आपने क्या किया है? अगर आने वाले संकट का मुकाबला करना है तो सरकार देहाती क्षेत्र में हर न्याय पंचायत में कम से कम एक सस्ते गल्ले की दूकान और शहरी क्षेत्रों में २,००० की आबादी पर एक दूकान खोले।

एक सदस्य—

अनाज कहां से आवेगा?

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप डिहोर्डिंग कानून बनाइये और जखीरेबाजों से अनाज निकालिये। जखीरेबाजों को गिरफ्तार कीजिये जो बैठे हुये हैं मेरठ में, कानपुर में और बड़े-बड़े शहरों के अन्दर। आप भारत सरकार से कहें कि वह होर्डिन्ग के खिलाफ सख्त कानून बनावे और सख्त कदम उठावें।

माननीय बनारसीदासजी ने एक अच्छी नसीहत दी और कहा कि लोगों को अपनी खाने की आदत में तब्दीली करनी चाहिये! गोया यह कि लोगों को डबल रोटी और मक्खन खाना चाहिये। एक बार फ्रान्स में अकाल पड़ा तो वहां आन्दोलन हुआ और जनता रानी के पास गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि वे लोग क्या चाहते हैं? मंत्री ने बताया कि अकाल पड़ा है और ये लोग रोटी-रोटी चिल्ला रहे हैं। इस पर रानी ने कहा की रोटी नहीं मिलती है तो ये लोग डबलरोटी और मक्खन क्यों नहीं खाते हैं? ऐसा ही बात माननीय बनारसीदास जी ने कही। आज ७५ फीसदी जनता को सूखी रोटी नहीं मिल रही है। गेंहूं रुपये का १२ और १४ छटांक बिक रहा है, चावल २ रुपये सेर बिक रहा है और माननीय बनारसीदास जी उस रानी की तरह जनता से कहते हैं कि खाने की आदत बदलो, मक्खन और केक खाओ। यह वास्तविकता को नजरअन्दाज करना है और सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निबाह रही है। खतरा बहुत गम्भीर है। अगर २,३ दिन में पूरे प्रदेश में बारिश नहीं हुई तो जहां कहीं भी कुछ फसल है वह सब बरबाद हो जायगी।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार पर क्यों नहीं दबाव डालती है। केन्द्रीय सरकार कोई राष्ट्रीय खाद्य पालीसी अब तक नहीं बना सकी है। १९ साल देश को आजाद हुए हो गये हैं। मौजूदा परेशानी की स्थिति को पैदा करने के लिये केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश का कोटा १,०५,००० टन होता है और खाद्य मंत्रीजी कहते हैं कि उन्हें केवल ६०,००० टन मिला है, लेकिन मेरी सूचना है कि २०, ३० हजार टन के बीज में ही भारत सरकार देती है और उत्तर प्रदेश का कोटा पूरा नहीं करती है। यह उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं है। मैं इस बात को सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य किसी संकट का इस्तेमाल राजनीतिक हित के लिये नहीं करेगा। लेकिन अगर सरकार वाजिब कदम नहीं उठावेगी और वस्तुस्थिति को नजरअन्दाज करेगी, सोती रहेगी, तो जनवाद में हमें हक हासिल है कि हम आन्दोलन करें कि सरकार की आंखें खुलें और सरकार नीति बदलने पर मजबूर हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो जनता उठेगी, आन्दोलन होगा और सरकार को नीति बदलने पर मजबूर किया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन संकट का एहसास करते हुए सरकार को उचित कदम उठाने के लिय मजबूर करेगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, आज का विषय बहुत गम्भीर है। मैं यह मानता हूं कि खाद्य समस्या का संबंध किसी दल का पार्टी से नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है और इसे इसी दृष्टि से देखना और हल करना होगा। माननीय चन्द्रजीत जी को शिकायत हुई कि माननीय बनारसीदासजी ने कहा कि विरोधी दल इसे पोलीटीकल कैपिटल बनाना चाहते हैं। यह बात मुनासिब नहीं थी। लेकिन मोटिव्ज के लगाने में कोई कमी माननीय चन्द्रजीतजी ने भी नहीं रखी। मुनासिब यह है कि न तो हम आपकी बोनाफाइडीज को डाउट करें और न आप हमारी बोनाफाइडीज को डाउट करें। यह मानी हुई बात है कि देश और प्रदेश में अनाज की कमी है। यह भी मानी हुई बात है कि जिस सीमा तक अनाज की पैदावार होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। यह बात भी मानी हुई है कि कृषि विभाग ने जो अपना टार्गेट बनाया, चाहे उसे ओवर-एस्टीमेशन कहिये या जो कुछ कहिये, वह आज तक पूरा नहीं हुआ और यदि थर्ड प्लान का टार्गेट चौथे प्लान में भी पूरा हो जाय तो बहुत बड़ी बात होगी। यह साबित करता है कि खता किसकी है। कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर के टारगेट्स इतने एम्बीशश क्यों रखे, अपनी कैपेसिटी से बाहर क्यों गये। शुरू में मैंने टोका था लेकिन बलवान सिंह जी ने जो आंकड़े पेश किये वे टेक्नीकली सही थे। इस माने में कि ५०–५१ में प्रदेश का उत्पादन ११५ लाख टन था लेकिन बीच में बढ़ गया। ६०–६१ में १४२ लाख टन हुआ, लेकिन ६३–६४ में ११६ लाख टन। लेकिन इससे उन्होंने नतीजा यह निकाला कि १४ सालों में केवल १ लाख की बढ़ोत्तरी हुई जब कि बीच में काफी उतार चढ़ाव हो गया था। खाद्य मंत्री द्वारा ६४–६५ में उत्पादन बताया गया है १४८ लाख टन। बाद को कृषि मंत्री जी ने बताया कि वह १५२ लाख टन है।

एक सदस्य—

इसमें सही कौन है?

श्री नवलकिशोर—

अपने अपने वक्त पर दोनों सही हैं। एक बात आंकड़ों के बारे में जरूर कह देना चाहता हूं कि इन आंकड़ों पर मुझे बड़ा शक है। कुछ ब्लाक्स में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने पूछा कि उत्पादन कितना बढ़ा है पिछले ५–६ सालों में तो उन्होंने २५ से ३५ प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी बतायी। आबादी बढ़ी है सत्तरह प्रतिशत दस साल में फिर यह डैफिसिट किस प्रकार हो

गया ? मैंने पूछा कि इसकी नाप तोल तुम किस प्रकार से करते हो। तो बताया कि अगर एक कुआं बन गया तो चाहे उससे आबपाशी हुई हो अथवा नहीं हमने लगा लिया कि ५ एकड़ आबपाशी हुई और इतना गल्ला बढ़ गया, सरकारी गोदामों से बीज अगर बंट गया, तो लगा लिया कि अच्छे बीज के कारण इतनी पैदावार बढ़ गयी, चाहे वह बीज जमा हो या न जमा हो। अगर खाद बांट दी गयी तो चाहे वह मुनासिब मात्रा में मिली हो अथवा न मिली हो, उसके अनुपात में पैदावार के बढ़ने के आंकड़े हमने लगा लिये। मुझे यह सुन कर बड़ा ताज्जुब हुआ। माननीय बलवानसिंह जी इसके एक्सपर्ट हैं वे जानते हैं कि इन तीनों के मिलने से ही पैदावार बढ़ती हैं। इससे साबित होता है कि आपके एग्रीकल्चर के डेटाज किस प्रकार से इकट्ठे किये जाते हैं। फिर भी में इसको १४८ लाख टन मान लेता हूं।

पैदावार की कमी को दूर करने के दो पहलू हैं। एक तो लांग रेंज पालिसी और दूसरी वर्तमान परिस्थिति की बात। चन्द्रजीत जी ने कहा कि एक करोड़ एकड़ जमीन खेती के काम में नहीं आ रही है, इस बारे में मंत्रीजी ने कुछ स्वीकार नहीं किया है फिर भी इसको हमें देखना चाहिये। बलवान सिंह जी ने कहा कि १ प्रतिशत फर्टिलाइजर मिलता है, अबापाशी बहुत कम होती है। इतना तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह बात सही है कि सिंचाई के मामले में सेचुरेशन प्वाइन्ट पर नहीं पहुंचे हैं और जितना फर्टिलाइजर हमें मिलना चाहिये उतना फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं है और गवर्नमेंट फार्म्स के होते हुए भी सही पेडिग्री बीज से प्रदेश अपने को सेचुरेट नहीं कर पाया है। जब तक इन चीजों का इन्तजाम न होगा तब तक हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। अभी तक तो उत्पादन की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर विभाग ने मानी नहीं थी अब शायद नये मंत्री उसको मानें, लेकिन अन्ततोगत्वा उसकी जिम्मेदारी कृषि मंत्री पर ही जानी है। अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो तमाम दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी।

जो भी हमारे पास अन्न है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाय यह हमारी वर्तमान समस्या है। खाद्य मंत्रीजी ने इस बात को माना कि सेंटर ने १,०५ हजार से घटा कर ६० हजार टन कर दिया और उसमें से भी ५० या ५६ हजार टन मिला है।

माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा कि प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते। मैं उनकी ताईद करता हूं कि प्रोक्योरमेंट हो लेकिन मुझे उन्हीं से डर लगता है और ऐसे लोग उधर हैं कि जो वहां जाकर किसानों में सत्याग्रह की बात करने लगेंगे और उनसे कहेंगे कि किसानों के बुनियादी हकूक पर सरकार कुठाराघात कर रही है। सब चाहते हैं कि किसानों को सही कीमत मिले, स्वतन्त्र पार्टी के माननीय भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती और अगर मुनासिब कीमत न दी गई तो हम सत्याग्रह कर देंगे। हमारे माननीय बलवान सिंह जी जब पी० एस० पी० की ओर से बोलते हैं तो वह भी मुनासिब कीमत की बात करते हैं लेकिन जब किसान की हैसियत से सोचते हैं तो चाहते हैं कि जितनी कीमत बढ़ जाय बहुत अच्छा है, यह काण्ट्रडिक्शन है। एक दल कहता है कि प्रोक्योरमेंट होगा तो हम सत्याग्रह करेंगे दूसरी पार्टी उकसाती है कि प्रोक्योरमेंट हो। मैं तो कहता हूं कि ईमानदारी से सारी पोलिटिकल पार्टी एक जगह बैठ कर एक बार तय कर ले कि हम को प्रोक्योरमेंट करना है या नहीं करना है। अगर स्वतन्त्र पार्टी राजी न भी हो लेकिन जो दल अपने को प्रगतिशील कहते हैं वह राजी हो जांय तो यह एक चीज हम तय कर सकते हैं।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि प्रोक्योरमेंट का जो तरीका है, मैं नहीं जानता कि यह ५० हजार टन कैसे प्रोक्योर किये गये लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं कि इनका तरीका यह है कि जो एक बोरा गेहूं देदे उस को एक बोरा सीमेंट मिल जाता है। अगर एक बोरा गेहूं कोई नहीं देता तो उस को दस रुपया एक्सट्रा देने होते हैं। दस रुपये के गेहूं के रेट में मार्जिन था इसलिये सीमेंट की एक बोरी दस रुपया अधिक देने पर ही मिलती थी। अगर किसी ने

[श्री नवलकिशोर]

दस बोरा सीमेंट लिया तो दस के हिसाब से उससे १०० रुपया एक्सट्रा ले लिया और १०० रुपया अधिक देकर तहसील में गेहूं इकट्ठा किया गया। इस तरह की वसूली को मैं वालंटरी नहीं मानता। आप का नेकनियती के और कोशिश के बावजूद आपके विभाग की इनएफिशियेंसी और करप्शन सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आज हालत यह है कि किसान कोआपरेट नहीं करता, ट्रेडर कोआपरेट नहीं करता। माननीय चन्द्रजीत जी ने उनको कहा कि वह भूखे भेड़िये हैं, आप उनको कुछ भी कहिये, लेकिन यह भी वाक्या है कि इस साल बाजार में आमदनी बहुत कम आई। मैं कई जगह मंडियों में गया, मुझे मालूम है कि स्टाक ट्रेडर्स के पास इस साल बहुत कम है। मैं आप के जजबात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन वस्तुस्थिति को देखना चाहिये केवल सेन्टीमेंट्स से काम नहीं चलेगा। मैं भी कहता हूं कि अगर ट्रेडर्स के पास अनाज है तो वह आप ले लीजिये। आज हालत यह है कि किसान और ट्रेडर आपसे कोआपरेट नहीं करते और बदकिस्मती यह है कि जो आप की मशीनरी है वह न ईमानदार है और न एफीशियेंट है। और भी कुछ दिक्कतें हमारे सामने पेश हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम से कहा जाता है कि जब किसान के लिये आधी कीमतें मिलने का एक मौका आया है तो आप क्यों परेशान होते हैं? शहर वालों से कहा जाता है कि सरकार सस्ता अनाज नहीं देती है। यह गैरजिम्मेदारी की बातें हैं।

श्री बलवानसिंह—

आप ही आज की कीमतों में किसान का लेबर खर्च लगाकर कोई कास्ट आफ प्रोडक्शन तय करा दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

वह आप तय कर दें, सरकार को उसको मानने में क्या आपत्ति होगी। मैं तो यह अर्ज करना चाहता था कि यह भी देखना होगा कि जो प्राइसेज फूड ग्रेन की होगी वह मैनुफैक्चर्ड गुड्स की प्राइसेज से भी एट-पार रखना होगी।

नम्बर २ जो बात है वह यह है कि आज हमारा काश्तकार कैश क्रौप की तरफ अधिक से अधिक बढ़ना चाहता है। आपको पसन्द आये या न आये आपको लैजिस्लेशन लाना पड़ेगा कि हर किसान को जमीन में फूड ग्रेन पैदा करना होगा। आपको फसल के आने के पूर्व प्राइस फिक्स करना चाहिये और यह भी निश्चित करना चाहिये कि अधिक से अधिक कितना वैरिएशन होगा फसल के समय पर और बाद में। उसके बाद आपको अख्तियार होगा कि आप किसानों से उस दाम पर अनाज खरीदें। और अगर व्यापारियों पर स्टाक हो तब उसको उस सीमा के अन्दर उनसे ले लें।

श्रीमन्, यहां पर राशनिंग की बात कही गयी। मुझे भी अखबारों में यह पढ़कर हंसी आयी कि १७ साल के पश्चात् बंगलौर में मुख्य मंत्री एक नेशनल फूड पालिसी की बात ढूढ़ रहे हैं। हमारी पौलिसी कन्फ्युज्ड थी, डैफिनिट नहीं थी और क्लियर कट नहीं थी। इसके अलावा जोन्स की बात जहां तक है, मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान जब कि एक युनिट है तो जोन्स का जो सिस्टम है वह नहीं होना चाहिये। राशनिंग आप कीजिए। अभी माननीय चन्द्र जीत यादव ने फरमाया है कि राशनिंग गरीबों के लिये किया जाय पर हमारे यहां तो ९० प्रतिशत गरीब जनता निवास करती है। तो मैं यह समझता हूं कि या तो कम्पलीट राशनिंग किया जाय अन्यथा यह हाफ हार्टेड राशनिंग से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो स्टेट ट्रेडिंग का हामी हूं।

एक बात जो इस संबंध में मुझे कहनी है वह यह है कि मुझे इस बात से परेशानी होती है कि अगर चीजों की कमी है तो चोरबाजारी में ये चीजें कहां से आती है। आज सीमेन्ट हमारे पास नहीं ह, मान सकते हैं लेकिन वही सीमेन्ट जब हमको जरूरत होती है तो ब्लैक में मिल

जाता है । तो स्पष्ट है कि हमारे इंजिनियरिंग विभाग से वह "ब्लैक" में जाता है । जब कि पूरी स्टेट में चीजों का क्राइसिस है तो ऐसे समय में हमारी सरकार को देखना चाहिये कि जो हमारे इंजीनियरिंग विभाग हैं, उनको अधिक मात्रा में क्यों ऐसा सामान दिया जाता है । सीमेन्ट न हो, मिट्टी का तेल न हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब समझ जायेंगे कि तेल की, सीमेन्ट की तथा और चीजों की दिक्कत है, लेकिन जब हमको चोरबाजारी में चीजे मिल जाती है तो स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फाल्टी है। खाद्य की समस्या का सवाल न इस पार्टी का सवाल है न उस पार्टी का सवाल है । यह एक नेशनल प्राब्लम है । इसको आपको बार फुटिंग पर ही हल करना होगा और मुझे आशा है कि हम सब चाहे इधर से बैठे हों चाहे उधर से अपने उत्तरदायित्व को नहीं भूलेंगे ।

*श्री बलवानसिंह—

श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से माननीय बनारसीदास जी और माननीय नवल किशोर जी और माननीय चन्द्रजीत यादव जी की बातें सुनी और मुझे जो आभास हुआ है वह यह है कि आप सब ने इस बात को माना है कि चीजों की कमी है। आज १८ साल के बाद भी चाहे पानी हो, चाहे सीमेन्ट हो, चाहे तेल हो, चाहे खाद्य हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, उसके लिये क्यू लगी हुई है । उसके बाद भी माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं कि यह पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं है यह नेशनल क्राइसिस की बात है ।

(इस समय २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

१८ साल के बाद इस नेशनल क्राइसिस का कौन जिम्मेदार है। क्या आप किसी और पार्टी पर इसकी जिम्मेदारी डालते हैं और दूसरे विरोधी पार्टियों को कहते हो कि तुम बोल नहीं सकते । राष्ट्रीय संकट के समय में अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो इस सारे देश को डूबा देंगे । यह एक ऐसा मौलिक प्रश्न है जिसको हल करना पड़ेगा और जो क्यू आज लगता है उसका जबाब देना पड़ेगा । मैं माननीय नवल किशोर जी से कहना चाहता हूं, खास तौर से खाद्य समस्या के बारे में कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां खेती का परसेंटेज उतना हो जितना भारत में है । अमरीका का ऐवरेज रकबा १२ परसेन्ट है, जापान का १५ परसेन्ट है और हिन्दुस्तान का ४५ फीसदी रकबा अकेले खेती में है। चौगुना आपका परसेन्टेज अन्डर कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी अमरीका से एक-एक दाने के लिये तरसता हो इससे ज्यादा निकम्मी और बेहूदी पालिसी गवर्नमेन्ट की नहीं हो सकती । यू० पी० में साढ़े १० मन अनाज प्रति एकड़ होता है जब कि पंजाब में २२ मन, आन्ध्र में ३० मन प्रति एकड़, और ४० मन दूसरे प्रदशों में होता है फिर भी इस प्रदेश की सरकार अपनी गलती मानने के लिये तैयार न हो और कहे कि नैशनल क्राइसेस है, यह बिलकुल गलत है । क्या नैशनल क्राइसेस पंजाब और आन्ध्र में नहीं है ? अमरीका यूरोप, रूस, चायना आदि देश ८ महीने बरफ में रहते हैं जब कि हिन्दुस्तान की क्लाइमेट बहुत अच्छी है, और ८० फीसदी आबादी खेती पर है, इन चीजों को देखते हुए सरकार अनाज के बारे में फिर भी कहे कि अमरीका से मंगायेंगे यह बड़े शर्म की बात है । ६ लाख टन में क्या आप सोचते हैं कि हिन्दुस्तान की समस्या हल हो जायगी । जो राशन शाप्स खुली हैं इनसे अनाज की समस्या हल हो जायगी । एक सदस्य ने कहा कि अनाज की कमी नहीं है । मैं कहता हूं कि अनाज की कमी है, ४, ५ करोड़ आदमियों के लिये हिन्दुस्तान के अन्दर अनाज नहीं है। आपको अब भी ८ फीसदी अनाज ज्यादा पैदा करना पड़ेगा । और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजना में २२ हजार करोड़ रुपया रख कर भी अगर अनाज बढ़ाने में असमर्थ हैं तो ऐसे प्लान को खत्म कर दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवानसिंह]

आप देखें कि १९५०–५१ में अगर ११५ लाख टन अनाज था तो १९६३–६४ में ११६ लाख टन है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्लानिंग का लाभ कहां जा रहा है ? अगर वर्षा की वजह से बढ़ जाता है तो उसका क्रेडिट आप लेते हैं । लेकिन इसको आपको मानना पड़ेगा कि यहां का प्लानिंग हिन्दुस्तान की हालात के मुताबिक नहीं है । जब तक प्लान का तीन चौथाई रुपया आप ऐग्रीकल्चर पर खर्च नहीं करेंगे तब तक आप खाद्य समस्या को हल नहीं कर सकेंगे । १३ या १४ रुपये फी एकड़ खर्च हुआ है, जब कि ४५–४६ रु० फी एकड़ खर्च होना चाहिये । पहली और दूसरी योजना में यू० पी० को एक पैसा भी नहीं मिला खेती की तरक्की के लिये, चौथी योजना में आप खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि अगर ब्लैक में चीज मिलती हैं तो जरूर कहीं न कहीं स्कैंडल है । आज मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि यह सरकार लगातार १८ साल से स्कैंडल करती आ रही है। आज १८ साल के बाद सरकार को यह होश आया है कि ग्रेन प्राइस फिक्स होनी चाहियें, स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये या इसके अन्दर कांसोलिडेशन होना चाहिये । १८ साल के बाद आपको होश हुआ है कि हिन्दुस्तान में मेन्योर की कमी है और उसके लिये तमाम फैक्टरीज होनी चाहिये । इससे साफ मालूम होता है कि १८ साल तक सरकार की नीति हिन्दुस्तान की तरक्की करने की न होकर इस तरह से स्कैन्डल करने की थी । जब आज हिन्दुस्तान की यह स्थिति है तब नवलकिशोर जी को यह स्कैन्डल मालूम हुआ, इससे क्या जाहिर होता है ? मैं आपसे पूछना हूं कि बावजूद इन तमाम चीजों के कांसोलिडेशन आफ होल्डिंग क्यों नहीं की गयी, सब चीजों की प्राइस फिक्स क्यों नहीं की गयी ? उस समय दांतवाला को इस काम पर क्यों नहीं लगाया गया ? मैं आपसे कहता हूं कि सन् १९४६–४७ में हिन्दुस्तान और यू० पी० की इकोनामिक स्टैबिलिटी क्या थी और आज क्या है ?

आज हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बड़ा जोर है, सरक्यूलेशन आफ मनी ज्यादा बढ़ी है, हिन्दुस्तान में कैपिटलिस्टों की इनकम इतनी ज्यादा बढ़ी है कि उनकी होर्डिंग कैरेसिटी हो गयी है और आपकी पार्टी भी इन कैपिटलिस्टों के ऊपर ही कायम है। आप कोआपरेटिव कामनवेल्थ का नारा पहले लगाते थे, उसके बाद सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा लगाने लगे और अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का नारा लगाते हैं । इस तरह से इन तीन नारों से मालूम होता है कि आपकी मिक्स्ड इकोनामी है। हमारे यहां जो टाटा, डालमिया, बिड़ला जैसे कैपिटलिस्ट हैं उनकी इनकम सन् ४५ से लेकर अब तक करीब दसगुना बढ़ी है जब कि हिन्दुस्तान के गरीब लोगों की आमदनी ४० नये पैसे पर कैपिटा बढ़ी है। इसके लिये आप ही जिम्मेदार हैं। बड़े-बड़े आई० ए० एस० जिनको २ हजार रुपये मिलते हैं उनकी स्थिति होर्डिंग की हो सकती है, लेकिन किसान जिसके लिये चन्द्रजीत जी ने कहा कि वे अपना गल्ला मारकेट में नहीं लाते हैं, वह होर्डिंग नहीं कर सकता है। मैं आपसे पूछना हूं कि कंट्रोल करने वाला कौन है । आप कानपुर में जाकर देखें तो मालूम होगा कि असलियत क्या है। आज बिड़ला की कैपिटल कैरेसिटी ४०० करोड़ रुपये की है जब कि टाटा की ४५० करोड़ रुपये की है। यू० पी० में सरक्युलेशन आफ मनी है और आज होर्डर लाखों का माल खरीद कर अपने पास रखते हैं जब कि लाखों करोड़ों गरीब उन चीजों के लिये घूमते फिरते हैं । तो इसको सोचने की जरूरत है।

श्री नवलकिशोर—

आप जैसे बड़े-बड़े फार्म वाले कितने लोग ऐसे हैं जो होर्डिंग करते हैं और अपना माल मारकेट में नहीं लाते हैं ?

श्री बलवानसिंह—

माननीय नवल किशोर जी मेरे जैसे लोगों को भी कैपिटेलिस्ट समझने लगे। बड़ा काश्तकार कैपिटेलिस्ट नहीं होता है। सोसिला में बड़े काश्तकार की परिभाषा दी गयी है । २ एकड़ से नीचे के काश्तकार ४० फी सदी हैं और १० एकड़ से ज्यादा के काश्तकार मैं समझता हूं कि

यहां काफी है, लेकिन अगर मान लिया जाय कि वे बड़े काश्तकार हैं जिनकी तरफ माननीय सदस्य ने इशारा किया है, तो भी ३० एकड़ वाले काश्तकारों की कितनी होल्डिंग कैपेसिटी हो जायगी ? काश्तकार जितना रुपया खेती में लगाता है उसका इन्टेरेस्ट उसे नहीं मिल पाता है । शहरों में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम गिराने के लिये तैयार हैं, काश्तकार ही ऐसा है जो अपने लिये पैदा करता है और अपना पेट काट कर शहर वालों को भी खिलाता है ।

श्री नवलकिशोर—

आप इसके लिये नहीं तैयार हैं ।

श्री बलवानसिंह—

मैंने नवल किशोर जी का एक लेख अखबारों में पढ़ा और उससे मैं कह सकता हूं कि वे साल में एक दो बात अक्लमन्दी की कह देते हैं । उस लेख में उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस की गिरावट का कारण यह है कि वह कैपिटेलिस्टों के हाथों में खेल रही है । मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ५०–६० लाख की संख्या में कांग्रेस मेम्बर बनने और करीब २२ लाख रुपया श्री कमलापति त्रिपाठी की जेब में जाने के बाद यह न्यूसेंस वैल्यू आपकी नजर में आया ? पहले आप कहां थे ? आज आपका होल्डिंग कैपेसिटी को देखना है । क्या कांग्रेस सरकार मेरे सुझाव को मानने को तैयार है ? क्या सरकार ५ लाख से ज्यादा कीमत के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने को तैयार है ? यू० पी० के अन्दर जो लखपति तथा करोड़पति हैं उनकी मिलों को लिया जाय, केवल शुगरकेन फैक्टरीज को ले लिया जाय तो २८ करोड़ का मुनाफा होगा । अगर ३० एकड़ की सीलिंग रूरल एरियाज में जरूरी है तो शहरों में भी ५ लाख से ज्यादा की दौलत वालों पर सीलिंग की जरूरत है । लेकिन जिस दिन अर्बन सीलिंग की जायगी उस दिन कांग्रेस बेंवेज को लाखों की थैलियां नहीं मिलेंगी । एक आई० सी० एस० को २ हजार रुपये तनख्वाह मिलती है और नौकरी भर में साढ़े ७ लाख रुपया कमा लेता है । जब टाटा, बिरला २० लाख की थैली दे देते हैं तो उसको कहना पड़ता है कि गल्ले की होल्डिंग नहीं है । मैंने कांग्रेस के ही राज्य में देखा कि अमृत और जहर दोनों फैल रहे हैं । कांग्रेस राज्य में ही कहा जा सकता है कि टाटा, बिरला भी रहेंगे और सोशलिज्म भी होगा । मेरा निवेदन है कि जिस दिन काश्तकार द्वारा उपजने वाली चीजों पर कारखाने चलेंगे तभी स्टेबिलिटी होगी । लेकिन काश्त की हालत यह है कि एक फीसदी खाद देश में नहीं है । जापान में जहां १०० पौन्ड नाइट्रोजन मिलता है एक एकड़ पर वहां हमारे देश में एक पौन्ड मिलता है । आबपाशी की हालत यह है कि इर्रीगेशन एरिया जो था वह टूटा है क्योंकि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन बढ़ी है । १४ फीसदी से ज्यादा खेती में पानी नहीं है । एक फीसदी से ज्यादा खाद नहीं है और अनाजों की कीमतें तय नहीं हैं और रोना रोया जाता है कि राष्ट्रीय संकट है । इसलिये मेरा अन्त में यही कहना है कि यह इतना बड़ा धोखा है कि इससे काम नहीं चलेगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के विरोधी पक्ष के आदरणीय सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिससे कि हमारे प्रदेश तथा देश का सारा मानस उद्वेलित है, विचार करने का अवसर दिया । मेरी यह निश्चित धारणा है कि यदि दलीय दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाय आवेश और उत्तेजना से बात न की जाय तो खाद्य समस्या के संबंध में विरोधी पक्ष के जो विचार हैं और माननीय नेगी जी के जो विचार हैं उनमें कोई अधिक अन्तर नहीं है । इस बात को सभी लोग इस सदन में स्वीकार करें और सभी इस बात पर एक मत हों जिससे इस प्रदेश के बाहर के लोग भी जिनके हाथ में खाद्य संबंधी नीति को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है उनके मन में इस प्रकार की भावना बैठे कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

उत्तर प्रदेश की विधान सभा जो है वह एक राय से कुछ निश्चित नतीजों पर पहुंच चुकी है। और उसमें कुछ वजन भी आ सके। श्रीमन्, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते है, सरकार के लोग भी और विरोधी दल के लोग भी कि हमारा प्रदेश खाद्य के मामले में अविकसित एरिया है और इतना खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता है जितनी आवश्यकता है। इस समय श्रीमन् १९६४–६५ में काफी खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। करीब १४८ लाख टन या १५२ लाख टन का उत्पादन हुआ, तब भी हमारी जनता के लिए २०–२२ लाख टन खाद्यान्न की कमी पड़ जाती है। हमारे यहां खाद्यान्न के उत्पादन में कमी है यह बात सभी स्वीकार करते हैं। जो भी खाद्यान्न उपलब्ध हैं उनके भाव एक उच्चतम सीमा की, जो कल्पना की जा सकती है, उसको पार करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा कि मौलिक तथ्य में मतभेद नहीं है कि खाद्यान्न की हमारे यहां कमी है और जो उपलब्ध हैं वे मंहगे बिक रहे हैं। हम यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि खाद्यान्न की कमी की वजह से मंहगा बिक रहा है। मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उसमें लिखा है कि १९६१–६२ में १३८ लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ, १९६२–६३ में १३२ लाख टन, १९६३–६४ में ११६ लाख टन और १९६४–६५ के आंकड़े नहीं दिये है लेकिन शायद १४८ लाख टन या १५२ लाख टन पैदा हुआ है।

श्रीमन्, जब पिछले वर्ष अधिक पैदावार हुई है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हमारी खाद्य नीति में क्या कमजोरी है जिसकी वजह से पारसाल अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होने पर भी भाव बहुत ऊंचे हो गये? पिछले साल अक्तूबर के महीने से खाद्यान्न के भाव ऊंचे होने शुरू हुये थे लेकिन जब इस साल काफी खाद्यान्न पैदा हुये फिर भी जुलाई के महीने से जो भाव चढ़े हैं वे एकदम बहुत ज्यादा हो गये हैं। इस समय गेहूं ३७ रुपये मन बिक रहा है, जौ सवा छब्बीस रुपये मन, चना एक सेर ६ छटांक का बिक रहा है, चावल १२ छटांक का बिक रहा है इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं कोई कठिनाई जरूर है।

एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि खाद्य मंत्री और प्रदेशीय सरकार के प्रति अन्याय होगा यदि यह स्वीकार न किया जाय कि कुछ राष्ट्र नीतियां हैं जिनसे हम मजबूर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से प्लानिंग चल रही है उसमें हम यह कल्पना करें कि हमारे भाव नार्मेलसी को पहुंच जायेंगे तो यह केवल कल्पना ही होगी। हमारा प्लानिंग मुद्रा प्रसार की है जब से हमारी पंचवर्षीय योजनायें शुरू हुई हैं हमारे खाद्यान्न के भाव भी बढ़ने शुरू हो गये हैं। १९५० में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ तो उस समय गेहूं ३ सेर का बिकता था जो अब यानी १९६५ में चार पाव का बिक रहा है, दाल चार सेर की थी जो अब दो पाव की बिक रही है चावल दो सेर का था जो अब तीन पाव का बिक रहा है, दूध दो सेर का था जो आज तीन पाव का बिक रहा है, घी पाव भर का था जो आज आध पाव का बिक रहा है। योजना के आरम्भ में जो भाव थे उनसे आज दुगने और चौगुने भाव बढ़ गये। सूचकांक १६२ और खाद्यान्न का १९२ है। अगर इस तरह की योजनायें बनाई गईं जिनसे भाव ऊंचे होते जायं तो यह गलत तरीका होगा।

मुझे बड़ा दुख है और मैं कह देना चाहता हूं कि दिल्ली अधिवेशन में जो देश के कर्णधार थे, जिनके हाथ में नीतियां थीं, उन्होंने ऐसी नीति नहीं बनाई जिससे खाद्यान्न की स्थिति में सुधार होता। ६ अगस्त को जो कांफ्रेंस हुई उसमें जो नीति निर्धारित हुई वह गलत है और जब तक दिल्ली की सरकार और खाद्य मंत्री ठीक निश्चय नहीं लेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

श्रीमन्, क्या खाद्य नीति इन लोगों ने दिल्ली में तय की—कि गेहूं और चावल पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध चालू रहेंगे। किन्तु मेरा कहना है कि जबतक यह प्रतिबन्ध चालू रहेगा इस प्रदेश की

खाद्य स्थित किसी भी दशा में कदापि सुधर नहीं सकती है। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश डेफिसट ऐरिया है। हमारे यहां पंजाब से गेहूं आता था, राजस्थान से मिलेट, बिहार से चावल आदि आता था जिससे हमारी कमी दूर रहती थी। इस क्षेत्रीय प्रतिबंध के रहते हुए कोई भी अन्न का अभाव एक समतल अवस्था पर पहुंचेगा, ऐसा माना नहीं जा सकता। यह जरूर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक अच्छा निर्णय हुआ है कि मोटे अनाज को हम जरूर अपने प्रदेश में रोके रह सकेंगे उसको भेजने के लिये हम विवश नहीं किये जायेंगे जबकि पहले यह मोटा अनाज भी हमारे हाथ से निकल जाया करता था। किन्तु इस फसल में हम इस फायदे की बात को भी हार चुके हैं और हमारे यहां का मोटा अनाज खाद्यमंत्री महोदय निर्यात कर चुके हैं। इसलिये उस छूट का भी कोई उपयोग नहीं हो सकता है।

सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात का भी निर्णय किया गया है कि इस बात का पता लगाया जायेगा कि कौन सा क्षेत्र सरप्लस है और कौन सा क्षेत्र डेफिसिट। यह कितने मजे की बात है कि आज १८ वर्ष से हमारी सरकार इस बात का भी पता नहीं मालूम कर सकी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा, खराब खाद्य स्थिति के बारे में दिल्ली की सरकार पर दोष देकर अपने उत्तरदायित्व से अपने प्रदेश की सरकार भाग नहीं सकती है। मैं माननीय खाद्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, जो खाद्य स्थिति को सुलझाने के लिये बहुत ही प्रयत्नशील हैं और मैं जानता हूं कि वह वास्तव में इस ओर प्रयत्नशील हैं क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिये हैं वे बिल्कुल सही हैं। उन्होंने खाद्य के संबंध में क्षेत्रीय व्यवस्था का विरोध किया है। उन्हें चाहिये कि वह इस चीज पर पूरा जोर दें कि भारत सरकार जोनल प्रतिबन्ध को तोड़े और यदि भारत सरकार उसको न माने तो वह इस बात पर अवश्य दृढ़ रहें कि उत्तर प्रदेश से किसी भी अन्न को वह किसी तरह भी निर्यात न होने दें। मैंने अभी सुना है और किसी अखबार में भी पढ़ा है कि दिल्ली की सरकार प्रदेशीय सरकार से १८ सौ टन चावल मांग रही है। विगत साल यह प्रश्न बड़े उग्ररूप से इसी असेम्बली में उठा था जब २४ हजार टन चावल बाहर भेज दिया गया था। तो अपने प्रदेश में अन्नाभाव की स्थिति में वह किसी भी प्रकार से चावल या अन्य अनाज किसी भी स्थिति में बाहर न भेजे, यदि उन्होंने ऐसा किया तो प्रदेश की स्थिति बहुत ही कठिन हो जायेगी और उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा।

खाद्य के नियंत्रण की बात तो आप कर रहे हैं, किन्तु आपका कोई भी नियंत्रण वास्तव में नहीं है। खाद्य स्थिति जो भी आप अपने प्रदेश में निर्धारित करते हैं उसको आप लागू नहीं कर पाते हैं। यह बात विधान सभा में भी कई बार कही गयी है। मैं खाद्य मन्त्री को बतलाना चाहता हूं कि जहां एक ओर अन्न का भयंकर अभाव है और भीषण मंहगाई से पीड़ित प्रदेश की जनता की कमर ही टूटी जा रही है, उस समय भी दूसरी ओर खाद्यान्न प्रदेश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के बाहर तिब्बत और चीन को भी हमारे प्रदेश से भेजे जा रहे हैं। कानपुर से ऐसा बड़ी मात्रा में हो रहा है, सरकार ने और उसके अधिकारियों ने इस बात को वहां स्वीकार भी किया है कि वहां पर इस प्रकार के तत्व हैं जो खाद्यान्नों को बाहर भेजे जा रहे हैं। कानपुर से मैदा के नाम पर, अरारोट के नाम पर और भूसी के नाम पर काफी बड़ी मात्रा में अनाज लखनऊ के रास्ते गोरखपुर होते हुए नैपाल और तिब्बत जाता है। इसका एक दूसरा रास्ता है मिर्जापुर से होते हुए असम को जाता है।

एक तरफ तो यह है कि बड़े-बड़े मिल मालिकों को आटा और मैदा बनाने के लिये गेहूं का जो कोटा दिया जाता है वह देश के बाहर भेज दिया जाता है---

श्री बलवानसिंह---

माननीय कृष्णानन्द जी कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ यह कहा है कि हमारे प्रदेश से अनाज देश के बाहर जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी खासतौर से इस बात का जवाब दें।

श्री कृष्णानन्दराय—

हां, वह इसका जवाब देंगे। मैं उन अखबारों को पेश कर दूंगा जिनमें इन तथ्यों को अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि मैदा, अरारोट और भूसी के नाम पर अनाज उत्तर प्रदेश से ही नहीं सारे देश से स्मगलिंग होकर बाहर जा रहा है। आपकी खाद्य नीति आपके प्रदेश के लिए क्या है? आपकी सारी नीतियां देश के और प्रदेश के हित के विरुद्ध हैं। आप देश और प्रदेश के बाहर खाद्यान्न जाने से रोक नहीं पाते। मैं सरहद का रहने वाला हूं। बहराइच की सरहद नेपाल की सरहद से मिली हुई है। बहराइच सरहद से बेल्ट के एरिया में काफी मात्रा में खाद्यान्न बाहर जाता है जिसे आप रोक नहीं पाते हैं, किन्तु जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर १ छटांक अनाज ले जाने के लिए भी प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं और उसे नहीं भेजने देते हैं। गाजीपुर जिले में श्रीमन्, ५ मील की बेल्ट एरिया में जमानिया, दिलदारनगर और जितने बाजार हैं सभी पड़ते हैं और उसके कारण वहां की साढ़े ३ लाख जनता परेशान है। आप बेल्ट एरिया में खाद्यान्न जाने से रोक देते हैं तो वह क्या करें। उसका फायदा क्या हो रहा है कि बुलन्दशहर से जो गेहूं चलता है उसको जब आप बेल्ट एरिया में नहीं जाने देते तो वह नेपाल में चला जाता है। इस प्रकार की नीतियों से कोई लाभ नहीं होगा, इस पर आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

श्रीमन्, मैं एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस पर माननीय खाद्य मन्त्री जी विचार करें। उन्होंने कहा कि ५० हजार टन उन्होंने लेवी से वसूल किया है। मैं उनसे बहुत अदब से अनुरोध करना चाहता हूं कि वही कारण हैं जो खाद्यान्न के भाव आज इतनी ऊंचाई पर चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आपने किस भाव पर वसूल किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वसूल नहीं किया है, बाजार से खरीदा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

ठीक है, खुले बाजार से खरीदा है, लेकिन किस भाव से खरीदा है। २६ रुपए मन के भाव से। बाजार का भाव है ३७ रुपए मन, आपने अपने लिए ११ रुपए मन का भाव घटा दिया। आपने यहां से अपने मार्केटिंग आफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी भेज दी कि ५० हजार टन बाजार से खरीद करो २६ रुपये के भाव में। आपके अधिकारियों ने सोचा कि अपनी एफिसियेन्सी दिखाओ। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि अगर १०० मन गेहूं खरीदो तो ५० मन हमें दो। अभी मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था उसमें लचीली लेवी का जिक्र है। भगवान जाने कि लचीली से सरकार का क्या मतलब है और सरकार की यह लचीली नीति इस प्रदेश को कहां ले जाकर छोड़ेगी। तो खैर उन्होंने व्यापारियों से कहा कि अगर १०० मन तुम खरीदो तो सरकार को २६ रुपये मन यानी ११ रुपये मन कम में दे दो और जो ११ रुपए मन का घाटा हो रहा है तो वह जो ५० मन फ्री कर दिया है उस पर उसको लाद दो, उसको २६ के बदले ५० रुपए मन में बेच लो। तो इस प्रकार आपने खरीद की है और उसकी वजह से बाजार में खाद्यान्नों के भाव इन्फलेट कर गए हैं। तो इस प्रकार की खरीद की योजना बिल्कुल अस्वाभाविक है।

एक बात और, मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने एक नीति निर्धारित की है कि १० लाख से अधिक आबादी वाले जन संख्या के नगरों में राशनिंग की जायगी। उत्तर प्रदेश में यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय बलवन्तसिंह के शहर को जो स्मगलिंग का अड्डा है खाद्यान्नों को बाहर भेजने के लिए। जितनी खरीद होगी उसका क्या आप १० लाख की आबादी वाले इस नगर को सस्ते दाम पर बिकाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जावेंगे। आप उस दिन जिक्र कर रहे थे कि देवरिया में १०५ दुकानें सस्ते गल्ले की हैं। मैंने पूछा होता गाजीपुर के बारे में तो आपने कह दिया होता कि गाजीपुर में २२० दुकानें हैं, लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ऐसे

सस्ते गल्ले की दुकानें देहातों में कहीं किसी जिले में नहीं हैं,। पांच हजार से ऊपर आबादी वाले गांव और कस्बे हमारे सारे जनपद में हैं। लेकिन उन सब जगहों में अनाजों के भाव तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और खाद्यान्नों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, आपके वितरण की मशीनरी फेल होती जा रही है, जो सरकार दिल्ली में बैठी है वह आप जो नीति चलाना चाहते हैं, वह चलाने नहीं देती, आप अपनी नीतियों को मजबूती से चलाते नहीं हैं, तो यह विषमता तो रहेगी, कोई इसे दूर कर नहीं सकता। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि खाद्यान्नों की कमी के कारण विषमता है। यह जितनी भी विषमता आज सामने आकर खड़ी हो गई है यह सरकार की कमजोर नीतियों के कारण है। जनता को जितने खाद्यान्न की जरूरत है वह आज जनता को सुलभ है, किन्तु खाद्यान्न को पैदा करने और उसके वितरण के सम्बन्ध में सरकार के पास नीतियों में कमजोरी है। यदि उसमें कुछ अपना संशोधन कर लें तो हमारी समझ में इस विषम स्थिति में जो खाद्यान्न के सम्बन्ध में अपने प्रदेश में पैदा हो गई है उसमें काफी आसानी हो जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल से इस विषय पर विवाद सुन रहा हूं। मेरी समझ में यह आता है कि इस विषय के मुख्यतया दो पहलू हैं। एक तो प्रदेश में और देश में गल्ले की उपज कम है और दूसरे हर चीज के दाम, गल्ले से लेकर जीवन की हर उपयोगी चीज के बेतहाशा बढ़े हैं। एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी ने यह तर्क दिया कि जहां तक गल्ले की मंहगाई का प्रश्न है गल्ला कम पैदा हुआ। आपके कुछ आंकड़ों के अनुसार १९६१-६२ में १३८ लाख मी० टन और १९६२-६३ में १३२ लाख मी० टन पैदा हुआ। केवल ६ लाख टन का अन्तर है। उस समय जब १३८ लाख मी० टन पैदा हुआ तो गेहूं मिलता था १२ से १५ रुपए मन और जिस साल यह १३२ लाख टन पैदा हुआ तो उस साल से गेहूं के दाम भागना शुरू कर दिए। आज वह दाम ३७ रुपए मन तक पहुंच गए हैं। आखिर ३७ के भाव तक दाम भागना क्यों शुरू किए? क्या केवल कमी ही एक कारण है? कमी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, परन्तु यह मूल्य जो ऊपर को भागे इसकी जिम्मेदारी आपकी नीति है। आपने योजना के बाद योजना बनाई और बड़े-बड़े सुन्दर स्वप्न खड़े किये कि यह किया जायगा और वह किया जायगा। उस स्वप्न को पूरा करने की आपने कोशिश की। पैसा खर्च किया और आपके पास नहीं रहा तो दुनियां से भीख मांगी, लेकिन वे स्वप्न पूरे नहीं हुए। फिर नोटों को छापकर देश को चलाया और देश के अन्दर इन्फलेशन पैदा किया। यही नोटों का छापना आज सबसे बड़ा गुनाहगार है कि आज देश और प्रदेश के अन्दर मूल्य भागे हैं। सरकार नोटों को छापती जाती और उसका प्रभाव देश के ऊपर पड़ता जाता है। अगर सरकार नहीं छापती है तो खुलकर इस बात को अस्वीकार क्यों नहीं करती?

सन १९६२ में जिस समय खाद्यान्न के ऊपर बहस हुई थी तो सभी विरोधी पक्ष के लोगों ने इस बात को कहा था कि आप डिफीसिट फाइनेंस कीजिए। वह करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। अब आगे और २४ हजार करोड़ की चतुर्थ योजना बनाने जा रहे हैं। जब आप आगे अपनी योजना चलायेंगे और नोटों को छापकर लायेंगे तो उससे इन्फलेशन और अधिक बढ़ेगा तो फिर मूल्यों की हालत क्या होगी? अगर इसी प्रकार से सरकार पौलिसी चलाती रही और इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ४ रुपया सेर यहां पर गेहूं बिक जाय। तो यह आपके इन्फलेशन का नतीजा है। आज जो जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना मनुष्य के लिए दूभर हो रहा है तो उसका कारण यह है कि ऐसी चीजों की आपके पास कमी है। वे पूरी मात्रा में मनुष्य को आज मिल नहीं पा रही हैं।

दूसरी तरफ महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है कि जीवन दूभर होता जा रहा है। इस कमी को कैसे दूर किया जाय इसके ऊपर मन्त्री जी ने अपने लम्बे चौड़े भाषण में कुछ प्रकाश

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

नहीं डाला। आप कहते हैं कि हम राशनिंग करेंगे, परन्तु मन्त्री महोदय मैं एक प्रश्न आप से पूछता हूं कि कभी आप अपना राशन कार्ड लेकर शहर की किसी राशन की दुकान पर जाइए और जरा लाइन लगाकर खड़े होकर अनुभव करें कि कितनी दिक्कत से और कितनी परेशानी के बाद, अगर आपका सौभाग्य रहा तो आपको गेहूं मिलेगा। नहीं तो वह भी नहीं मिलेगा। यह सारी बंगलिंग इस विभाग की है। यही परेशानी का एक कारण है।

आप सप्लाई आफिस जाइए। मैं अपने अनुभव का उदाहरण आपको देता हूं कि जौनपुर में एक व्यापारी को मैदे का कोटा मिला चंडीगढ़ का। कानून आपने यह बनाया है कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर पहले रेकमेंड करे। अब भक्त चला मन्दिर में तो पहले उसे वाहन की पूजा करनी चाहिए। आज इस से हम और आप इन्कार नहीं कर सकते हैं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि मेरे से स्वयं जौनपुर के सप्लाई विभाग के एक सज्जन ने कहा कि सीमेंट चाहिए तो तीन रुपया प्रति बोरी के हिसाब से आप दीजिए। वह मिल सकती है। अब वह कहां से आएगी? मेरा तो निश्चित मत है कि बाजार में आकर अगर आप के पास पैसे हैं, आप ब्लैक का दाम दे सकते हैं तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं।

मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरी लड़की की शादी थी। मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा कि मुझे घर से गल्ला लाने की आज्ञा प्रदान की जाय। आप ने मेरे उस प्रार्थना पत्र को विभाग में भेज दिया। वहां से जवाब आया कि आप इस बात को सर्टिफाई करायें गोरखपुर के फूड कंट्रोलर से कि यह गल्ला आपके खेत में ही पैदा हुआ है। जौनपुर से गोरखपुर डेढ़ दो सौ मील पड़ता है। वह रीजलन फूड कंट्रोलर क्या सर्टिफाई करेगा कि यह गल्ला मेरे खेत में पैदा हुआ है या नहीं। अगर हम इसी में घूमेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो जौनपुर के सप्लाई अफसर से उसने रेकमेंड कराया और यह बात ठीक है कि जितना नीचे का सप्लाई विभाग भ्रष्ट है उतना आज कोई दूसरा विभाग भ्रष्ट नहीं है। उसने बमुश्किल उसको सर्टिफाई कराया। उसने कुछ खर्च भी किया। उस के बाद फिर उसे सेक्रेटेरियट आना पड़ेगा। और जब वह वहां आयेगा तो उसको यहां भी खर्च करना पड़ेगा। फिर वह सर्टिफिकेट लेकर चन्डीगढ़ जायगा और जब मिल मालिक के पास पहुंचेगा तो वह मिल मालिक कहेगा कि उसे परमिट तो मिल गया, सही बात है, लेकिन १३० रुपये अगर सही दाम है तो उसे १५० रुपये लगेंगे। लेना हो तो ले, नहीं वह कह देगा कि माल उस के पास नहीं है। तो वह बेचारा झख मारेगा और लेगा और यह २० रुपये मन उस के ऊपर और लग जायेगा। इसके बाद जब वह जौनपुर पहुंचेगा तो आपके रजिस्टर में बिकेगा कुछ और वास्तविक रूप में होगा कुछ। आप की आज की मशीनरी इतनी कांपीटेंट नहीं है, वह इतनी ईमानदार नहीं है कि वह आपका काम ठीक से चला सके और मैं यह इसलिये कहता हूं कि आज गोरखपुर से, देवरिया से, पड़रौना से लाखों मन गल्ला चीन को गया है। आप के कानपुर से आटा और मैदा लाखों मन चीन को जा रहा है।

चीन की दुरंगी नीति है। वह जानता है कि आप के देश में खाद्यान्न की कमी है और इसमें अगर वह और खाद्यान्न खींच ले तो आप के यहां भुखमारी की हालत खड़ी हो जायगी और उस से आप के देश में गड़बड़ी होगी। कृष्णानन्द जी ने भी इस ओर इशारा किया है। आज चीन से लाखों रुपये के छपे हुए नोट आप के यहां आ रहे हैं। दस रुपये, पांच रुपये, सौ और हजार रुपये के नोट आ रहे हैं। उसने इतने सुन्दर नोट छापे हैं कि जल्दी आप उसको अलग नहीं कर सकते। पांच रुपये के नोट में आप के यहां दो हिरन बैठे हैं एक खड़ा है और उस के नोट मे तीनों हिरन खड़े हैं। जाली नोट छापनें में चीन का कुछ बिगड़ता नहीं और मुफ्त में वह आप का सामान खींच कर ले जाता है। आप की आर्थिक अवस्था स्वयं ही डांवां डोल है, वह जर्जर हो चुकी है। उस में इतने लाखों रुपये के नोट अगर वह डाल दे तो आप की आर्थिक अवस्था बिलकुल बिगड़ जाएगी। इसकी आप क्या रोकथाम कर रहे हैं? हाल ही में आपने कानपुर में पाकिस्तान को जाती हुई कारोगेटेड आइरन शीट्स पकड़ी है।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--

पकड़ा किसने है ?

श्री यादवेन्द्र दत्त--

कहिये तो खोल कर कहूं । सौदा नहीं पटा इसलिये पकड़ गया है । पैसा जो मिलता था उस पर सौदा नहीं पटा । देवरिया और गोरखपुर, जो नैपाल बार्डर पर है, उस में आपके कस्टम के अधिकारी बैठे रहते हैं, सी०आई०डी० बैठी रहती है, आप के विभाग के लोग एक तरफ बैठे रहते हैं । वह कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पैसा लेने के लिए सबको जिम्मेदारी है, पकड़ने की किसी की नहीं है । श्रीमन्, यह जो मशीनरी है वह बिलकुल इन्काम्पीटेंट है, भ्रष्ट है ।

श्रीमन्, जोन्स जो आपने बनाये हैं यह भी कितना गलत काम हुआ है ? इसका परिणाम यह हुआ है कि चावल का भाव उत्तर प्रदेश में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है । गेहूं का भाव गाजियाबाद में कुछ है और उसी से ४ फर्लांग की दूरी पर कुछ है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि करप्शन बढ़ रहा है और आप उसे रोकने के असमर्थ है । इसका असर सारे इकोनामिक ढांचे पर पड़ रहा है । सब योजनायें आपकी जरजर हो रही हैं । मैंने जो सवाल सन् १९६३ में पूछा था मैं आज फिर वही सवाल पूछता हूं । आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश ने जब चावल देना बंद किया था तो क्या उसको चुनौती नहीं दी गयी थी, थामस साहब भागे-भागे भोपाल गये थे । यह चुनौती दी गयी थी कि तुम अगर चावल नहीं दोगे तो हम कपड़ा नहीं देंगे । एक ओर आज मंहगाई आकाश को छू रही हो, वहां दूसरी ओर आप देश का विघटन कर रहे हैं । आज जो आपकी नीति है उसी का यह परिणाम है जो आपके सामने आ रहा है । मंत्री जी कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केन्द्रीय सरकार की है, किन्तु इससे वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ।

श्रीमन्, लड़ाई से पहले इस देश में चावल थाईलैंड से अधिक मात्रा मे आता था, बर्मा से आता था । आज आपकी गलत नीतियों का परिणाम यह है कि बर्मा हमारे हाथ से चला गया । थाईलैंड से भी चावल आप ले नहीं पाते क्योंकि वहां झगड़ा यह पैदा हो गया था कि वह ३५ सेंट के हिसाब से मांगता था, आप ३२ देना चाहते थे । थाईलैंड भी बदले में कपड़ा तथा चीनी आदि चाहता था । जब आप दूसरे देशों से व्यापार कर सकते है, तो थाईलैंड से क्यों नहीं कर सकते ? मेरी समझ में नहीं आता । अगर आप वहां से चावल मंगाते तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती । आखिर एक पौंड पर २-३ सेंट ही तो ज्यादा देने पड़ते । दूसरे मुल्कों को भी तो आप कपड़ा चीनी आदि देते हैं, उनसे भी तो आप व्यापार करते हैं । आज हो क्या रहा है । जो चावल खाने वाले प्रदेश हैं उनको आप गेहूं दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि गेहूं पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है । अगर चावल की कमी न होती तो गेंहूं पर इतना प्रेसर भी न पड़ता। परंतु आप यह नहीं करेंगे । आज तो अमेरिका से भीख मांगेंगे । भिक्षां देहि, भिक्षां देहि । आप अपने देश का पैसा देंगे उन्हें कि रक्खे रहो । भले ही आप राजनैतिक स्वतंत्रता लिये बैठे हैं, लेकिन इकोनामिक स्वतंत्रता नहीं रह गई है, अमेरिका के कारण । अगर आप उतना ही अधिक चावल थाईलैंड से लेकर दक्षिण और मध्य प्रदेश को देते तो गेहूं पर इतना प्रेसर नहीं आने वाला था और थाईलैंड को अपना बना हुआ सामान देते तो हमारी इन्डस्ट्री का उद्भव भी बढ़ता । जापान को आप अपना समान दें, और अपने अर्द्ध कच्चे माल पर अधिक दामों की मशीनरी पा लेंगे । यह जो आपकी गलत नीति व्यापार की है आज उस नीति के कारण भी हमारे देश और प्रदेश की खाद्य-स्थिति के अन्दर भीषणता आ गई है । आपकी नीतियों में कोई स्थायित्व नहीं है । हिन्दी में एक प्रसिद्ध कहाबत है :--"दोउ न इक संग होइ भुआलू । हंसब ठेंठाव बजाउब गालू ।" एक तरफ चाहते हैं कि मार्केट कन्ट्रोल हो, समाजवाद का नारा भी लग रहा है और दूसरी तरफ व्यापारी भी लूट रहे हैं ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

स्टेट ट्रेडिंग का बड़ा नारा लगा रहे हैं। क्या श्रीमन्, राज्य के व्यापार करने से खेतों में ज्यादा गल्ला हो जावेगा ? राज्य की कोआपरेटिव सोसाइटीज का जो व्यापार होता है और उन पर आये दिन सवाल होता है कि फलां सोसाइटी इतना खा गई, फलां में इतनी गड़बड़ी है। तो जो अधिकारी इतने करप्ट हैं क्या स्टेट ट्रेडिंग में करप्शन नहीं करेंगे इसका आपके पास क्या प्रमाण है ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले आपनी नीतियां शुद्ध करें। आप बफर स्टाक रक्खें लेकिन बफर स्टाक के यह माने नहीं कि आपका एकाधिपत्य हो, कन्ज्यूम लूटा जाय। आप बफर स्टाक रखते हुए नार्मल चैनल्स को चलने दें। आपकी नीतियों के कारण आपका आर्थिक ढांचा नष्ट हो रहा है। हमारे जो स्वाभाविक खाद्यान्न देने वाले प्रदेश थे उनसे सम्बन्ध टूट रहा है। सारे देश में अलग-अलग जोन्स बनाने की अपेक्षा एक ही जोन बनाकर रक्खें। देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये इन्टेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। इसके लियें आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बातों पर विचार करके नीतियों में सुधार करेंगे।

(श्री रामायणराय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आपके पास लिस्ट है। चुने हुए लोग ही क्यों बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं बुलाया है। मैं जिनको बुला रहा हूं वे ही बोलेंगे। आपका लांछन गलत है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आप किसी को बहुत ज्यादा और किसी को टाइम ही नहीं देते हैं बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपने खयाल के मुताबिक सबको टाइम देता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

कोरम पूरा कर लिया जाय, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम पूरा है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यदि मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय के विचारों को श्रेणीबद्ध करूं तो उन्होंने तीन बातें आज जो सदन के समक्ष प्रस्तुत की हैं और उनके समाधान के लिये संकेत किया है। मान्यवर, उनका कहना है कि योजना के सपने ने उस देश में महंगाई का सृजन किया है। वह यह भी अपने भाषण के द्वारा बतलाना चाहते थे कि हमारी ओर से स्टेट ट्रेडिंग या राजकीय व्यापार की योजना की जो बात की जाती है उस बात की वजह से भी आज हमारी समस्या उलझी हुई है। उनका ऐसा विश्वास है। और तीसरी बात मान्यवर, वह फरमा रहे हैं, कि कुछ लोग हमारे देश में जो उत्पादित गल्ला है, उसे चोरी से चीन की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में अभाव की स्थिति है।

श्रीमन्, जहां तक आप की पहली बात का संबंध है.....

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, मेरे सौभाग्य से इस समय माननीय नेता विरोधी दल उपस्थित हैं और माननीय भानुप्रतापसिंह, जिनका इस समस्या पर काफी गंभीर अध्ययन है, वह भी हैं । मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि तीन कारणों से यह समस्या हमारे सामने आयी है । पहला कारण यह बताया कि जिनने इधर के बैठने वाले हैं उन्होंने यह फैसला किया कि इस देश में योजना चलायी जायगी, इसलिये महंगाई बढ़ी । उनके शब्द थे--"योजना के स्वप्न ने हमारी स्थिति को खराब किया है ।"

दूसरी बात यह कही कि राष्ट्रीय गल्ला व्यापार योजना की वजह से मंहगाई बढ़ी । जहां तक उनकी इस बात से सम्बन्ध है, जितने देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, यदि वे आगे जाना चाहते हैं तो उन को अपनी अर्थ व्यवस्था को नियोजित करना होगा । यह बात दूसरी है कि योजना के लिए हमने जिन नीतियों को निर्धारित किया है, उन नीतियों में हमें कोई खामी दिखाई दे । लेकिन किसी निर्धन देश को आगे बढ़ाने के लिये योजना करना, यह कोई खराब बात है, वक्ता महोदय की पार्टी को छोड़ कर इस सदन में ऐसा मानने वाला कोई और दल नहीं है । जिन लोगों ने नियोजित ढंग से आगे बढ़ने वाले देशों का इतिहास देखा है उनको यह मालूम होगा कि भविष्य के लिये उन को कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना पड़ा है । चाहे वह रूस हो अथवा दूसरे देश हों उनको वर्तमान में कष्ट उठाकर सुन्दर भविष्य के लिये योजना को चलाना पड़ा । यह निश्चित बात है कि पिछले दिनों हमने इस ओर जो प्रयास किया है उससे हम आगे बढ़े हैं और इधर के बैठने वालों का यह भी कहना कभी नहीं है कि जो प्रयास हमने किया है, उस में कत्तई कोई खराबी रही ही नहीं, लेकिन अगर हम उन गलतियों में उलझे रहे तो इससे काम चलने वाला नहीं है लेकिन देश को यह कहकर अंधकारमय नहीं बनाया जा सकता कि क्योंकि हमने योजना की नीतियों को अख्तियार किया है, इसलिये हमारे यहां महंगाई, बेकारी है ।

मान्यवर, इस सदन में आम तौर पर इस समस्या पर जब भी विचार हुआ ,वितरण के ऊपर अधिक जोर दिया गया मेरी अपनी निजी राय में हम को जब कभी भी अवसर मिले वितरण की अपेक्षा इस पर अधिक सोचना चाहिये कि खाद्यान्न को अधिक कैसे उपजाया जा सकता है । यह सही है कि हमारी सरकार खाद बांटती है, वह सिंचाई की सुविधा किसानों को देती है यह भी सही है , लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि अभी हमारे सूबे मे बहुत बड़ी खामी खेती के धंधे मे है । उसके रहते हुये इन तमाम प्रयासों के बावजूद हम अपने वांछित लक्ष्य में पूरे तौर से सफल नहीं हो सकते क्योंकि हम नहीं जानते कि आज खेती कौन करता है । ऐक्चुअल आपरेटर हर खेत पर कौन है ? हमारे पूर्व वक्ता महोदय हैं, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो उनको और बहुत से लोग जो सरकार को दोशी ठहराते हैं, मैं बताना चाहता हूं की आज गांव की स्थिति यह है कि जरा सा पढ़ा लिखा आदमी नगरों की ओर भागता है, केवल लूले, लंगड़े, अपाहिज जो कोयले की खान के लायक नहीं हैं वही खेती के धंधे में लगे हैं । अगर हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात सोचना हैं तो हमें एक बात के विषय में फैसला करना होगा कि हम किस प्रकार अपनी उस पुरानी कहावत को आज भी वैसी ही मान्यता समाज द्वारा दिला सकें कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निखद चाकरी भीख निदान ।" लेकिन आज यह चीज बिलकुल उलट गई है । आज चाकरी नंबर एक पर आती है और किसान जिसका सब से ऊपर दर्जा था उसका वह दर्जा समाज में नहीं रहा मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक समाज खेती में लगे हुए लोगों

[श्री रामायणराय]

को उनका पूर्व जैसा सम्मान लौटाने का फैसला नहीं करेगा तब तक आप खाद बांट कर या सिंचाई की सुविधा देकर खेती की उन्नति नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी खामी है। इस सरकार की तमाम कोशिश हैं और इस नें मिनिमम वेजेज ऐक्ट पास करके यह चाहा कि खेती में लगे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन केवल सरकार के प्रयास से ही काम चलनें वाला नहीं क्योंकि उधर बैठनें वाले इस बात का कस्द कर चुके हैं कि हम नियोजित आर्थिक व्यवस्था को नहीं चलनें देंगें। एक ओर वह कहते है कि चीन को गल्ला चला जा रहा है और दूसरी तरफ जो लोग शांति और व्यवस्था कायम करनें में लगें हुये हैं उनको छोटी मोटी नाना प्रकार की समस्याओं में उलझाने का प्रयास किया जाता है, ऐसी देश भक्ति आज नहीं तो कल आनें वाला इतिहास करेगा।

जहां तक अन्य समस्याओं का सवाल है, समय कम होने के कारण केवल इतना ही कहूंगा कि विदेश के अन्य देशों की ओर जब हम दृष्ठि उठाकर देखते हैं तो हमारे पड़ोस में जापान छोटा सा देश है, ऐसा सुना है मैंनें कि वहां एक एकड़ का किसान मोटर साइकिल रख सकता है। हमारे देश में जिसके पास दस एकड़ भी जमीन है आज उसकी क्या स्थिति है वह सब जानते हैं। एक ओर कहा जाता है कि किसान को उचित कीमत मिलनी चाहियें और दूसरी ओर कहा जाता है कि खेती से उत्पन्न वस्तुओं का वितरण उपभोक्ताओं को सस्ते में उपलब्ध कराना चाहिये। और दूसरी तरफ मान्यवर अन्य वस्तुओं के जो मूल्य बढ़ते हैं ,उसकी बढ़ोतरी की तरफ जरा भी वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रखी जाती। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहियें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य बढ़ना अनिवार्य है।

अब प्रश्न यह उठता है कि बठते हुए मूल्यों को अगर एक नियोजित अर्थ व्यवस्था का संभावित परिणाम हम मान लें तो फिर ऐसी चीजें जो जीवन उपयोगी हैं, उनके वितरण की क्या व्यवस्था हो। मेरी राय में जहां तक इस तरफ के बैठने वाले लोगों का फैसला है कि खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था राजकीय व्यापार, निगम द्वारा होनी चाहिए, ठीक ही है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार से वितरण की जो कठिनाइयां हैं वे सब इससे हल हो जायेंगी। कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और सोशलिस्ट पार्टी के लोग तो अवश्य ही इस निर्णय का स्वागत करेंगे और वे इस तरह की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करेंगे। जो बातें इस समय कांग्रस सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं मैं समझता हूं कि उनकी आलोचना करना कोई रचनात्मक और उपयोगी ढंग नहीं है।

जहां तक फूड जोन्स की बात है मैं स्वयं भी यह मानता हूं कि फूड जोन्स नहीं होने चाहिए। इनसे कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन कठिनाइयों का मैंने स्वयं भी अनुभव किया है। इसी वर्ष जब देवरिया में १ किलो का गेहूं का भाव था, उसी समय बाराबंकी में एक किलो और ८ छंटाक का भाव था। अन्तर का कारण केवल यह था कि देवरिया बिहार की सीमा पर पड़ता है। चूंकि हम लोग इमोशनल इंटिग्रेशन में विश्वास रखते हैं उनको अपने आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसी दिवारें नहीं खड़ी करनी चाहिए कि हमारा यह विशाल देश छोटे-छ टे टुकड़ों में बंटा दिखाई दे। फूड जोन्स की बात इस देश के लिये बड़ी घातक है और मैं आशा करता हूं कि हमारे खाद्यमंत्री इस जोन्स के सिस्टम के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार से जरूर कहेंगे।

उधर से जब तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस बात का भी ख्याल नहीं किया जाता कि आखिर हमारे खाद्य मंत्री के जिम्मे कौन सा काम है ? क्या हमारे खाद्य मंत्री ये सारी नीतियां, जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, उनके बारे में उत्तर प्रदेश में वे बैठ कर कोई फैसला कर सकते हैं। ये लोग ऐसा समझते हैं कि यह सब माननीय नेगी जी की वजह से हो रहा है। यह समूचे देश की समस्या है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इसको एक राष्ट्र के आधार पर आपको सोचना होगा। एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में पूंजी एकत्र योजना में बाजार में मंहगाई का आना, मैं समझता हूं, अवश्यम्भावी है। जनता को सही ढंग से उनकी जीवन उपयोगी चीजों को यदि

उपलब्ध कराना है तो यह आवश्यक है कि हम सब को मिलकर आज निश्चय करना चाहिये कि जो लोग भी खेती में लगे हुए हैं, उन्हें हम पुनः वह सम्मान दिलायेंगे जो उन्हें अभी तक मिलत रहा है और जो सुविधायें जैसे फर्टिलाइजर आदि की होंगी उनको दिलायेंगे तभी हमें इस मामले में सफलता मिल सकती है। अन्त में मैं एक बात और आग्रह करना चाहता हूं कि इस संकट काल में और अधिक संकट नहीं बढ़ाना चाहिए और ऐसे समय में हर प्रकार का आन्दोलन भी स्थगित करना चाहिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि इस विषय पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं अतः यदि आप समय बढ़ा दें या ऐसी व्यवस्था कर दें कि सब को समय मिल जाय, तो अधिक अच्छा होगा। या तो भाषण का समय कुछ कम कर दें या बाद को समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पीचेज का समय कम कर दिया जाय। माननीय सदस्य ७, ७ मिनट बोलें।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, जरा समय बाद में और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे हाथ में १५ मिनट समय बढ़ाने का अधिकार है। आगे देखेंगे अभी नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, आज खाद्य समस्या पर विचार हो रहा है। आपने देखा कि इतने गम्भीर विषय पर विचार जब हो जिसका सम्बन्ध पूरे प्रान्त से हो तब आपके कोरम पूरा करने के लिये घंटी बजानी पड़ी, उससे पहले १७ माननीय सदस्य कांग्रेस बेंचेज पर थे और २२, २३ इधर थे। आज की खाद्य समस्या पर मेरा ऐसा खयाल है कि मंत्रिमंडल और कुछ माननीय मंत्रियों पर नौकरशाही विशेष रूप में हावी हो गयी है। उनको स्वयं पता नहीं है कि वे क्या हैं और उनकी कलम की क्या शक्ति है। मेरा विचार है कि जो आंकड़े बताये गये हैं वह सही नहीं हो सकते। १६० और १७५ रु० प्रति क्विंटल चावल का भाव जो मेरा खयाल है कि यह आंकड़े सही हैं और अगर थोड़े दिन पानी नहीं बरसा तो काफ़ी दाम बढ़ जायंगे। झांसी के अन्दर एक साहब लाल मुनइया पाले थे, उसके लिये कावनी तलाश की गयी जो एक रु० सेर के हिसाब से मिली। तो जब पक्षियों के खाने की चीज इतनी मंहगी मिलती हो तो आप सोचें कि मनुष्य के खाने की चीजों का क्या भाव होगा। इतनी मंहगाई में कौन सा मानव समाज जिन्दा रह सकता है। मिट्टी के तेल की चर्चा की गयी, मुझसे रिक्शे वालों ने बताया कि थोड़े दिन पहले डेढ़ रु० में एक बोतल मिलती थी और मेरा विश्वास है कि १ रु० प्रति बोतल के हिसाब से ब्लैक मार्केट में आज भी मिल सकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि गेहूं की कमी है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन उस के साथ साथ यह मानना पड़ेगा कि ब्लैक में काफी अधिक दाम दे कर गेहूं, चना, सीमेंट, मिट्टी का तेल जितना चाहें आप आसानी से ले सकते हैं। आज जिसके पास पैसा है हर चीज उस को आसानी से मिल सकती है। यदि कमी है तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर ब्लैक में कहां से आती हैं और कैसे मिलती है। इसका मतलब यह है कि चीज है लेकिन ऊंचे दामों पर मिल सकती है। पहले भी मैंने यहां कहा है कि यदि किसी चीज की कमी है तो इंतजाम की कमी है, इस सूबे की सरकार का इंतजाम निहायत निकम्मा और थर्ड क्लास है। इन्सानों के पास ईमान की कमी है और जब तक ईमान नहीं ला सकते तब तक आप जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं।

[श्री लखपतराम शर्मा]

कमी की बात मंत्री जी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि ब्लैक में चीज कहां से आती है। कमी का अर्थ यह है कि चीज कतई किसी भी भाव पर न मिले। अगर सरकार सचमुच इसका हल चाहती है तो उसको विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिये, जिले में जो अच्छे किस्म के अधिकारी हैं उनकी राय लें तो मैं समझता हूं कि देश पर आया संकट टल सकता है।

इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि अगर १५ दिन भी पानी नहीं बरसता तो बुंदेलखंड में, मैं कहता हूं कि आप खाने की बात छोड़ दीजिये, हम लोगों को आप पानी भी नहीं दे सकते हैं। अभी अभी ललितपुर से मेरे पास एक तार आया है। श्रीमन्, आप को ताज्जुब होगा यह जान कर कि जहां तक इन्सानों के जिन्दा रहने का सवाल है वह तो अपनी जगह पर है लेकिन आपकी यह हुकूमत इन्सानियत खो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में बुन्देलखंड में जानवर मरते चले जा रहे हैं क्योंकि उन को खाने के लिये घास तक नहीं मिलती। आज बुन्देलखंड जो २० रु० का १०० पुला घास बिक रहा है और ८–१० रुपये मन भूसा बिक रहा है। कई नौजवान बच्चों की मौत इसलिये हो गयी कि वे अपने जानवरों को जिन्दा रखने के लिये देहातों और जंगलों में पीपल की पत्तियां काटने गये ताकि उनको खिला कर जिन्दा रख सकें। वहां कितने ऐसे एक्सीडेंट हो गये कि वे पेड़ से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से न तो वे अपने जानवरों को बचा सके और न स्वयं अपने को ही बचा सके। यह आपकी हुकूमत की बलिहारी है। आपकी मिसाल उस हुकूमत की तरह है कि न तो आप इन्तजाम करते हैं कि जिन्दा रह सके और अगर कोई जिन्दा रहता है तो उसके लिये आप एक दूसरा फांसी का फंदा बना दिये हैं कि जिसको फांसी देने के लिये फन्दा बनाया गया था अगर उसके गले में वह न आता हो तो जिसके गले में भी वह फन्दा आ जाय उसी को फांसी दे दी जाय, लेकिन मार जरूर डाला जाय। आज यही फैसला आपने किया है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस मुल्क की हुकूमत इतनी खराब हो कि इन्सान को जिन्दगी की जरूरत की कोई चीज न मिले तो उसके खरीदने का माद्दा खतम हो जायगा। उसके बाद अगर बेईमानी को आप रोकना भी चाहें तो नहीं रोक सकेंगे। इस मंहगाई के जमाने में, भूखमरी के जमाने में कर्मचारियों के अन्दर भ्रष्टाचार को कम नहीं किया या उसे रोका नहीं गया तो स्वयं आपको इस कुर्सी को छोड़ देने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। कभी भारत सरकार का नाम लेकर कभी ईश्वर का नाम लेकर कि पानी नहीं पड़ने से पैदावार नहीं हुई आप अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जो विधायक या आप जो इस हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुये हैं वे अपने फर्ज को ईमानदारी के साथ कहां तक पूरा कर रहे हैं। आपको लड़ाई और पार्टीबन्दी से ही फुर्सत नहीं है। जब तक आपको लड़ाई और पार्टीबन्दी से फुर्सत नहीं मिलेगी तब तक आप प्रदेश को जिन्दा नहीं रख सकते हैं। आज देश या प्रदेश जहन्नुम में जाय, लेकिन आप पार्टीबन्दी में ही लगे रहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

खाद्यान्न की बात कहें।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के संकट के समय में जनता को जिन्दा रखने के लिये जरूरी है कि पार्टीबन्दी की तसवीर आप के सामने न हो क्योंकि देश नहीं होगा तो पार्टीबन्दी कहां से होगी, इसलिये पहले आप को देश की भलाई के लिये सोचना चाहिये तभी हमारा सूबा जिन्दा रह सकता है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इधर के लोगों को बुलाइये, उधर के लोग क्या बोलेंगे ? क्या कोई नाटक थोड़े है जो आप नाटक करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

*श्री सोहनलाल धुसिया—

उपाध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट पर बोलने से पहले मैं सब से पहले चेयर से शिकायत करता हूं कि मेरे देखने में जो इनजस्टिस हुई है वह यह है कि सन् १९६४–६५ की बजट स्पीच में मुझे बोलने का मौका मिला था, लेकिन मुझे दुःख है कि सन् १९६५–६६ के पूरे बजट सेशन में मुझे एक आइटम के ऊपर भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस पर मैं कोई जोर नहीं देता कि आप किसको कितना टाइम देते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना हुई जिसे बगैर कहे में नहीं रह सकता। इत्तफाक की बात है कि आप और हम दोनों पार्लियामेंट में थे।

श्री उपाध्यक्ष—

छोड़िये इस बात को, मैंने जानबूझ कर इग्नोर नहीं किया।

श्री सोहनलाल धुसिया—

अब इस चेयर से मेरी शिकायत है, चाहे जानबूझ कर गलती की हो या अनजाने। इस प्रकार मेरी कांस्टीट्युएंसी की डेढ़ लाख जनता के साथ अन्याय हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहुत कम खड़े होते हैं तो मैं कहां तक बुलाऊं ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

बहरहाल आज मैं अपनी शिकायत चेयर से कर रहा हूं और आगे के लिये मैं दरखास्त करूंगा कि ऐसी शिकायत किसी मेम्बर को न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज का मसला विशेष कर नेगी साहेब से सम्बन्धित है। खाने का मसला, सप्लाई का मसला है। न मालूम कितने मेरे दोस्त कह गये कि यह कमी है, वह कमी है। लेकिन मेरा सरकारी आंकड़ों में विश्वास दूसरा है। एक ही आंकड़े को एक आफिसर को दे दिये जायं वह डेफिसिट साबित कर देगा और वही आंकड़े दूसरे अफसर को दिये जायं वह सरप्लस साबित कर देगा।

मैंने रेडियो पर २९ जुलाई, सन् १९६४ को सुना था। टी० टी० के० साहब ने रेडियो पर स्पीच दी थी कि इस साल ४० लाख टन चावल अधिक पैदा हुआ है। रबी की फसल भी बहुत अच्छी बतलाई। फसलें अच्छी हैं, लेकिन अनाज में मंहगाई आ रही है। मैं खुद अपने अनुभव से कहता हूं कि न मालूम कितने वर्ष से देशी गेहूं खाने को नहीं मिला है। अब पैदा ज्यादा होता है फिर उसका क्या होता है यह भगवान जाने। यह बात सही है कि ४० लाख टन चावल ज्यादा पैदा हुआ तो भाव नीचे आना चाहिये, लेकिन बाजार में आज वह १२ छटांक का मिल रहा है। वजह साफ जाहिर है होर्डिंग है। होर्डिंग कौन-कौन करता है, किस-किस की साजिश है, कौन इसको पकड़ सकता है यह सोचने की बात है। बतलाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहनलाल धुसिया]

वाली जनता है, बतलाने वाले हम लोग हैं, लेकिन रोकथाम करने वाली सरकार है। हम यह बतला सकते हैं कि यह चीज अमुक जगह पर है और पकड़ना सरकार का काम है। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा, गो यह मिनिस्टर साहब के वश की बात नहीं है, लेकिन होर्डिंग को देशद्रोह जैसा जुर्म करार देना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक होर्डिंग खत्म नहीं हो सकती और जब तक होर्डिंग खत्म नहीं होगी तब तक जनता की तकलीफ दूर नहीं होगी और इस मामले में जो लोग सिफारिश करने जायं उन को भी उस जुर्म में साझीदार बनाया जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा तब तक वह चीज जा नहीं सकती है। यह मंहगाई आज रफी साहब की याद दिला रही है। उस समय भी कंट्रोल था, लेकिन उनके दिल में एक सच्ची लगन थी, जो कुछ उन्होंने किया सच्चे दिल से किया। पर्सनल इंटरेस्ट में वह कुछ नहीं करते थे, जो कुछ करते थे जनता के लिये करते थे। यह सही है कि उनसे गल्तियां हुई लेकिन जनता ने उनको माफ किया। आज हालत उल्टी है। आज किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि उसने होर्डिंग किया है तो ऐसा पोलिटिकल प्रेशर डाला जाता है कि वह हमारे गुट का आदमी है, अगर पकड़ गया तो हमारा सत्यानाश हो जायगा। मैं कहूंगा कि दो गुट की लड़ाई में जनता को मत मारिये।

मैं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरे जिले में सप्लाई अफसर हैं। एक पर्चा निकला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा करप्ट अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा डिस्ट्रिक्ट बार्डर है और नैपाल से मेरा जिला लगा हुआ है। हमारे यहां से जो चीनी, तेल, गल्ला वगैरह जा रहा है वह सब इसकी साजिश से जा रहा है। जब भी इसके ट्रांसफर का सवाल आता है तो लोग कहते हैं कि अगर यह गया तो हम उजड़े। मैं कहूंगा कि सरकार सिफारिश करे कि यहां पर गवर्नर रूल हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

उपाध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि काफी लोग बोल चुके हैं। लेकिन अगर अब भी लोग बोलना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने ऐसे अहम मसले पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, खाने वाली चीजों की जो आज गिरानी है उसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि देश के लाखों करोड़ों इंसान जो चिथड़े पहनने वाले हैं इस ज्वार-भाटे में डूबे जा रहे हैं और डूबने वाले बारबार सिर उठा उठा कर सरकार की तरफ देख रहे हैं कि उनकी कोई मदद करे लेकिन अंधी और बहरी सरकार की आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा है और उनके कानों पर हुकूमत की मोटी चर्बीली परत आ गई है जिससे उसे कुछ सुनाई नहीं देता है।

मान्यवर, हर एक चीज की एक हद होती है। लेकिन जब हम एतदाल से तजाउज कर जाती है तो उसका नतीजा भयंकर और खतरनाक होता है। इसलिये कि मिठास अच्छी चीज मानी जाती है लेकिन जब वह हद्द से बढ़ जाती है तो उस में कीड़े पड़ जाते हैं। आज

गिरानी की वजह से प्रदेश में हाहाकार फैला हुआ है और आम तौर पर लोग कहते हैं कि "अब तो घर जलने लगा नौबत यहां तक आ गई, बढ़ते बढ़ते आतिशे गुल आशियां तक आगई"।

मान्यवर, मेरे जिले बहराइच में गेहूं कमोबेश १ किलो का इस समय बिक रहा है और मामूली चावल १२ छटांक का बिक रहा है । इसी तरह से ज्वार २२-२३ छटांक की और दालें एक डेढ़ रुपये किलो बिक रही हैं । इसी तरह से तरकारियां जो हमारे देश की पैदावार हैं, जो अमेरिका, इंगलैण्ड से नहीं आती है, वह भी १२-१४ आने सेर बिक रही हैं । इससे कम में कोई तरकारी नहीं बिक रही हैं । मान्यवर, शक्कर भी २ रुपये और उससे ऊपर ब्लैक में बिक रही है और उसी प्रकार से नमक की भी बहुत गिरानी है । जिस समय देश में अंग्रेजी राज्य था, उस समय नमक २ पैसे सेर बिकता था फिर भी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उसके लिये आन्दोलन किया था और जेल गये थे, लेकिन आज यहां यही नमक ५-६ आने सेर बिक रहा है और ८ आने सेर भी कहीं-कहीं बिक रहा है ।

देखना यह है कि बेतहाशा गिरानी का कारण क्या है ? मैं जहां तक जानता हूं इसका खास कारण है---हमारी ढुलमुल यकीनी की सरकार की ढुलमुल नीति, सियासत और शासन का न होना और बड़े बड़े मुनाफाखोरों को बढ़ावा देना । इसलिये मैं मान्यवर, आपसे अर्ज करना चाहता हूं, सियासत और शासन के लिये आपसे कहना चाहता हूं कि वह दिन करीब है जब एक दिन सरकार और शासन का अगर यही हाल रहा तो यह सरकार मफलूज और अजो मुअत्तल होकर रह जायगी। इसलिये शासन का होना जरूरी है । मैं आपको एक मकूला शेख सादी का इस बारे में बताता हूं । उन्होंने फर्माया है---"सेह चीजबेसेह चीज पायेदार न मानद" मतलब यह है कि ३ चीजें बगैर तीन चीजों के कायम नहीं रहती । एक तो है इल्म बेबहस, यदि कोई डाक्टर है या कोई वकील है वह चाहे जितना पढ़ा लिखा और डिग्री याफ्ता हो, किन्तु यदि वह अपनी विद्या का अभ्यास यानी प्रैक्टिस नहीं करता है तो थोड़े दिनों बाद उसकी पढ़ाई-लिखाई बेकार हो जायगी और वह सारा पढ़ा लिखा भूल जायगा । दूसरी चीज है माल बेतिजारत, किसी सौदागर के पास चाहे जितना माल या रुपया हो किन्तु यदि कोई उसका बिजनेस और व्यापार करता नहीं तो एक दिन उसका सारा माल और रुपया समाप्त हो जायगा । और तीसरा है वह मुल्क बेसियासत यानी शासन और सियासत के बिना कोई मुल्क कायम नहीं रह सकता है, मुल्क गोरी सियासत और शासन के बिना और उसकी कमजोरी से जरूर खत्म हो जायगा ।

मान्यवर, इस तरह से खरीफ की पैदावार के बारे में आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी कहीं तशरीफ ले गये हैं, हैं नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे मंत्री जी तो हैं, आप कहिये ।

श्री अब्दुल हसीब खां ---

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि खरीफ की पैदावार का जो रेट कांग्रेस सरकार ने मुकर्रर किया था तो उसके बाद मकई से प्रतिबन्ध सरकार ने हटा लिया और बड़े-बड़े व्यापारियों से यह कह दिया कि वे सरकार का कोटा पूरा कर दें और उसके बाद जिस भाव में चाहें बेच सकते हैं। उसका असर यह हुआ कि किसानों ने सरकार पर विश्वास करके अपनी मकई उसी भाव पर बेच दी थी, जिनसे उसको नुकसान हुआ । आपने लाल बत्ती जला दी ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी दो मिनट हैं, आप कहिये ।

श्री अब्दुल हसीब खां---

आप मुझे अभी १० मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

इससे ज्यादा नहीं ।

श्री अब्दुल हसीब खां—

तो श्रीमन्, मैं आपके जरिये से पुकार पुकार कर उस बहरी सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़े से पूंजीपति और व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, उनको खुश करने के लिये सरकार देश के करोड़ों किसानों और आम जनता को भयानक मुसीबतों में न डालें । इसके लिये जनता और देश की तवारीख आपको कभी भी माफ नहीं करेंगी ।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि भले ही आप इस वक्त हुकूमत के नशे में न सुनें लेकिन किसी का मकूला है—

"तवां बुर्द बहलक उस्तुखान दुरुस्त बले शिकम बदरद चूं बेगीरद अन्दर नाफ"

आप एक कड़ी हड्डी निगल सकते हैं लेकिन अगर वह मेदे में फंस गयी तो वह आपका पेट फाड़ डालेगी और आपको आपरेशन कराना पड़ेगा ।

मान्यवर, अब वक्त न होने के कारण मैं ज्यादा नहीं कहता । शहरों में रहने वालों की तरह देहात के भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को बाकायदा राशन दिया जाय । इसके अलावा जो मिट्टी के तेल वगैरह की तकलीफ है उसको भी रफा करें । इसके अलावा जो जखीरेबाज हरामखोर हैं उनकी बड़ी बड़ी तोंदो से किसानों की गाढ़ी कमाई का फल बाहर निकाल लें, मैदान में चीजों को ले आवें, बाजारों में वह चीजें पहुंच जायं और दूसरी चीजें जिनको छिपाकर लोग मनमाने भाव पर बेच कर नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं उसकी रोकथाम हो ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह भुखमरी और अकाल का प्रश्न है, लेकिन जो लोग इस भुखमरी को पैदा करने के लिये जिम्मेदार हैं वही आज नजर नहीं आ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज वाद-विवाद हो रहा है वह इतना गम्भीर है कि उसका सम्बन्ध प्रदेश के हर व्यक्ति से है । मेरा दुर्भाग्य है कि इस समय बलवानसिंह जी यहां उपस्थित नहीं हैं । मैंने कल से इस वाद-विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना । जिस समय बलवानसिंह जी बोल रहे थे तो मुझे एक बात महसूस होती थी कि वे खाद्य समस्या पर बोल रहे हैं या बजट के जनरल डिसकशन पर । उन्होंने अपने थोड़े से भाषण में इस बात का प्रयत्न किया कि उनको जिस समस्या पर जो भी आता हो उसे रख दिया जाय । मैं उनके सम्बन्ध में और ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि वे यहां नहीं हैं, अगर होते तो एक दो बात अवश्य कहता ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव है उसको ध्यान से देखा जाय तो दो बातें सामने आती हैं एक तो बढ़ती हुई कीमतें और दूसरे खाद्यान्न की कमी । यह निर्विवाद बात है कि हमारे प्रदेश में आज खाद्यान्नों की कमी है उसके जो भी कारण हों उनसे हम भाग नहीं सकते । यह भी सत्य है कि भाव बढ़े हैं । यहां पर एक बात कही गयी है एकनामिक फेयर प्राइस की । मैं इस सम्बन्ध में पिछले पांच छ वर्षों से कहता चला आ रहा हूं और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सन् ५८ में कृषि की मांग पर बोलते हुये मैंने यही बात कही थी । मैं जानता हूं कि आज जो कीमत किसान को मिलती है, क्या इधर या उधर के बैठने वाले जो तेजी की बात कहते हैं वे कहने के लिये तैयार हैं कि वह फेयर प्राइस है ? यह बात हमें सफाई से कहना पड़ेगा । अगर हम समझते हैं

कि वह फेयर प्राइस है तो हमें यह कहना बन्द करना पड़ेगा कि भाव बहुत तेज हैं, और अगर यह कहते हैं कि बहुत तेज हैं भाव तो फिर यह कहना पड़ेगा कि किसान के लिये मिनिमम फेयर प्राइस हो। यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो तेजी के गीत गायें और दूसरी तरफ किसान के लिये मिनिमम फेयर प्राइस की बात भी कहें। मेरा निश्चित मत है कि पेरिटी इन प्राइसेज को देखिये। जिस समय किसान बाजार में अपनी चीज लाता है तो वह होलसेल में बेंच देता है, लकिन जिस समय वह उन चीजों को जिनको वह इस्तेमाल करता है, खरीदता है तो वह रिटेल में। तो हमको मुकाबला करना पड़ेगा कि क्या उन चीजों के भाव बढ़े हैं जिनको वह रिटेल में खरीदता है या उन चीजों के जिनको वह होलसेल में लाकर बेंच देता है। मेरा विश्वास है और मैं अपने मित्रों से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी गल्ले की जो कीमत किसान को मिलती है चाहे आप उसको कितनी ही तेज कहें वह किसान के लिये और चीजों को देखते हुये कम प्राइस है। यह तो रही मिनिमम इकानामिक फेयर प्राइस की बात।

अब सवाल यह रहता है कि खाद्यान्न की कमी है। मैंने शुरू में स्वयं बोलते हुये कहा था कि यह निर्विवाद बात है कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की कमी है। बलवान सिंह जी ने यहां पर आंकड़े दिये १९५१ के और १९६३ के ११५ लाख टन के और ११६ लाख टन के। बीच के आंकड़ों को वह छोड़ गये। बीच के आंकड़ों को उन्होंने गोल कर दिया और इस वर्ष के भी आंकड़े उन्होंने गोल कर दिये। यह आंकड़े देने वालों का एक तरीका हुआ करता है। एक दफा पार्लियामेंट में बोलते हुये चर्चिल ने आंकड़े दिये थे और उनके आधार पर बतलाया था कि भारतवर्ष स्वतंत्रता नहीं चाहता है। इतने फलां लोग हैं और इतने फलां लोग हैं। उनके आंकड़े देकर उन्होंने सिद्ध किया था कि भारतवर्ष को आजादी की आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग से आज बलवानसिंह जी कुछ फिक्टीशस आंकड़े यहां पर देकर सदन को गुमराह करने का प्रयत्न करते रहें। चाहे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हों उनकी उनकी बातों से गुमराह न होना चाहिये। वे उन बातों को कहें जो कटु सत्य हैं। अगर सरकार की बुराई हो तो उसको कहना चाहिय। हम यहां पर कहने के लिये आये हैं। अगर सरकार ने अच्छे काम किये हैं तो सरकार को उसके लिये मुबारकबाद देना चाहिये। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने खाद्य मंत्री जी को कि उन्होंने बिलकुल फ्री मारकेट छोड़ दिया था उस समय जब कि हमारी फसल बाजार में आई कि जिस कीमत पर किसान समझें बेचे। मैं यहां पर मंत्री जी से एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। ठीक है, आपने लैवी नहीं लगाई, लेकिन जिस तरीके से आपने ५० हजार टन गल्ला इकट्ठा किया क्या उस तरह से इकट्ठा करने की बात थी? वह किसान से इकट्ठा करने की बात थी या व्यापारी से करने की बात थी मैं इसको समझ नहीं पाया। वह किया गया है व्यापारी से यह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहां कहा गया व्यापारियों से गल्ला इकट्ठा किया गया जिससे भाव तेज हो गये। अगर व्यापारियों से गल्ला न लिया जाता तो उसको बीच का मुनाफा नहीं मिलता और उससे भावों पर असर नहीं पड़ता। इससे आप भाग नहीं सकते हैं। इससे किसान का कोई नुकसान हो गया मेरी समझ में नहीं आया। हां, यह अवश्य हो सकता है कि किसानों की आड़ में जो व्यापारियों की वकालत करते हैं उनकी यह भावना बिलकुल असत्य है कि व्यापारियों को नुकसान हुआ है। वे आज किसानों की बात कहकर व्यापारियों की वकालत करते हैं लेकिन मेरा निश्चित विचार है कि ऐसा करने से किसानों को कोई नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है।

यहां पर मैं अपने मित्रों से एक बात और जानना चाहता हूं कि जो यहां पर खाद्यान्न की बात करते हैं वह गल्ला किसानों से चाहते हैं या किस तरीके से चाहते हैं कि वह गल्ला आये? किसके लिये चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ८५ फीसदी जनता देहात में रहती है और कुछ भूमिहीन लोग भी वहां पर रहते हैं लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भूमिहीनों के लिये सरकार का कर्त्तव्य है कि सब से पहले सरकार फेयर प्राइस शाप्स और अनइकानामिक होल्डिंग वालों के लिये खोले जिनकी आमदनी, जिन गांव वालों की आमदनी शहर में रहने वालों के मुकाबले में एक बटा तीन है। गांव में रहने वालों से शहरवालों की तीन गुना से ज्यादा आमदनी पड़ती

[श्री जगवीर सिंह]

है । तो हम चिन्ता करते हैं गल्ले की शहर में रहने वालों के लिये कि गांव से लाकर उनको दें । मैं समझता हूं मेरे मित्रों का ऐसा मन्शा नहीं है कि हम किसानों से गल्ला लाकर शहरों को दें । तो जो यह खाद्यान्न की कमी की बात है इसके दो तरीके हो सकते हैं, दो हल हो सकते हैं । एक तो तात्कालिक और लांग टर्म । जहां तक तात्कालिक बात है उसके लिये वही तरीका है कि चाहे हम विदेश से गल्ला ले आयें और चाहे प्रोक्योर कर लें । प्रोक्योरमेंट के हक में हमारे दोस्त नहीं हैं । हमारे मित्र नहीं चाहते हैं कि किसानों से गल्ला लिया जाय । मैं भी नहीं चाहता । उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी देश दूसरे की कमाई पर जिन्दा नहीं रह सकता । हम दूसरे देशों से लाकर गल्ला खिलाते रहें यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा । इसलिये हम को अपनी पैदावार बढ़ानी होगी । पैदावार बढ़ाने की हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रही है सरकार हम को पूरे साधन नहीं दे पायी है, पूरी तरह से ट्यूबवेल नहीं दे पायी है, सिंचाई के साधन नहीं दे पायी है । यह ठीक है कि सिंचाई के साधन बढ़े, लेकिन आबपाशी का रकबा नहीं बढ़ा । मैं जानता हूं उन देहातों की कहानी जहां पता नहीं क्या-क्या साधन इस्तेमाल किये जाते हैं । आज हमारा इर्रीगेशन विभाग भी करप्शन से बचा नहीं है । ट्यूबवेल की कहानी और पंपों की कहानीं गांव के लोग जानते हैं कि किस किस तरह से किसान को परेशान किया जाता है । कहा जाता है कि हमने सिंचाई के बहुत से साधनों का इंतजाम किया है, बीज का बहुत इंतजाम किया है । मुझ जैसे किसान को मैं बतलाना चाहता हूं कि ८ दिन तक मक्का का बीज नहीं मिल सका । क्या ८ दिन तक जमीन पलेवा पड़ी रहेगी । समय पर बीज और पानी हमको मिलना चाहिये, खाद समय पर मिलनी चाहिये ।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो बहुत दिये गये, बड़ी वकालत हुई, बहुत कुछ हुआ । श्रीमन्, मैं एक रोज आ रहा था घर से प्रतापगढ़ गवर्नमेन्ट रोडवेज की बस में । उस में एक साहब बैठे थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा कि एक आदमी किसी कांग्रेसी मंत्री के पास गया । उस के सिर में बड़ी भारी बतौरी निकली हुई थी । वह पहुंचा कांग्रेसी मंत्री के पास और कहा कि जरा इसको आप छू दीजिये । वह कहने लगे कि क्या मतलब है ? उसने कहा कि आप जरा इसको छू दीजिये । जब उसने पूछा क्यों भाई, तो कहने लगा कि आप जिस चीज को छू देते हैं वह गायब हो जाती है । इसको जरा छू दीजिये तो यह भी गायब हो जायगी । श्रीमन्, अगर आप देखें तो बात इसी दरजे पर है । मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा । इन्हीं की तरफ से जो कुछ मिला है उसी के आधार पर बतलाता हूं कि हालत क्या है । "जहं जहं चरण पड़ें संतन के तहं तहं जानहु बंटाधार" जिस चीज पर हाथ रख दिया वह तुरन्त पाताल को चली गयी । कोई चीज नहीं छूटी तो अन्न कैसे छूट जाता । अन्न भी गायब हो गया और आज यह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि बारिश न होने के कारण बिलकुल भुखमरी की स्थिति आ गयी है । कम से कम मैं अपने जिले जौनपुर की बाबत कह सकता हूं कि वहां जानवरों को लोग पत्तियां पीट कर खिला रहे हैं । जड़ें खोद कर खिला रहे हैं । जानवर खाने बिना मर रहे हैं । आदमियों की हालत यह है कि जैसे सरकार मृग मरीचिका दिखलाती है वैसे ही थोड़ी-सी वर्षा आ गयी और जो अन्न किसान के घर में था वह भी उसने खेत में जाकर डाल दिया और वह सब भी जल गया । कम से कम मैं अपने जिले की कह सकता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि वहां वे उस जिले को अकाल पीड़ित घोषित करें और टेस्ट वर्क वहां के लिये खोले जायं नहीं तो जब वह मर ही जायेंगे तो फिर उस के बाद हम यहां तीन घंटे या पांच घंटे बहस कर के कुछ कर नहीं पायेंगे । उस से कुछ होने वाला नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप बुजुर्ग आदमी हैं श्रीमन्, आप ने सन् १९१४ की लड़ाई देखी होगी । उस लड़ाई के बाद एक बार बड़ी महंगी आयी थी और बड़ा शोरगुल मचा था । उस वक्त रुपये का पांच सेर गेहूं बिका था तब कितना शोरगुल मचा था । आज महंगाई की यह हालत है कि छंटाक का ही हिसाब किताब रह गया है । पहले सेर का भाव था, अब छटांक का रह गया है और जो स्थिति इस समय है अगर भगवान की यही कृपा रही तो वह तोले और माशे में भाव हो जायेगा । तब माननीय मंत्री जी सोचेंगे कि हमारी योजना पूरी हो गयी ।

माननीय रामायण राय जी तो वही घिसीपिटी बात करते हैं । योजना का मजा नाती पोते लेंगे । "हम ही न होंगे तो क्या रंग महफिल" यानी जब हम ही जिन्दा न होंगे तो उससे क्या फायदा । योजना के मानी यह हैं कि योजना जिस समय बने उसका लाभ उस समय में हो । जो लोग रूस गये हैं वे बताते हैं कि वहां की हर चीज बदल गयी है । वहां सन् १७ में योजना शुरू हुयी थी, आज इतनी तब्दीली हो गयी । तो उस योजना को तो हम योजना कह सकते हैं, अपने यहां १५ साल हो गये, पहले १६ छटांक का घी बिकता था, आज ११ छटांक की दाल बिक रही है ।

एक दिन एक वैद्य जी से मैंने कहा कि जब १६ छटांक का घी बिकता था तो घी दाल में डाल कर खाया जाता था, आज दाल ११ छटांक की है, तो बताइये दाल किस चीज में डाल कर खाई जाय। उन्होंने कहा कि जो चीज चौबीस गुनी मिलती हो उसी कीमत में, उसमें डाल कर खाई जाय। यह हिसाब लगाया गया कि कौन-सी चीज इतनी सस्ती है जो २४ गुनी मिल सके। बड़ी देर बाद समझ में आया कि बीज गोदाम का सड़ा हुआ भूसा २४ गुने पर जरूर है, उसमें दाल डाल कर खाई जाय । तो श्रीमन्, कहने का मतलब यह है कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है । हम उस स्थान पर पहुंच गये हैं जहां से लौटना मुश्किल दिखाई दे रहा है ।

श्रीमन्, योजना की बड़ी दुहाई दी जाती है । योजना बुरी नहीं है । योजना का कार्यान्वयन जो है वह बुरा है । मैं आपसे अच्छी तरह बतला सकता हूं कि अब की मर्तबा मेरे यहां बुआई के वक्त में नहर का पानी नहीं गया । तो प्रतापगढ़ के इंजीनियर ने कहा कि जौनपुर वाले से बात कीजिये और जौनपुर वाले ने कहा कि प्रतापगढ़ से बात कीजिये । इस बीच में नहर का पानी गायब । आंकड़े बनाकर पेश कर दिये गये । जैसा धुसिया साहब ने कहा कि रेल के डिब्बे की तरह स्थिति है उसे चाहे यहां लगा दीजिये और चाहे उसे दूसरी तरफ लगा दीजिये। मंत्री लोग तो केवल हाथ रखने वाले हैं और हाथ रक्खा नहीं कि चीज गायब हो जाती है । इस तरीके से जो समस्या आज है वह न स्टेट ट्रेडिंग से हल हो सकती है न कम्प्लीट राशनिंग से हल हो सकती है । सात-आठ लाख आबादी लखनऊ की है। जब इतनी आबादी की ही राशनिंग नहीं कर सकते मंत्री जी तो वे सारे उत्तर प्रदेश की राशनिंग क्या करेंगे । अनाज जो होता है वह किसानों के घर से मारकेट तक कितनी ही एजेन्सियों के बीच से होकर आता है । मंत्री महोदय के पास इतने आदमी नहीं हैं कि वे इस बीच का सारा इन्तजाम करा सकें चाहे वे सारे कर्मचारियों को इसमें क्यों न लगा दें । इसके अलावा, आपके पास केवल पी० एल० ४८० है। आप तो अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे । आस्ट्रेलिया चले जाते हैं कि हम भुखमरे हैं हमें अन्न दीजिये । इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपने छोड़ नहीं रक्खा है । लांग टर्म के लिये यह जरूरी है कि अगर आप अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान दें, सेक्रेटेरियेट में बैठकर विचार न हो, परन्तु जहां योजनायें हों वहां जा कर देखें। मंत्री लोग दौरा करते हैं केवल अपने गुट के लिये और यह देखने के लिये कि कितने कांग्रेस के सदस्य बने हैं । श्रीमान जी, इन्होंने कांग्रेस के सदस्य इतने बनाये हैं, मुझे डर है कि कहीं मेरे नाम से ही न बना दिया हो । पैसा किसी के नाम से लिया और नाम वहां किसी का है । तो इस प्रकार से मंत्री लोग जो हैं वे अपने मामले में उलझ गये हैं अपनी पार्टी पोलिटिक्स में उलझे हुये हैं । सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी में उलझा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

एक मिनट और दे दीजिये।

मंत्री जी को कोई काम नहीं रहता । एक आदमी का ट्रान्सफर हुआ, वहां के लोग पहुंचे तो वहां से फिर उसको वापिस किया । फिर सेक्रेटेरी से कहा कि ट्रान्सफर कर दो । सेक्रेटरी पार्टी पालिटिक्स में लटका है । सेक्रेटरी को अपनी तनख्वाह की लगी रहती है । किसान पर ऐसी दयादृष्टि किये हुये हैं कि वह किसान ही हुआ जा रहा है । गल्ला व्यापारी के लिये सोचा जाता है कि वह बहुत गल्ला इकट्ठा किये हुये है । उनके पास भी कुछ नहीं है । सरकार के पास जो गल्ला इकट्ठा होता है वह इस वास्ते सड़ जाता है कि वह कई बातों की वजह से स्टोर्स में पड़ा रहता है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है । अन्त में मैं जौनपुर के लिये कहता हूं कि वहां सस्ते गल्ले की दुनानें खुलवायें नहीं तो सबसे पहले भुखमरी वहां पैदा हो जावेगी ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

इस प्रदेश में भीषण महंगाई इस समय है । एक सेर का अनाज भी मिलना मुश्किल हो रहा है । हमारे प्रदेश में आज सूखा पड़ रहा है । इस समय जो अनाज बिक रहा है वह भी नहीं बिका । मान्यवर, बहुत से जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, जौनपुर, बनारस इत्यादि, यहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है । मान्यवर, हमारे जिले में दो महीने बरसात के बीत रहे हैं जिले के बहुत ज्यादा भागों में बारिश नहीं हुई है जिससे धरती की प्यास नहीं बुझ सकी है । गढ़े और तालाब सभी सूखे पड़े हैं । मक्का की फसल सूख गई है । धान को भी नुक्सान हुआ है । भदई की फसल खराब हो गई है। राजस्व मंत्री गये थे बनारस की तरफ जिस हिस्से को देखा वहां बारिश हुई थी । पश्चिम भाग बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है ।

मान्यवर, इस समय बहुत बड़ा प्रश्न किसानों का है और अगर उनके लिये सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था नहीं की गई तो बहुत खराब हालत हो जायगी । क्या जब आदमी मरने शुरू हो जावेंगे तब व्यवस्था होगी ? सबसे खराब हालत देहातों में खेतिहर मजदूरों की है । जब पानी बरसता था तो उन्हें खेतों पर बहुत सा काम मिल जाता था लेकिन इस समय कोई भी काम उनके पास नहीं है चूंकि किसान स्वयं ही बहुत परेशान है । जो उसके पास गल्ला था वह उसने बीज के रूप में खेत में डाल दिया । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले में शीघ्र टेस्ट-वर्क्स शुरू किये जायें, पटेल योजना की सड़कों को जल्दी शुरू करायें जिससे गरीब लोगों को काम मिले और वे अपना जीवनयापन कर सकें ।

सबसे बड़ी कठिनाई पशुओं की हो रही है । उनके लिये चारा बिलकुल ही नहीं मिल रहा है । १२ रुपये मन भूसा बहुत मुश्किल से मिल रहा है । लोग पेड़ों की पत्तियां खिला रहे हैं और वे भी नहीं मिल रही हैं । वहां के अधिकारियों से हमने कहा कि आप सरकार को लिखें कि वह घास और भूसे का इन्तजाम करे । उन्होंने उत्तर दिया कि बाहर का मंगाया हुआ भूसा यहां के पशु नहीं खाते हैं चूंकि बाढ़ के समय में उसे उन्होंने नहीं खाया । वजह यह थी कि वह भूसा सड़ा हुआ था, इसलिये पशुओं ने नहीं खाया और लोगों ने उसे नहीं खरीदा । लेकिन अब कम से कम फागुन के महीने तक, जब तक चैती की फसल नहीं होती, यद्यपि उसकी भी अच्छी होने की उम्मीद नहीं है, तब तक के लिये सरकार को भूसे का प्रबन्ध करना चाहिये । वरना वहां पशु भी मरने शुरू हो जावेंगे और किसानों की बहुत बड़ी तबाही होगी ।

हमारे जिले में गन्ने की भी फसल होती थी । इस साल वह भी खराब हो गयी है और गन्ना २–३ फीट से अधिक नहीं बढ़ा सका है । इसका किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनको पसा नहीं मिल सकेगा ।

किसानों ने अपने खेतों में खाद डालने के लिये उवर्रक तकावी पर खरीद कर रखा था। मक्का की फसल हमारे जिले की बहुत मशहूर है। वे पछता रहे हैं, चूंकि खेतों में उस खाद को डालने का मौका नहीं मिला। अभी भी बहुत सी नहरों में पानी नहीं है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि सभी नहरों में अधिक से अधिक पानी देने की व्यवस्था करे जिससे कुछ चारा भी पैदा हो सके। एक सस्ते गल्ले की दूकान हर अदालती पंचायत क्षेत्र में अवश्य होनी चाहिये। अगर यह नहीं किया गया तो इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर हो सकता है चूंकि जौनपुर जिला पहले से ही अभावग्रस्त है और पिछले वर्ष भी पानी न बरसने के कारण उसके बहुत बड़े हिस्से में धान की फसल नहीं हुई। वहां के लिये जल्दी व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अलावा मालगुजारी, तकावी और सभी सरकारी वसूलियों को रोकना बहुत जरूरी है। टेस्ट वर्क्स का काम जल्दी शुरू होना चाहिये।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य-समस्या हमारे देश के लिये राष्ट्रीय समस्या है। इसका स्थान राजनीति और दलों से ऊपर है। इसी भाव से इस समस्या पर हमें विचार करना होगा। रोटी मानव की सबसे प्रथम और बड़ी आवश्यकता है। किसी देश में अगर कोई सरकार १८ वर्ष से लगातार राज्य के बाद भी मानव की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पावे तो उसे गद्दी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मेरी समझ से नेगी जी दया के पात्र हैं। देश में गल्ला है, लेकिन जो आज उसका नकली भाव दिखाई पड़ रहा है उसकी मुख्य जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार है। उसकी गलत खाद्य और कृषि नीतियां ही इस असफलता की मुख्य कारण हैं। केन्द्रीय सरकार के पास कोई राष्ट्रीय खाद्य-नीति है ही नहीं, न कोई स्पष्ट दृष्टिकोण कृषि नीति का उनके पास है। इन दोनों नीतियों का संबंध एक दूसरे से बहुत गहरा है। अगर कृषि नीति असफल होगी तो दूसरी अर्थात् खाद्य नीति अवश्य असफल होगी। पारसाल इसी विषय पर जब यहां विवाद हो रहा था तो मैंने कहा था कि इस प्रदेश में खाद्यान्न की कमी के, चौधरी चरणसिंह मुख्य तौर से जिम्मेदार हैं वह कृषि मंत्री बहुत लम्बे अरसे से थे। खाद्य मंत्री का स्थान नम्बर २ पर आता है। मैंने उस वक्त मांग की थी कि चौधरी चरणसिंह जी अपने पद से इस्तीफा दें, इसी में उनके लिये गौरव है। अगर वह ऐसा करते तो मुझे खुशी होती और एक अच्छी परम्परा कायम होती, यद्यपि जिस तरीके से वह गये हैं उसमें मुझे कोई खुशी नहीं है। मेरी मांग पर अगर वह इस्तीफा दिये होते तो देश के लिये एक नमूना होता।

सन् ४७ की आजादी के बाद नेहरू जी ने घोषणा की थी कि सन् ४९ तक देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायगा। लेकिन उस बात को आज १८ साल हो गये हैं और वह पूरी नहीं हुई। सन् ५३ में माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जब यहां वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रदेश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। वह बात भी गलत साबित हुई। भूतपूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री, श्री पंजाबराव देशमुख ने पटना में कहा था कि तीसरी योजना में हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायगा, लेकिन उस दावे को भी आज बहुत समय बीत गया है। और यह बात सही साबित नहीं हुई मौजूदा कृषि मंत्री, श्री सुब्रहमणियम ने अभी अभी कहा था कि १९७२ तक यानी चौथी योजना की समाप्ति तक हम खाद्य के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। लेकिन उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ७४ तक आत्मनिर्भर होंगे। अब उसके बाद सुब्रहमणियम साहब कहते हैं कि जब तक हमारे देश में आबादी बढ़ने पर नियंत्रण न होगा तब तक गल्ले के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। यह इसका प्रमाण है कि सरकार की कोई स्पष्ट नीति और दृष्टिकोण नहीं है और उसकी खाद्य और कृषि नीति, असफल हो गई।

[श्री झारखण्डे राय]

सरकारी आंकड़ों से विदित है कि हमारे देश में ५ प्रतिशत गल्ला बाहर से आता है, उस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है और ९५ प्रतिशत जो यहां पर पैदा होता है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, उसका समाधान यह सरकार नहीं कर पायी है। जबकि स्थिति पर काबू पाने के लिये होना यह चाहिये कि ९५ प्रतिशत पर भी पूरा कंट्रोल हो। इसीलिये मैंने मोनोपली कंट्रोल की बात कई बार कही है। जब तक आपका यह कंट्रोल और डिकन्ट्रोल का चक्र चलता रहेगा, हमारे देश में गल्ला रहते भी नकली अभाव चलता रहेगा। यह हमारा राष्ट्रीय अपमान है कि जो कृषि प्रधान देश हो और जिसकी ८० प्रतिशत जनता खेती में लगी हो, जिसकी राष्ट्रीय आय का ५० फीसदी से ज्यादा खेती से हो फिर भी वह दूसरों पर निर्भर रहे, यह राष्ट्रीय अपमान की बात नहीं तो क्या है। हम दूसरे लोगों के सामने आंचल फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, कर्जा मांगते है। स्वतंत्र होने के बाद से अब तक हम २४ सौ करोड़ रुपये का गल्ला मंगा चुके हैं। अगर वह हमारा रुपया बचता तो न जाने कितनी इंडस्ट्री हमारे देश में खुल जातीं, कितने लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाती।

इसके अलावा अगर हमारे देश में फिर से जमीन का फिर से बन्दोबस्त नहीं हुआ, हदबन्दी कानून को बाई पास करके लोगों ने जो बड़ी-बड़ी जोतों को अपने पास रख लिया उनको लेकर भूमिहीनों को अगर वह जमीन नहीं दी गयी तो हमारी पैदावार कभी बढ़ नहीं सकती है। १८ फीसदी जमीन ऐसी बाकी है जिस पर खेती हो सकती है, साढे पांच करोड़ जमीन अभी खेती योग्य है। जब तक उसकी उचित व्यवस्था और उसका भी बटवारा भूमिहीनों में नहीं की जायगी तब तक देश में पैदावार नहीं बढ़ सकती। मान्यवर, ऐसी जमीन जो पथरीली है, जो किसान के बस की नहीं है, उन सारी बड़ी-बड़ी जमीनों पर सारे देश में लगभग सौ सरकारी फार्म खोले जायं। २५ लाख एकड़ जमीन सरकार की खेती में होनी चाहिये। जब तक हम स्वयं अपनी पैदावार बढ़ाकर गल्ले की कमी को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती।

स्टेट ट्रेडिंग का सिद्धान्त कांग्रेस पार्टी नें स्वीकार किया। फिर उस पर अमल न करने का क्या कारण है? क्या वह कोरी ४२० थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। गल्ले की खरीद के लिये जो बैंक एडवांस दे रहे हैं उस से भी दिक्कत पैदा हो रही है। पिछले साल २ अरब १८ करोड़ रुपया बैंकों ने गल्ला खरीदने के लिये दिया। उसके पहले के २ सालों में १५०-१५० करोड़ रुपया बैंकों ने गल्ला खरीदने के लिए दिया। जब तक इस पर कंट्रोल न होगा तब तक जखीरेबाजी बन्द नहीं हो सकती और जब तक उचित दाम पर उस छिपे गल्ले को लेकर न बेचा जायगा तब तक प्रस्तुत वर्तमान की हमारी समस्या हल नहीं हो सकती।

*श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सुबह से जितनी देर यहां बैठा, मैं यह देखता रहा कि जो विवाद यहां चल रहा है वह जन उपयोग की जितनी वस्तुयें है उन सब चीजों पर चल रहा है या केवल अनाज पर तो मुझे मालूम हुआ कि अधिकतर लोगों ने महज अनाज की ही बात की। गिरानी सभी को केवल अनाज की नजर आई। ठीक है लेकिन दवा की भी गिरानी है, आज गरीब आदमी दवा नहीं कर सकता, जिस भाव पर दवा आज बिकती है, उस पर वह दवा खरीद नहीं सकता, उसपर इतनी आफत है, परेशानी है कि वह दवा महंगी कैसे खरीदे। कपड़े की गिरानी है, लोहे की गिरानी है, बर्तन की गिरानी है जानवरों की गिरानी है, गिरानी कोई खाली गल्ले की नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर गल्ला इस वक्त मद्दा हो जाता तो किसान की मौत हो जाती, वह कुत्ते की मौत मर जाता। किसान मजदूरी करता है, मेहनत करता है सुबह से शाम तक, तब भी उसको भर पेट खाने को नहीं मिलता। वह शहर के लोगों की तरह टेरिलीन की बुशशर्ट नहीं पहनता, आज नौकरशाही के लोग तो रोज टेरिलीन की बुशशर्ट और पैन्ट पहनते हैं, लेकिन बेचारा गरीब किसान आज भी मारकीन का कुर्ता पहन कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेत में काम करता है इसलिए जब। गिरानी केवल गल्ले की ही नहीं है तो हमेशा गल्ले की गिरानी की ही बात क्यों की जाती है, दवा की और दूसरी चीजों की गिरानी का शोर क्यों नहीं मचता। वकील के पास आज किसान अपने मुकदमे के लिये जाता है तो २ रुपये की जगह वकील उस से १५ रुपया लेता है, इतनी फीस वह कहां से देगा, वह भी गेहूं ही बेचकर देगा, अगर वह सस्ता बेंचे तो उसका तो दिवाला निकल जायगा। किसानों की जितनी परेशानियां हैं वह आज शहर के लोगों को महसूस नहीं होतीं। केवल वही किसान आज भी भर पेट खा सकता है जिस के घर का कोई आदमी सेक्रेटेरिएट में काम करता है या कलकत्ते में या पुलिस या फौज में काम करता है और जो किसान केवल किसानी ही के भरोसे है वह आधा पेट खाता है। अगर महज गल्ले की ही गिरानी को रोका गया तो किसान कुत्ते की मौत मर जायगा और केवल गल्ले का ही सस्ता होना उचित न होगा जब तक कि उसके साथ समस्त वस्तुयें सस्ती न हों।

हमारी सरकार की जो अपनी दुकानें खोलने की योजना है उसके अनुसार दुकानें एक लाख की आबादी के शहरों में खुलेंगी, वह देहात में नहीं खुलेंगे। जहां इंजीनियर ३,००० रुपया माहवार पाते हैं और उन के लड़के वहां पढ़ते हैं वहां दुकानें खुलेंगी, जहां लोहे के स्टाकिस्ट्स हैं और जो ब्लैक मारकेटिंग करते हैं उनके लिये दुकानें खुलेंगी। जहां मिट्टी के तेल के बड़े होल सेलर्स हैं और जो मिट्टी के तेल का टीन ८ रुपये की जगह १८ का बेंचते है वहां दुकानें खुलेंगी। जहां गल्ले के होल सेलर्स हैं और जो दुगुना मुनाफा जोड़कर सप्लाई आफिसर से मिलकर मुनाफा कमाते हैं वहां दुकानें खुलेंगी, लेकिन यह दुकानें वहां नहीं खुलेंगी जहां १ रुपया रोज की मजदूरी मजदूर करता है, जहां ४ बीघे के किसान को अपने अनाज को बेंचकर खाने का ठिकाना नहीं रहता, बोने का ठिकाना नहीं रहता वहां इनकी दुकानों की व्यवस्था नहीं होती। हर अदालती पंचायत में जरूरी है कि एक ऐसी दुकान खुले, अगर देहात के लोगों को, मजदूर को मरने देना है तो शहर के पहले मरें और शहर के नहीं मरने देना है तो देहात के भी न मरने दिये जायं। यह गलत है कि वह शहर में खोली जायं और देहात में न खोली जायं। सरकार को तो मानव की रक्षा की योजना बनाना चाहिये, किसी शहर या वर्ग की रक्षा नहीं करना है, किसी कस्बे या शहर की ही रक्षा नहीं करना है, मानव समाज जहां पर भी हो, वहां ही उसकी रक्षा करनी होगी। वास्तव में दुकानें वहां होनी चाहिये जहां पर खाने का ठिकाना नहीं है। अगर शहर में दुकानें खोली और गांवों में दुकानें न खोलीं तो शायद जानवरों और मनुष्यों के खाने का ठिकाना नहीं मिलेगा। मेरी राय है कि गांवों में दुकानें अवश्य खोली जानी चाहिये।

इस संबंध में मैं अपनी सरकार से अर्ज करता हूं कि जहां वे गल्ले का प्रबन्ध करते हैं, अमेरिका व रूस आदि से वहां वे चारे का भी प्रबन्ध करें। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि आजकल १२ रुपये प्रति मन पर भी कहीं कहीं पर भूसा मिलता ही नहीं है। चारे का भी प्रबन्ध हमारी सरकार को करना चाहिये। घुमा फिरा कर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप दुकानें कहीं खोले मुझे कोई परवाह नहीं पर जो गरानी इस समय है उसको रोका जाय और समस्त उपयोग की वस्तुओं के दामों की वृद्धि को रोका जाय।

कहा गया था कि दुकानों पर जो सामान बिकेगा उसकी लिस्ट बाहर टंगा करेगी लेकिन हो क्या रहा है कि वह भोला भाला किसान, न जिसकी कोई यूनियन है और न कोई संगठन है, आज इन दुकानदारों के हाथों में पिसा जा रहा है। ये लोग उससे मनमाने ढंग पर दाम चार्ज करते हैं। यदि इस भोले भाले किसान की आपको रक्षा करना है तो आपको चाहिये कि आवश्यक वस्तुओं के दाम आप निर्धारित करें और गांवों में भी आप दुकानें खोलें।

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विजयसिंह--

श्रीमन् प्रान्त के हर भाग के लोगों ने इस बहस में भाग ले लिया है आप कृपया बुन्देलखंड के भाग वालों को भी बोलने का मौका दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

यहां पर प्रदेश के किसी भाग का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है । यहां पर सभी पार्टियों के लोग बोलते हैं चाहे वे किसी भी भाग के रहने वाले हों । आप कृपया बैठिये ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उस मे सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वह यह है कि आज हमारे प्रदेश और देश में खाद्यान्न की कमी है । इस कमी का मुख्य कारण जो हमें दिखाई देता है वह यह है कि जिन लोगों के हाथ में ताकत है वे लोग उन लोगों को जो अन्न पैदा करना चाहते हैं, अन्न पैदा करने का अवसर नहीं देते । इसलिये मेरी राय में सबसे पहले उन लोगों के हाथ में खेत देने चाहिये जो खेती कर सकते हों और अधिक अन्न उपजा सकते हों ।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक अलाभकर यानी ६, १/२ एकड़ से कम खेती करने वाले लोग हैं, उन लोगों का लगान ज्यादा है । इतना ज्यादा लगान होने के कारण जो कुछ वे पैदा करते हैं वह पर्याप्त नहीं होता कि उससे वे लगान भी दे सकें और अपनी जीवनोपयोगी वस्तुएं भी खरीद सकें और बेंचकर दूसरों को दे सकें । अतः ऐसी जोत वालों का लगान माफ कर देना चाहिये ताकि जमीन की तरफ लोगों की रुझान बढ़े । अगर लोगों की रुझान जमीन की तरफ हो जायगा तो हमारी खाद्य समस्या हल हो जायगी ।

तीसरी चीज यह है कि आज दाम के बारे में यह कहते है कि बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हो रही है और मंत्री जी कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की स्थिति ऐसी है कि बाहर से अन्न भी उतनी मात्रा में नहीं मंगा सकते है जितनी कि हमें जरूरत है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अरबों रुपये आप विदेशों से गल्ला मंगाने पर खर्च करते है, लेकिन कभी आपने सोचा कि प्रोक्योरमेंट स्कीम की असफलता का क्या कारण है ? अगर आप बाजार में ज्यादा कीमत देने को तैयार हों तो गल्ले की कमी नहीं है । अधिक से अधिक गल्ला सरकार को मिल सकता है । लेकिन सरकार तो मुफ्त में गल्ला चाहती है जिस पर किसान देने के लिये तैयार नहीं है । आज अगर मंत्री जी उस रेट पर जो कि बाजार भाव हों अधिक से अधिक गल्ला खरीद कर प्रोक्योर कर लें और उसके बाद उसी गल्ले को सस्ते भाव पर बेंचना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं कि होर्डर्स के पास से गल्ला निकाला जा सकता है और लोगों की इम्दाद की जा सकती है और होर्डिंग का नाम भी खत्म हो जायगा तथा पर्याप्त मात्रा में सरकार को गल्ला मिल सकेगा और लोगों की सहायता भी कर सकेगी । मंत्री जी ने एक बात कही कि १ लाख टन की हमें जरूरत है और मिल रहा है इस समय ५६,११९ टन । तो यह तो दिखाने की बात है कि केंद्रीय सरकार हमें इतना दे रही है और हम देख रहे है कि शुरू से ही, जैसे आंकड़े १९६५ के दिये हैं जनवरी से जुलाई तक के ७८,७७४ मन था जनवरी में जब कि जुलाई के अन्दर ५६,११९ टन हमें मिल रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जिस रोज यह देखना शुरू किये कि केंद्रीय सरकार से हमें गल्ला कम मिल रहा है या जो गल्ला मिल रहा था उसकी मात्रा कम होती जा रही है तो सबसे पहला स्टेप इनको लेना चाहिये था कि ज्यादा से ज्यादा गल्ला देहातों से खरीदते मार्केट रेट पर और फिर उसको सस्ते गल्ले की दुकानों पर बेंचते इससे जनता की जान सरकार बचा सकती थी । लेकिन सस्ते रेट पर जबरदस्ती गल्ला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वसूल करने के कारण आपकी प्रोक्योरमेंट स्कीम का टोटल फेल्योर रहा है । इसलिये अगर आप सचमुच में अकाल से लोगों को बचाना चाहते हैं तो मारकेट रेट पर अधिक से अधिक मात्रा में गल्ला किसानों से खरीदिये और प्रोक्योर करने के बाद सस्ती दुकानों पर उस गल्ले को बेचिये जिसका नतीजा यह होगा कि जो भाव बढ़ते जा रहे है वे उतरेंगे ।

दूसरी चीज यह है कि देखा जा रहा है कि आज सरकार क्रेडिट बांट रही है लोगों को और कोशिश यह कर रही है कि कर्जा अगर बाटेंगे तो माली हालत लोगों की अच्छी होगी । लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार की हालत बिल्कुल बेढंगी है । सरकार उसी को कर्जा देती है जिससे वापस होने की उम्मीद है । लेकिन जो जरूरतमन्द है, जो अपनी जिन्दगी की जरूरत की चीजें ले सकता है उनको सरकार मदद नहीं कर रही है । ऐसे लोग जिनको सही रूप में कर्जा चाहिये उनको नहीं दिया जाता है । नतीजा यह है कि जितना प्लान बनाया जा रहा है वह सब फेल हो रहा है । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो चन्द बाते मैंने बतलायी हैं, अगर माननीय मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे तो यह समस्या कुछ अंश तक तक हल हो सकती है ।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और सब लोगों के भाषणों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दरअसल देश की जनता बहुत परेशान है, अनावर्षण के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है । इससे ऐसा लगता है कि देश के लोग त्राहि त्राहि मचा रहे हैं । जैसा कि अभी हमारे माननीय कमलासिंह जी ने कहा, उनकी बातों में बहुत कुछ तथ्य है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बतला दूं कि अभी मैं बस्ती जिले में गया था जहां गल्ले के एक बहुत बड़े व्यापारी से मैंने बातचीत की । मैंने उससे कहा कि इस महंगाई के जमाने में जो तुम्हारे पास इतना गल्ला है उसे क्यों नहीं निकालते हो, तो मैं सरकार को सचेत कर दूं कि उसने क्या जवाब दिया । उसने कहा कि हमारा गल्ला चाहे चूहे सारा खा जांय, लेकिन मैं उसे निकालूंगा नहीं क्योंकि जितनी ही जनता परेशान होगी उतनी ही सरकार बदनाम होगी और कांग्रेस सरकार फेल होगी । इस ढंग से उसने बात की । मुझे ऐसा लगा कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनकी भावना ही यह है कि सरकार को बदनाम करें, उनमें इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो गयी है । आज गांवों की स्थिति ऐसी है जो खेतिहर मजदूर हैं जब तक किसानों की जरूरत थी धान आदि बोने की, तब तक उनकी निराई आदि से वे अपना गुजारा करते रहे, अब अनावर्षण के कारण उनकी कठिनाई और बढ़ गयी है । महुआ तक उनको खाने को नहीं मिलता । यहां तक कि मवेशियों के लिये भी बहुत बड़ी परेशानी है । खासकर इलाहाबाद जिले की बात मैं बताऊं वहां पेड़ों की पत्तियां काट काट कर लोगों ने मवेशियों को खिलाना शुरू कर दिया है । साथ ही साथ आप यह भी देखें कि आज देश व प्रदेश में सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जाती है उसमें कुछ कर्मचारी भी गड़बड़ घोटाला करते हैं, वे देश के लिये वफादारी का काम नहीं करते हैं, उनका दिमाग भ्रष्टाचार की तरफ जाने का हो गया है और हर काम वे बगैर पैसे लिये नहीं करते । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सचेत करना चाहता हूं कि वे लोग भी हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और हमारे विरोधी दल के भाई यहां कहते चाहे जो कुछ भी हैं, अच्छे सुझाव भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते । सब सरकार को गाली देते हैं । सूखा पड़ जाय तब सरकार को गाली देंगे, पाला पड़ जाय तब सरकार को गाली देगें, लेकिन अपने कर्त्तव्य को नहीं निभायेंगे । अगर वे अपने कर्त्तव्य को निभायें तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है । मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि वह करप्शन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बंशीलाल]

दूर करने की तरफ स्वयं कदम उठावे। मुश्किल तो यह है कि जब करप्शन की कोई शिकायत किसी कर्मचारी के विरुद्ध होती है तो हमीं में से बहुत से लोग उसकी सिफारिश लेकर मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है।

जहां तक प्रदेश में खेती के लिये साधन जुटाने की बात है सरकार को इधर विशेष ध्यान देना चाहिये। अक्सर देखने में यह आता है कि बड़े बड़े काश्तकार जो ट्यूबवेल या नहर विभाग के कर्मचारियों को पैसे दे देते हैं उनको तो समय पर पानी मिल जाता है, लेकिन जो गरीब किसान पैसे नहीं देते उनको पानी नहीं मिल पाता और इसी तरह से उनमे त्राहि त्राहि मची हुई है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को सावधान कर देना चाहता हूं कि वे इस तरफ ध्यान दें। जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं उनकी हालत तो बहुत ही दयनीय है। उनको खाने केलिये महुआ तक नहीं मिलता है। क्योंकि उनके पास न पैसे हैं, न खेती बारी है और न रोजी रोजगार के और कोई साधन हैं। जिनकी रसाई है, पहुंच है उनको तो नौकरी चाकरी भी मिल जाती है लेकिन जिनके पास कोई जरिये नहीं हैं वे बेचारे मछली की तरह तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। मंत्री जी ने गल्ला का कंट्रोल किया, लेकिन ज्यादा गल्ला उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके पास गल्ला पहले से ही ज्यादा है और वे आटा ले जा कर मजदूरों को देते हैं। यह गल्ला उन लोगों को वितरित किया जाना चाहिये जिनके पास कोई जरिया नहीं है, जिनके पास खेती-बाड़ी नहीं है, जिनके पास साधन नहीं हैं। इसकिस्म के नियम बननें चाहिये वर्ना यह गरीब जैसे पहले पिसते थे अब भी पिसेंगे। मंत्री जी ने बतलाया कि बाहर से इतना टन गल्ला मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि केवल इस पर ही ध्यान नहीं देना चाहिये। इस पर भी ध्यान दिया जाय कि जो गल्ला छिपा हुआ है उसे सरकार बाहर निकाले। बड़े बड़े स्टाकिस्ट्स स्टाक रखे हुए हैं। एक जगह न रख कर गांवों में काश्तकार के यहां रखते हैं ताकि सरकार छान-बीन करे तो पता न चल सकें।

श्री विजयसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बहुत ही गम्भीर और विवादपूर्ण तथा देश और प्रदेश की खाद्यान्न समस्या का मसला है। हमारे माननीय मंत्री नेगी जी खाद्यान्न के संबंध में यहां उपस्थित हैं जिनका केवल खाद्यान्न के वितरण से ही संबंध है। प्रदेश के खाद्यान्न के उत्पादन, उत्पत्ति बढ़ाने के लिये आज माननीय कृषि मंत्री को भी इस सदन में यहां बैठना चाहिये था, उनके डायरेक्टर कृषि सचिव तथा अन्य अधिकारियों को भी बैठना चाहिये था जो यह समझते कि आज प्रदेश में खाद्यान्न की कैसे और क्या कमी है और माननीय नेताओं ने जो बात कही थी उनके सुझावों पर विचार किया जाता कि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे बढ़ना चाहिये। मिट्टी का तेल, गुण व शक्कर और सीमेंट कैसे बाटा जाय इसी से माननीय नेगी जी का संबंध है लेकिन खेती कैसे बढ़े और उत्पादन कैसे बढ़े इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

मान्यवर, मेरे पूर्ववक्ता माननीय रामायणराय जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं। पहले जब वह इधर थे तो जो बातें उन्होंने आज कहीं उनसे बिलकुल विपरीत दूसरी बातें कहा करते थे। उन्होंने कहा कि नियोजन प्रगति का साधन है और नियोजन से ही देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है लेकिन इससे पहले जब यह हमारे साथ थे तो उन्होंने यह बतलाया था कि इस देश में जो योजनायें चल रही हैं वह निरर्थक हैं और उनसे कोई लाभ नहीं होने का और आज दूसरी बात कह रहे हैं। आज अफ्रीका तथा अन्य एशिया के देशों की जो आर्थिक प्रगति हुई है वहां कितनी योजनायें चलती रही हैं? इसके अलावा यह भी उन्होंने कहा कि देहात से लोग शहरों की तरफ अधिक आ रहे हैं, इससे खाद्यान्न का संकट पैदा हो रहा है। तो आज क्या आवश्यकता है और क्या कारण है कि देहात से शहर की ओर लोग आने लगे हैं। जहां भोजन के लिये अन्न पैदा होता हो वहां भोजन को छोड़ कर शहर में मरने के लिये लोग क्यों आते हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि आज किसान का भविष्य अन्धकारमय है, उसके पास साधन नहीं हैं जिससे

वह अपनी उन्नति कर सके । उसका समाज में कोई आदर नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है । उनको उन्नतशील कृषि की क्या ट्रेनिंग है ? राज्य की ओर से किसान को कृषि कार्य की सहायता के क्या साधन उपलब्ध हैं उसका जीवन भी खतरे में है । वहां क्या ला एंड आर्डर है ? उसका जीवन आज सुरक्षित नहीं है तो वह किस प्रकार आज खेती में अन्न उत्पादन में सहयोग दे सकता है ? आज उनकी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार सुरक्षित नहीं है । यही सब बातें हैं जिनसे किसान आज देहात छोड़ कर शहर की तरफ आ रहा है । सरकार भी देहात के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती है । कांग्रेस सरकार सोचती है कि अगर किसान और देहात का आदमी इतना जाग्रत हो जायगा तो वह कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। खाद्यान्न की पूर्ति शहर में बैठ कर और कमरों में बैठ कर योजना बना कर नहीं की जा सकती । कृषि का उत्पादन देहात में जा कर, मौके पर जा कर, खेत पर पहुंच कर बढ़ाया जा सकता है । राज्य में किसान ही उपेक्षित है और वही भोजन देने का भंडारी भी । फिर वह अपमान सहकर और परेशान होकर कैसे कृषि उपादन में बृद्धि करेगा यह एक विचारणीय बात है ।

मुझे याद है कि जिस समय कृषि विभाग के डायरेक्टर श्री आर० जी० एलन थे तो वे महीने में २० दिन देहात का दौरा करते थे और देहातियों तथा कृषकों के साथ कंटेक्ट रखते थे लेकिन आज कमरों में बैठकर नक्शे तैयार किये जाते हैं । तो केवल कागज पर ही तरक्की होगी वास्तविक खाद्यान्न कैसे पैदा होंगे । तीसरी बात माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वहां वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं । आप देखेंगे कि जापान, इटली और वैस्टर्न यूरप के देशों में जिनकी आय १२ से लेकर १३ प्रतिशत तक बढ़ी और हमारे यहां केवल ३.३ प्रतिशत ही बढ़ी है लेकिन वहां पर वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े और हमारे यहां तिगुने चौगुने बढ़ गये हैं और बढ़ते जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह उनका तर्क ठीक नहीं है । इसमें सरकार दोषी है । आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि आप जानते हैं कि किस तरह से किसान की तरक्की हो सकती है, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है और कैसे किसान को उसकी उपज की मार्केट में अच्छी कीमत मिल सकती है । वह तो सदैव से ही हमारे ही तर्कों की पुष्टि करते रहे पर आज ही दूसरी भाषा बोलने लगे हैं ।

मान्यवर, प्रदेश में अन्न की कमी है । मैं आप से कहता हूं कि बुन्देलखंड में यदि कृषि विभाग ठीक से कार्य करे और शासन ध्यान आकर्षित करे तो सारे प्रदेश को यहीं से भोजन मिल सकता है । इसी प्रकार हमारे प्रदेश भर में अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय और हमारा उत्पादन उन्नतिशील अन्य देशों के समतुल्य स्टेंडर्ड हो जाय तो सारे देश को हमारा प्रदेश भोजन दे सकता है । आज गंगा और जमुना के बीच में रहने वाले माननीय मंत्री जी दिल्ली जाकर अन्न की भिक्षा मांगें यह कहां तक ठीक है ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज देश और प्रदेश में कन्ट्रोल नाम की चीज ने सारी चीजों को लोप कर दिया और कंन्ट्रोल की व्यवस्था लगाकर आप प्रदेश के लोगों को डिमोरेलाइज करते हैं । सरकार की तरफ के वक्ताओं ने भी कहा है कि इससे काम चलने वाला नहीं है । मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं माननीय अशोक मेहता ने स्वयं कहा है कि देश में १९५१ में सीरियल्स ४३.६० मिलियन टन पैदा हुये । इसके दस साल बाद ६४ मिलियन टन पैदा हुये और ६५–६६ में हमारा टार्गेट ८३ मिलियन टन का था और ८६ मिलियन टन पैदा हुआ, इस पर भी ४ मिलियन टन आपने बाहर से मांगा । आपके आकड़ों से ही स्पष्ट है कि अब आवश्यकता किस बात की है और कंट्रोल की क्या जरूरत है । हमारे पड़ोसी माननीय सदस्य ने बड़ी सुन्दर बात कही कि कम्प-लीट राशनिंग हो, लेकिन कमी किस चीज की है जो राशनिंग हो । कन्ट्रोल और राशनिंग ही भृष्टाचार का रूप है । आज गल्ला, सीमेंट, लोहा तथा शक्कर सब चीजें ब्लैक में हर समय प्राप्त हैं और अधिक मात्रा में मौजूद हैं । फिर यह कन्ट्रोल क्यों ?

[श्री विजयसिंह]

हमारे जिले में श्रीमन्, ८५ प्रतिशत ट्रैक्टर्स पावरिंग से चलते हैं और १५ प्रतिशत डीजल से चलते हैं। चार लिटर मिट्टी के तेल में एक गैलन-पैट्रोल मिला दिया जाय तो बहुत अच्छा (पावरिन) तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे यहां किसानों को मिट्टी का तेल पूरे काम का इकट्ठा नहीं दिया गया। इसलिये सरकार को ध्यान देना चाहिये कि किस तरह कृषि की पैदावार बढ़ सकती है। जब हम उन्हें कोई सुविधा नहीं दे पातें मैं आशा करता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री भी इस ओर अपना ध्यान देंगे और यह कन्ट्रोल, कोटा, लाइसेंस बन करके उपयुंक्त वितरण पर निगाह रखेंगे तो देश और प्रदेश का कल्याण हो सकता है केवल इस विवाद से ही कामयाबी नहीं मिलेगी।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश सन् १९४७ में आजाद हुआ और उस आजादी के बाद से आज तक के इतिहास को यदि आप देखें तो यह पता चलेगा कि इस सरकार के कारनामे देश को अवनति के गर्त की ओर गिराते गये हैं, हर डिपार्टमेंट को। आज जब यहां पर खाद्य विभाग से संबंधित चर्चा चल रही है, लेकिन हम तो यदि उसे सम्पूर्ण दृष्टि से देखें तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, जिसने प्रदेश के लिये कुछ बेहतर काम किया हो, केवल सरकार के दिवालियेपन का ही हमें अंदाजा लगेगा।

श्रीमन्, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमारे देश में गेहूं ३ सेर का बिकता रहा और दूसरी पंचवर्षीय योजना में २ सेर का गेहूं बिकता रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने को है, इस समय गेहूं १८ छंटाक का माननीय नेगी जी के राज्य में बिक रहा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि चौथी योजना आएगी और चलेगी और यदि यही रफ्तार रही तो गेहूं १०-१२ छंटाक का ही बिकेगा। यह हमारी विकासोन्मुख नीति का परिणाम है। आज प्रदेश में खाद्य सामग्री की कमी और मिट्टी के तेल की कमी है, सभी आवश्यक चीजों की कमी बनी हुई है। आपको मंत्री जी मालूम होगा, गांधी जी ने नमक के लिये सत्याग्रह किया था। यह जितनी भी जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी पूर्ति करने में यह सरकार समर्थ रही है। तो नैतिक दृष्टि से इस सरकार को गद्दी पर बैठने का कोई हक हकूक नहीं है। गांधी जी ने नमक के लिये सत्याग्रह किया और देश में एक जाग्रत ला दी। देहातों में बिजली नहीं है, वहां पर लोग मिट्टी का तेल जलाते हैं, कड़ुवा तेल भी इतना महंगा है कि लोग उसे नहीं जला सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि यदि गांधी जी के टक्कर का कोई आदमी इस समय देश में होता तो आपकी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह करता। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उनकी टक्कर का कोई नेता और समाज सुधारक इस समय नहीं है।

बार-बार असेम्बली में इस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं कि आखिर हमारा उत्पादन बढ़े कैसे? कभी-कभी लोग सुझाव देते हैं कि जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि दी जाये, जो खेत जोतने वाले हैं उनको खेत दीजिये उस से हमारी उपज बढ़ेगी। किन्तु आप उसे मानते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में उसे कार्य रूप में परिणित नहीं करते हैं। आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। यदि कहीं-कहीं पर्ती और बेकार जमीन भूमिहीनों को मिल भी गयी अथवा जहां कहीं जमीन हदबन्दी और जोत चकबन्दी से भी मिल गयी है, उसने उस पर कठोर मेहनत की है, जंगलों को काटा है, दुर्गम चट्टानों को तोड़ा है और इसके बाद उसने अपना खून पसीना एक करके उसको उपजाऊ बनाया है, उसकी उपज को बढ़ाया है। उसके बाद, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस किसान से कुछ तगंजेहन किसान किसी न किसी कानून में बांधकर उसकी जमीन छीन लेते हैं। इस बारे में २ अगस्त को, जिस दिन यह सेशन शुरू हुआ था मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी–गांव गुलालवली उर्फ सीताबली, डाकखाना शानपुर, थाना नजीमबाद, जिला बिजनौर के बारे में कि वहां पर १५ हरिजन चमार किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया गया है, जिन्होंने सन् ४७ में जंगल उस गांव के साफ किये, ४० बीघा पुख्ता जमीन उन्होंने तोड़ी, लेकिन आज उनकी जमीन को चन्द तंग जेहन वाले हिन्दू छीन रहे हैं और कानून उनकी मदद नहीं कर रहा है और सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही है । लेकिन माननीय स्पीकर महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया होगा । किन्तु उसके दूसरे दिन १ साधू को आजमगढ़ में मार डाला गया तो उसको इतनी महत्ता दी गयी कि उसको स्वीकार कर लिया गया । श्रीमन्, मैं तो यही कहूंगा कि यह सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है, इसलिये इसे बदलना है । जैसा कि हमारे मित्र उग्रसेन ने कहा है इन्कलाब आएगा और उसके बिना काम नहीं चलेगा । आप भ्रष्ट, निकम्मे और आचरण से गिरे हैं इसलिये आज प्रकृति भी आपके विपरीत है । यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत ठीक है और वही आज चरितार्थ भी हो रही है । बाढ़, सूखा आदि का प्रकोप हमारी कृषि पर इसीलिये है । आज प्रकृति भी हमारे साथ नहीं है, महज इसलिये कि हमारी सरकार निकम्मी है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैं अपनी पार्टी के लीडर की हैसियत से बोल रहा हूं इसलिये मुझे दो-तीन मिनट और दे दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह सम्भव नहीं है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)––

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि वे हमारी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, वे हमारे नेता नहीं हैं और वे इस पार्टी के सदस्य भी नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह आपसी बातचीत यहां उठाना ठीक नहीं है ।

श्री श्यामलाल––

इनके एक साथी पार्टी से निकाल दिये गये हैं इसलिये यह मुझ पर आरोप लगाते हैं । खैर, मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि सन् ४७ के पहले हमारे यहां सोने और चांदी के सिक्के थे, लेकिन जैसे आपकी हुकूमत आयी, कांग्रेस की हुकूमत ने कागज के नोट फैला दिये और इससे मुद्रास्फीति हो गयी और अगर हुकूमत ने यह रवैया अपना नहीं बदला तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार देश और प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और यह चल नहीं पायेगी । अब भी आप सतर्क हो जांय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)––

उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल औपचारिक बात नहीं है, लेकिन मैं सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचारों को हमारे विचार के लिये प्रस्तुत किया और मैं इस-लिये भी उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बहुत-सी कठिनाइयों को स्वयं ही हल कर दिया । माननीय ठाकुर फूलसिंह ने कहा कि सन् १८८० में लोगों को २६ औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

पड़ता था, लेकिन वह घटते-घटते अब १२ औंस रह गया है । तीन साल पहले यह १४ औंस पड़ता था । इसका कारण साफ है कि प्रदेश के अन्दर जितनी पैदावार होती है, यहां के जितने निवासी हैं, जितना यहां का निर्यात और आयात है इन सब बातों पर निर्भर करता है कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति क्या खाना पड़ता है । अगर हम १६ औंस का हिसाब लगायें तो हमारा स्टेट डेफिसिट में आता है अगर १४ औंस के हिसाब से लगायें तो थोड़ी सी कमी पड़ती है और १२ औंस के हिसाब से लगाते हैं तो जितनी स्टेट की आज पैदावार है उसके लिहाज से ठीक हो जाता है ।

अब यह कहा गया है कि मैंने सेन्टर के खिलाफ कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है और कहा यह गया कि आपके आपस की बात है । लेकिन मैंने तो आज कोई बात नहीं कही कि उनके कारण स्थिति खराब हो रही है, मैंने यह नहीं कहा कि सेन्टर हमारी बात नहीं मानती बल्कि हमने यह कहा कि जितनी उनकी शक्ति थी उन्होंने हमें दिया । अब अगर अमेरिका में डाक स्ट्राइक हो जाय और उनके पास बफर स्टाक न रहे तो उनके ऊपर इल्जाम देना कोई मानी नहीं रखता । इसलिये मैं उनको दोषी नहीं बताता हूं यह स्पष्ट हो जाना चाहिये । जिनके हृदय में भ्रम हो कि मैंने अपने भाषण में कहा है वह दूर हो जानी चाहिये । मैंने जो वस्तुस्थिति थी उसको दिखाया है कि उन्होंने कम दिया है तो लाचारी है जिसकी वजह से कम दिया है ।

अब सरकार ने १८ वर्ष के बाद भी कोई खाद्य नीति नहीं निर्धारित की है इस पर सबने अफसोस जाहिर किया है । जहां तक उत्पादन संबंधी और कृषि संबंधी नीति है वह तो जब से योजनायें चली तब से केन्द्रीय सरकार की थी । यह दूसरी बात है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके । यह हो सकता है कि लक्ष्य की पूर्ति न हुई हो । उसके कुछ कारण हो सकते हैं । हो सकता है यही कारण हो जैसा नवलकिशोर जी ने कहा कि टार्गेट बहुत बड़े रखे गये । मगर यह बात जरूर है कि लक्ष्य ज्यादा रखना चाहिये और उसकी पूर्ति जितनी हो सके वह होनी चाहिये । मेरा अपना खयाल है कि डेमोक्रेसी में किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन बात है । मुझे श्रीपालसिंह जी की यह बात सुनकर खुशी हुई कि उन्होंने झारखंडेराय जी के देश में योजनाओं की सफलता की बात कही कि वहां पर वे कामयाब हुये । अगर ऐसा है तो मैं जनसंघ वालों से कहता हूं कि आप सब कम्युनिस्ट हो जांय और उसी को अपनाइये । यहां सरकार को गलत साबित करने के लिये किसी का सहारा लेना मुझे ठीक नहीं जंचता है । सरकार की एक नीति थी । उसको लेकर वह चली । उसमें दोष हो सकता है, लेकिन उसने पैदावार की नीति को लिया । वितरण का सवाल तो बाद में आता है । अगर उसने पहले वाली चीज को पहले लिया तो इसमें कौन सी गलती उसने की । अब जब कुछ पैदा हो जाय तो बांटने की बात करें । पहले से ही कपड़े सिलाकर रखदें तो यह कैसे हो सकता है ? पता नहीं बाद को उनका उपयोग होगा या नहीं । इसलिये खाद्य नीति पर वितरण का सवाल बाद में आता है ।

कोई कहता है कि मिक्स्ड इकानामी, वितरण और परचेज के संबंध में ठीक नहीं है । वह कहते हैं कि कैसे कंट्रोल करोगे, न आपके पास मशीनरी है और न स्टोर है । मशीनरी बहुत खराब है और सारी बुराई है । अगर कंट्रोल न लगाया जाय और यहां पर लाल बत्ती न दिखाई जाय तो सारे दिन एक मेम्बर बोलता रहेगा । मैं कहता हूं कि कंट्रोल भले आदमी के लिये भी लाजिमी है । यह निश्चित बात है कि अगर चीनी पर कंट्रोल न होता तो वह २० हजार टन चीनी कानपुर के होल सेलर दबाकर बैठ जाते और किसी जिले को चीनी के दर्शन न होते । आज यह बात दूसरी है कि खराबी है, क्यू लगानी पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, लेकिन फिर भी दर्शन हो जाते हैं । इस तरह की समस्या है । अन्न की अधिकता हो तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जब कमी है तो निश्चित बात है कि उसका कंट्रोल हो । प्लान्ड इकानामी में बगैर कंट्रोल के प्लान चल नहीं सकता है । हमको यह देखने की जरूरत है कि हमारा आब्जेक्ट क्यों है अगर आब्जेक्ट सही है तो उस आब्जेक्ट पर पहुंचना है और वहा पहुंचने के लिये हमें मार्ग देखना

होगा कि क्या व्यवहारिक मार्ग और तरीका हो सकता है। किस तरह से हमें चलना है यह अपनी शक्ति को देखते हुए हमें निर्धारित करना होगा। अपने देश की नैतिक शक्ति, स्तर, व्यक्ति और समाज की शक्ति को देखते हुए निर्धारित करना होगा।

मैं समझता हूं कि जब हमने समाजवादी व्यवस्था को मान लिया है तो हमारा स्टेट ट्रेडिंग की ओर जाना अवश्यमभावी है। आप उससे बच नहीं सकते। सन् ५९ से लेकर हम उस ओर बहुत कम बढ़े है और यह भी ठीक है कि सिर्फ ५ परसेंट इंपोर्टेड अनाज के बल पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस के लिये हमें कमांडिग पोजीशन में आना होगा और वह पोजिशन लाने के लिये जरूरी है कि हम स्टेट ट्रेडिंग करें। उसे नाम चाहे जो भी दें, लेकिन उस के लिये हमें स्टेट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यह पी०एल० ४८० हमारे देश में उस समय आया कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा था। हम को इस से नुकसान हुआ। इस बीच में भाव बहुत नीचे हो गये है। यहा तों डेमोक्रेसी है, एक आदमी की राय चलती नहीं। हम को भी अपने ट्रेडीशन्स कायम करने हैं। हमारें मेम्बर साहबान रोज-रोज कहते है, बहुत सी बातें कहते हैं। कहां तक उनकी बात मानी जाय। एक दिन की बात हो तो मान भी लं। मैं बता रहा था कि मैं स्वयं इस समस्या सें चिंतित था और पीड़ित हूं। मैं बता रहा हूं कि यह कोई प्रोपेगेन्डा की बात नहीं है लेकिन रात दिन मैं इस चिन्ता में रहता हूं कि किस तरह से यह चीज चलायी जाय। तो अगर आप मेरी बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई उचित सुझाव देंगे तो वह अवश्य ही मुझे मान्य होंगे, लेकिन यह तो अंधे की लाठी वाली बात है। आप अगर आंख मूंद कर मारेंगे तो किया ही क्या जा सकता है? भानु प्रताप जी ने बड़े सुन्दर सुझाव दिये। बाद में कहा कि सपोर्ट प्राइस ३५ रुपये प्रति क्विन्टल फिक्स करदी। अरे, भाई, उसका मतलब यह है कि हम उस से नीचे भाव नहीं गिरने देंगे। तो हम चाहते है कि काश्तकार को रीजनेबिल प्राइस मिले। हमने प्रोक्योरमेंट के लियें कोई प्राइस फिक्स नहीं की महज इसलिये कि हम उसे काश्तकार से खरीदना चाहते हैं। हमारे इस के लिये क्लियर आर्डर्स है।

माननीय सदस्यों ने कहा यहां कि तीन साल से हमारी फसल खराब होती आयी है। कीमतें बराबर चढ़ रही है। ऐसी सूरत में अगर हम लेवी लगाते या कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट करते तो उसका क्या असर होता? ३ साल तक हमारी फसल खराब हुई, हमने सोचा कि अगर हम लेवी फिक्स करेंगे तो उससे कीमतें और चढ़ जायेंगी, समस्या का हल उससे भी नहीं होगा। आपने देखा कि हमने वालन्टरीली ६५ रुपये का भाव रखा और उस भाव से खरीदना शुरू किया, व्यापारियों ने ६७ कर दिया, हमने ६७ किया उन्होंने ६९ कर दिया, तो यह तो हालत है। इसलिये वालन्टरी बेसिस पर भी हम नहीं कर सकते। लेवी का नतीजा यह होता कि जितना हम ले लेते। वह ले लेते बाकी हायर प्राइस पर जाता। एक साहब ने कहा सरकार ओपिन मार्केट से खरीद कर फैयर प्राइस शाप्स द्वारा बेचें। अब अगर ८५ या १०० रुपये के भाव से हम खरीदें, और सब खर्चे लगा कर १०५ पर बेंचे। तो फिर ब्लेक मार्केट में और हममें क्या अन्तर रहेगा। तो यह सब सोचने की बात है। ट्रेडर से लो मत, प्राड्यूसर को टच मत करो, लेवी भी न लगाओ, सेन्टर से मंगाओ, वह भी दे या न दे, तो क्या करो, कैसे काम चलेगा? यह सब सोचने की बात है।

कहा गया कि फेमिन डिक्लेयर कर दो। कागज में फेमिन डिक्लेयर करने से क्या फायदा होगा। किसी ने कहा कि ५० हजार टन हमने कर दिया, बड़ा भारी तीर मार दिया। हमने तीर मारने की बात नहीं कही, हमने यह कहा कि ५० फीसदी वालन्टरी बेसिस पर हमने इकठ्ठा किया। अब नीचे क्या सटर-पटर हुई है, यह मुझे नहीं मालूम। मेरे लिये तो पांचों उंगलियां बराबर हैं। अगर एक अंगूठी होती है तो वह बीच में ही पहनी जाती है। इसलिये पहले जहां सबसे ज्यादा जरूरत होगी वहां अन्न पहले पहुंचाया जायेगा। देवरिया, गाजीपुर में दुकाने खुली हैं। मुमकिन है फिगर्स जो मेरे पास हैं गलत हों, लेकिन हैं। फिर भी मैंने जिलाधीशों

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

को यह स्पष्ट आदेश दे रखे है और कुछ गल्ला उनके डिस्पोजल पर रख छोड़ा है कि उसे जहां भी आवयश्कता समझें, जो डेफिसिट एरिया हो, वहा उसको दें और मोर डिस्ट्रैस्ड पर्सन्स को दीजिये। अब रहा इस बात का, यह तो हम आर्डर करते जा रहे है। यह आपसे बताना है। मगर मुझे हिसाब लगाना पड़ता है आठ महीने का रबी की फसल आने तक और इस हिसाब से अपने आप को चलाना पड़ता है। अगर हम दो महीने रूरल एरियाँ की दूकानें बन्द न कर दें, और पचास हजार के नीचे की आवादी के टाउनों को बन्द नहीं करते तो हमारे पास इतना होगा ही नहीं कि हम दे सकें। पी० एल० ४८० का कोई भरोसा नहीं। यह भी मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि भगवान् न करें, अगर वार छिड़ जाय, हमें कुछ रिजर्व भी करना पड़ेगा। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, इसका प्राईस कन्ट्रोल बोर्ड होना चाहिये। इसे कई और भी माननीय सदस्यों ने फरमाया। जहां तक यह विषय है यह मेरे हाथ का नहीं है। अभी तक मेक्सिमम प्राईस क्यों नहीं फिक्स की, यह भी प्रश्न किये गये। इसकी मैक्सिमम प्राईस फिक्स की पर हम इसमें सफल नहीं रहे। इसकी तो इन्डिया भर में मैक्सिमम प्राईस लगानी चाहिये। यह तय कर लिया गया है कि मैक्सिमम प्राईस एन्फोर्स की जावेगी और वह एन्फोर्स होगी। यह भी कहा गया कि जोन्स न रहें। अगर जोन्स जाते है तो हमारी शर्त यह है कि मोटा अनाज उसमें शामिल हो। अब एक बात है कि जोन हटाकर के पोजीशन ईज हो सकती है। अगर उसे यह बतायें कि जोन बंट जायेंगे तो प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे? नेशनल लेवी हर प्रोड्यूसर पर न लगे, कब तक यह हो सकता है? उस वक्त जब नेशनल लेवी लगे हर प्राड्यूसर पर लगे कोई एक्सेप्शन न हो। अगर बफर स्टाक बनाना हो, आप पाई नहीं लगा सकते।

जहां स्मगलिंग का सवाल है हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं न जाय। मैं तो खुद बनारस गया था, वहां एस०पी० को बुलाया था। जिस वक्त गाजीपुर गया था तो वहां मैंने यह इन्तजाम किया था कि मोटरबोट के जरिये से जांच की जाय। मगर एक तरफ तो हम चाहते है कि स्मगलिंग रोकी जाय। जहां कारिडर एरिया का सवाल आता है कि पांच मील की पट्टी तक कोई न ले जाय लेकिन हर ट्रेडर जो स्मगल करना चाहता है और किसी न किसी को ले कर आ जाता है कि इससे दिक्कत होती है। जो सीधे सादे लोग है जिनको ट्रिक्स नहीं मालूम है उनके साथ आजाते है। इस तरह की चीजों के लिये हम सतर्क है और इसके लिये नेशनल पालिसी बन चुकी है। देर आयद दुरस्त आयद। १८ वर्षों के बाद भी हम अगर दूसरे नम्बर पर आ गये तो ठीक ही है। मैं यह कह रहा था कि नेशनल पालिसी यह बन गई है बहुत से रूरल एरियाज में जो कि लेवीलेस है स्केअरसिटी हिट एरियाज है ऐसे पाकेट्स जो है उन पर इन-फार्मल राशनिंग करने की स्टेट की जिम्मेदारी है।

मगर शहरों में टोटल राशनिंग की जिम्मेदारी हमने इसलिये ली है कि जिससे एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाय।

दूसरी बात यह है कि प्रदेश के निवासियों को अभी १२ आउन्स मिलता है। औसतन मिलता है, कोई ज्यादा और कोई कम भी खाता होगा। उड़ीसा में इतनी कम पैदावार है लेकिन उनको २१ आउन्स मिलता है। लेकिन अब बराबर मिलेगा जिसका नतीजा होगा बाम्बे, कलकत्ता और उड़ीसा में १२ आउन्स ही मिलेगा। इक्वेलिटी आफ सफरिंग होगी। कुछ लोगों का मत था कि ३ लाख के ऊपर के नगरों में राशनिंग हो, लेकिन कुछ ने कहा कि इसका असर यह होगा कि लेसर टाउन भी यह मांग करेंगे कि हमारे यहां भी टोटल राशनिंग कर दी जाय। तो जब तक हमारे पास इतने बफर स्टाक्स न हों किस तरह से उस स्टेप को हम ले सकते हैं। इस-लिये १० लाख की पापुलेशन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे है और इस दृष्टि को लेकर हम आगे चल रहे हैं। इसी बीच में हम स्केअरसिटी एरिया के लिये और रूरल एरिया के लिये सोचेंगे। एक मेरी निजी राय भी है कि जब तक टोटल राशनिंग नहीं होती तब तक २५०-३०० से ऊपर पाने वाले लोगों को कोई हक वहा से गल्ला लेने का नहीं है। इसी प्रकार रूरल एरिया में भी आमदनी की हदबंदी होनी चाहिये।

अब रही यह बात कि गवर्नमेंट और मिनिस्टर की भूल है, देहातों में गल्ला भरा पड़ा है। जब शहरों में गल्ला नहीं है क्योंकि हमारे लाइसेंसिंग आर्डर की वजह से शहरों में गल्ला होर्ड नहीं हो रहा है, गांवों में अवश्य होना चाहिये। अगर देहात में भी नहीं है तो कहां गया? वहां है और उनके पास है जो बड़े-बड़े है। झांसी की बात लखपतराम जी ने कही। झांसी में एक किसान के घर में बोरियों में बहुत सा गल्ला भरा पड़ा था। वह क्यों रखा हुआ है? अगर खत्ती में रखा हुआ होता तो उसका अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो सकता था, लेकिन बोरों में है इसलिये मालूम होता है कि एक एक बोरा करके मंगाया गया है और चाहे जब भेज दिया जाय, इसलिये रखा है।

हमने होर्डिग आर्डर में अमेंडमेंट किया, लेकिन माननीय उग्रसेन जी नाराज हो गये। लेकिन हमने अमेंडमेंट उसमें किया इसलिये किया कि हम गारन्टी करने में असमर्थ थे कि आज जिस भाव से हम किसान से खरीद रहे हैं उसी भाव पर लोन पीरियड में देने में असमर्ध थे। फिर हमको इस आर्डर को भी लागू करने का हक नहीं था। इसलिये इस समय इस आर्डर को हमने नहीं लगाया। न प्राइस कंट्रोल किया। मैंने रेडियों पर अपनी टाक में कहा था और उसको आज दुहराना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा हिचकिचाता हूं। पिछले साल जब रेड की गई तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत हुई। उसका दोष किस पर? आप हमें ब्लेम करते हैं, हम उसको मानने को तैयार है। लेकिन जैसा कानून है उसको ध्यान मे रखते हुए ऐसा कर सकना बड़ा मुश्किल है। अब हम डी०आई०आर० में रेट फिक्स कर सकते हैं। पिछले साल तक ऐसी बात नहीं थी केवल कोर्ट ही रेट फिक्स कर सकता था, लेकिन अब हमको दिल्ली में मालूम हुआ कि हम को डी० आई०आर० में रेट फिक्स करने का अधिकार है, अब हमें यह लीगल इन्टरप्रिटेशन मालूम हो गया। अभी तो हम आशा कर रहे है कि एक दिन, दो दिन में बारिश हो जाय और मुसीबत से यह प्रदेश बच जाय और अगर बारिश नहीं होती और हालत खराब होती है और ज्यादा समस्या बढ़ती है जिसे भयंकर कहते हैं उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा वह मैं अभी नहीं कह सकता। मैं अकेले करने वाला कोई नहीं हूं। सारी गवर्नमेंट की सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि मेग-जिमम प्राइस फिक्स हो, सब को उचित कीमत मिले और सारा माल रिक्वीजिशन हो जाय। हम नहीं चाहते कि प्रोड्यूसर पर उसका बुरा असर हो। पिछली बार २–३ मास का समय दे दिया यह ठीक है, लेकिन उन पर भी ऐन्टी होर्डिग का आर्डिनेन्स या कानून लागू हो सकता है। मैंने चेतावनी दी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे करप्शन फैलता है, लोगों को खड़े हो कर कहने का मौका मिलता है कि साहब बड़े बड़े बच जाते हैं और छोटे फंस जाते है। हमारी दिक्कत यह है कि जो थोड़ा बहुत स्केलटन स्टाफ हमारे पास रह गया था, क्यों कि यह विभाग एक तरह से वाइन्ड अप हो रहा था, उसका पुराना ढांचा ही हमारे पास था। लेकिन अब जब राशनिंग हो रही है तो हमें फिर से नया पर्सनल शुरू से रखना होगा। इसलिये आगे चलकर जब हमारा यह ढांचा खड़ा हो जाय कि जिन्दा रहना है और कुछ दिन दुनिया में खाना कमाना है तो काम ठीक से करना पड़ेगा। आप स्टेट ट्रेडिंग करें, या एन्टीहोर्डिग आर्डर निकालें, लेकिन जो करप्शन उससे पैदा होता है वह तभी बन्द हो सकता है जब कि आपकी मेशनरी एफीशियेन्ट हो। आप जानते है कि कितनी शक्ति से मैंने काम किया है और अभी कर रहा हूं जैसा कि हमारे दुबे जी बता रहे थे कि कानपुर में क्या हुआ लेकिन कानपुर में जो पकड़ा वह हमारे टी०आर०ओ ने ही तो पकड़ा, आयरन शीट्स का सब मामला हमने ही पकड़ा, कुछ मामले छूट भी जाते है, जो छूट गये उनका हमें अफसोस है, जो पकड़े गये उनकी खुशी भी है।

मैंने बताया कि हमारा लक्ष्य यह है कि स्टेट ट्रेडिंग हो। हमारे भानु प्रताप जी कह रहे थे कि पता नहीं मंत्री जी सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं या स्वतंत्र दलीय हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि मैं सब कुछ हूं, और सचमुच में हूं, मैं ने तो स्वतंत्र दल का नाम भी नहीं लिया था, मैंने स्वतंत्र व्यवसाय की बात कही थी। मैंने कहा कि कृषि उपज ही नहीं होगी तो हम बांटेंगे क्या?

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

६ प्रतिशत आप की प्रोडक्शन बढ़े और ९ प्रतिशत आपकी आबादी बढ़ जाय, सन ५१-५२ से जब आबादी और प्रोडक्शन का यह अनुमान हो तो फिर कैसे काम चले ? ६० से ७० रुपये अगर गेहूं की प्राइज रहती है तो यह अनरीजिनेबिल नहीं है । अगर कैश क्राप से पैरीटी नहीं होगी तो किसानों का इधर ध्यान जाना मुश्किल है ।

कोर्स ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचने और समझने की जरूरत है । हमें बहुत सी चीजों की बारीकियों को समझना होगा । आप जो क्रिटिसिज्म करते रहते है मैं समझता हूं कि यह मोस्ट अन चैरिटेबिल है । मैं आपका आभारी हूं कि आप हमें क्रिटिसाइज करते हैं पर पहले आप मुझसे मेरी बात समझ तो लें कि वास्तव में बात क्या है । हम अकेले किसी काम को नहीं कर सकते हैं । हमें आपकी इस कार्य में मदद चाहिए और जब तक आप मदद नहीं करेंगे हम इन चीजों पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पायेंगे । तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब चीजों में आपका सहयोग नितांत आवश्यक है । हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते है, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो या किसी की भी सरकार हो ।

प्रोडक्शन हमारे यहां पर बढ़ सकता है पर भारत में रहने वालों की जहनियत गुलामी की है । इसको दुरुस्त करने में बहुत समय लगेगा । १८ वर्षों का जो समय माननीय सदस्यों नें कहा बहुत कम है । मैंने स्वयं एक इन्जीनियर को एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर पैलेस्टाइन को रेगिस्तान से उर्वरा बनाया गया है तो उसका एक मुख्य कारण यह था कि वहां के इन्जीनियरों ने एक नेशनलिस्ट ब्यू से काम किया। वहां पर किसी एक ने काम नहीं किया, सब ने मिलकर काम किया । तो मैं आज इस बात को कह रहा हूं कि मेरे करने से यह नहीं होगा । सब को मिलकर काम करना है । हमारा प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब कि हमारा ह्यमन तरीके पर जितना एप्रोच हो सकता है, उतना हो । मुझे अफसोस है कि आसमान से अगर बरसात न हो तो मैं क्या करूं । मान्यवर आपके इर्रीगेशन के डैम्स भी हैं, आपके तालाब भी हैं, आपकी चैनल्स भी हैं पर अगर बरसात ही न हुई तो आपका इर्रीगेशन सिस्टम ही क्या करेगा ? तो मैं कहूंगा कि कुछ यज्ञ करें । मैं भाग्यवादी नहीं हूं, मगर मैं मानता हूं कि नेचर के ऊपर कंट्रोल करते करते मनुष्य को बहुत समय लगेगा इसलिये तब तक हमें भाग्यवादी ही बनना पड़ेगा। इस समय बहुत बिकट समस्या हमारे सामने है और पानी नहीं बरसा तो हमें कुछ कठिन उपाय करने पड़ेंगे । बाढ़ पर तो हम कोशिश कर सके है नियंत्रण करने की, लेकिन अगर पानी ही न बरसे तो हम लाचार हो जाते है ।

अब क्या उपाय करने पड़ेंगे अगर पानी नहीं बरसा, यह मैं अकेला नहीं कह सकता, इसके लिए सारी गवर्नमेंट सोचेगी । लेकिन अगर पानी बरस जाता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है । अभी तक मुझे यह आशा थी कि बड़े बड़े काश्तकार अपने आश्रितों को खाने के लिए देंगे, मगर इस आकाश को देख कर उन्होंने अगर पिछले साल वाली नीति को अपनाया तो हमें सख्त कदम उठाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा । इसलिये आप सब अपने अपने क्षेत्रों में कहें कि होर्डर्स होर्डिग न करें और एक दूसरे की मदद करें । गवर्नमेंट आफ इंडिया से हम मांगते हैं और मांगेंगे ।

माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि हमने १५ सौ टन चावल केन्द्र को दिया । मैं बताऊं कि दिल्ली में आजकल चावल का बड़ा अभाव है। उन्होंने हमसे कहा तो हमने कहा कि हमको ३ हजार टन गेहूं तो दे दो हम आपको चावल दे दें । क्या इस पर वह विचार करेंगे जो माननीय कृष्णानन्द राय ने फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही ? वास्तव में वह नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य बफर स्टाक कैसे बनाया जाय इस बारे में अपने अपने सुझाव दें, मैं आपका इसके लिये आभारी होऊंगा । हमारे प्रदेश में इस बात को देखते हुए बड़ी चिन्ता है, मैं भी बड़ा दुखी हूं, और आपकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं । मगर दुखी होने से काम नहीं चलेगा

बल्कि मिल जुल कर काम करना चाहिये । मैं सब को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और आशा करता हूं कि भगवान हमारी पुकार सुन ले जिससे १३ या १४ तक पानी जरूर बरस जाय ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, किरासिन तेल के बारे में यह देखा जा रहा है कि हर जिले के हेड क्वार्टर पर स्टाकिस्ट हैं, नतीजा यह होता है कि जिले के कोने कोने में जब तेल की मांग होती है तो वहां तक पहुंचाने में उसकी कीमत दुगुनी और तिगुनी तक हो जाती है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये मंत्री जी क्या उपाय कर रहे है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर माननीय सदस्य लिख कर दें और सजेस्ट करें तो वहां दो स्टाकिस्टस करने के प्रश्न पर हम कंसिडर कर सकते हैं ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

कहा जाता है कि किरासिन आयल के जो होल सेलर हैं उनको जो तेल मिलता है, उस पर जिला पूर्ति अधिकारी का कोई अधिकार नहीं है केवल वितरण पर अधिकार है । क्या यह बात सही है ? यदि ऐसा नहीं है, तो होल सेलर चाहे किसी डीलर को जितना चाहे दे देते है और उसका नतीजा यह होता है कि वह ब्लैक मारकेट में चला जाता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर उनका नियंत्रण है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वैसे इसके अन्दर हमें पावर तो है नियन्त्रण करने का, मगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां उसकी कोई आवश्यकता नही समझते हैं, वहां कोई नियन्त्रण करने की आवश्यकता नहीं है । जहां तेल काफी उपलब्ध है वहां नियन्त्रण नहीं किया जाता है ।

श्री रामअधार कनौजिया--

बहराइच जिले में इस तरह की शिकायत है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिले जिले में शिकायत है, वहां के लिये लिख कर भेज देंगे तो मैं कर दूंगा ।

श्री रामआधार कनौजिया--

सिविल सप्लाई की मीटिंग में एस०पी० महोदय ने कहा कि सीमेंट किसी को कहीं रास्ते में चलते हुए मिलता है तो पजेशन आफ सीमेंट कोई क्राइम नहीं है, इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते है, जब कि मेरा खयाल है कि यह क्राइम है । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि अगर कानून में इस तरह की कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जाय ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर किसी के पास रास्ते में अन अथाराइज्ड सीमेंट मिलता है तो पजेशन आफ सीमेंट क्राइम में शामिल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, सोमवार, १६ अगस्त, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, १६ अगस्त, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक ११ अगस्त, १९६५

प्रदेश सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६५ पर)

स्टेट रूरल मैनपावर यूटीलाइजेशन कमेटी की बैठक दिनांक ४ जून, १६६५ में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिये गये :—

१—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के लिये कम से कम ५० करोड़ रुपये का प्राविधान किया जाय ।

२—पूर्व स्वीकृत १६६ विकास खंडों के अतिरिक्त १०० से २५० अन्य विकास खण्डों के चयन के संबंध में शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय ।

३—चौथी योजना में ५० करोड़ रुपये के कार्यों को करने के लिये रूरल इंजीनियरिंग सर्विस की स्थापना शीघ्र की जाय । साथ ही राज्य के सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग में इतना स्टाफ रखें जो उक्त योजना के प्रारम्भ से ही ५ करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष कार्य करने में समर्थ हो ।

४—चूंकि जिला परिषद् भी इस योजना में कार्य करने की इच्छुक हैं और उनके पास प्राविधिक स्टाफ की कमी है अतः उन्हें उक्त कमी को दूर करने के लिये ५ प्रतिशत अधिष्ठान व्यय दिया जाय ।

५—नई योजनाओं की स्वीकृति एवं उनके वास्तविक कार्यान्वयन में लगने वाले समय को कम करने के लिये यह होना चाहिये कि किसी कार्य के स्वीकृत होने से पहले उस के लिये स्टाफ आदि का प्रबन्ध कर दिया जाय ।

६—इस योजना के कार्यों में शीघ्रता लाने के लिये २३ जिलों की जिला परिषदों के अध्यक्षों तथा अभियन्ताओं की शीघ्र बैठक बुलाई जाय तथा ऐसे तरीके निकाले जाय जिससे इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शीघ्रता हो सके ।

७—१ करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग इस योजना के लिये इस वर्ष के लिये प्रस्तुत की जाय ।

८—चूंकि इस योजना में विभिन्न विभागों को दिया जाने वाला अधिष्ठान पर व्यय कम है अतः इन्हें रोड रोलर्स आदि खरीदने के लिये और धन देने का प्राविधान किया जाय । जो भी प्रतिशत सहयोग सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जाय वही जिला परिषदों को मिलना चाहिये ।

९—इस कार्य के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु एक विभाग खुलना चाहिये ।

१०—भारत सरकार से निवेदन करना चाहिये कि वे ५ प्रतिशत से ज्यादा अधिष्ठान व्यय इस योजना में देने की स्वीकृति दें ।

११—राज्य का सिंचाई विभाग आर० एम० पी० योजना में बनी सड़कों आदि के रख-रखाव के लिये अधिक धन दे ।

१२—आयन्दा से ऐसी नालियां बनाई जायं जिनको कृषक गरीबी के कारण नहीं बना सकते ।

१३—सामुदायिक तालाबों को गहरा करने को सर्वोच्च महत्ता दी जाय जब अतिरिक्त धन स्वीकृत किया जाय ।

१४—इस योजना में ऐसे ग्रामों को ऊंचा करने में वरीयता दी जानी चाहिये जहां भूमि अधिग्रहण न करनी पड़े ।

१५—अधिकारियों की एक टीम पच्छिमी बंगाल में इसलिये भेजी जाय कि वे वहां ग्रामीण जन शक्ति योजना में हो रहे कार्य का निरीक्षण करें कि वहां कैसे कार्य हो रहे हैं ।

१६—प्राविधिक स्टाफ की कमी को दूर करने के लिये ग्राम सेवकों, सहायक विकास अधिकारियों, पंचायत सचिवों को वर्क आदि करने का प्रशिक्षण दिया जाय ।

१७—प्रतापगढ़ जिले में इस योजना का कार्य बड़ा धीमा रहा है, अतः उस क्षेत्र का निरीक्षण संयुक्त रूप से अधीक्षण अभियन्ता, अल्प सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये था तथा वहीं पर समस्याओं को दूर करें ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०० पर)

सन् १९६४ तथा १९६५ में विभिन्न इन्जीनियरिंग व्यवसायों में उत्तीर्ण होकर निकले हुए कुल प्रशिक्षणार्थियों तथा हरिजन प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा ।

क्रम-सं०	व्यवसाय	अप्रैल, १९६४ में उत्तीर्ण होकर निकले हुये प्रशिक्षणार्थियों की सं०	हरिजन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जो स्तम्भ (३) में दी गई संख्या में शामिल है	जनवरी, १९६५ में पास होकर निकले हुये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	हरिजन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जो स्तम्भ ५ में दी गई संख्या में शामिल है
१	२	३	४	५	६
१	ब्लैक स्मिथ ..	३८	७	५७	१४
२	कारपेंटर ..	२२	९	३३	५
३	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	३०	२	३३	—
४	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिक)	३८	१	३१	३
५	इलेक्ट्रीशियन ..	३९	१	४५	२
६	इलेक्ट्रोप्लेटिंग ..	१४	—	१६	१
७	ग्राइंडर ..	१७	१	१५	१
८	वायरमैन ..	३१	२	३२	३
९	मशीनिस्ट ..	३८	१	३१	१
१०	मैकेनिक रेफ्रीजिरेटर	१८	—	१४	—
११	मेकेनिक रेडियो	१५	—	—	—
१२	मकनिक इन्स्ट्रूमेंट ..	३७	—	१७	—
१३	मोल्डर ..	३३	३	४६	७
१४	पेंटर एंड डिकोरेटर ..	१५	३	१४	२
१५	पैटर्न मेकर ..	१३	२	१३	१
१६	प्लम्बर ..	८	१	१५	१
१७	फिटर ..	१३७	९	१५७	१४
१८	शीट मेटल ..	१७	—	२२	१
१९	सर्वेयर ..	१७	२	१३	—
२०	टर्नर ..	५५	—	४५	२
२१	वेल्डर ..	३२	१	४७	३
२२	अपहोल्सट्री ..	१३	—	१५	२
२३	मैकैनिक मीटर ..	१०	—	१९	१
	योग ..	६७७	४५	७३०	६४

उन प्रशिक्षणार्थियों का ब्योरा जो अप्रेंटिस इनप्लान्ट ट्रेनिंग में भेजे गये।

क्रम-सं०	व्यवसाय	वे प्रशिक्षणार्थी जो अप्रैल, १९६४ में उत्तीर्ण हुये थे				वे प्रशिक्षणार्थी जो जनवरी १९६५ में उत्तीर्ण हुये थे			
		अप्रेंटिस	इनप्लान्ट ट्रेनिंग	योग	हरिजनों की संख्या जो स्तम्भ ५ में शामिल है	अप्रेंटिसशिप	इनप्लान्ट ट्रेनिंग	योग	हरिजनों की संख्या जो स्तम्भ ९ में शामिल है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	—ब्लैक स्मिथ ..	१३	४	१७	१	१९	—	१९	४
२	—कारपेन्टर ..	१४	१	१५	५	२४	—	२४	४
३	—ड्राफ्ट्समैन (सिविल) ..	—	३	३	—	—	—	—	—
४	—ड्राफ्ट्स मैन (मैकेनिक)	१	५	६	—	४	—	४	१
५	—इलेक्ट्रिशियन ..	१०	१५	२५	१	३५	—	३५	—
६	—इलेक्ट्रिप्लेटर ..	—	२	२	—	—	—	—	—
७	—ग्राइंडर ..	—	४	४	—	२	—	२	—
८	—वायरमैन ..	७	२	९	—	१३	—	१३	—
९	—मशीनिस्ट ..	—	४	४	—	१०	—	१०	—
१०	—मैकेनिक रेफ्रीजेरेटर ..	—	४	४	—	१	—	९	—
११	—मैकेनिक रेडियो ..	—	२	२	—	—	—	—	—
१२	—मैकेनिक इन्स्ट्रूमेंट् ..	७	३	१०	—	४	—	४	—
१३	—मैकेनिक मोटर ..	९	१	१०	—	१२	—	१२	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१४—मोल्डर	..	१५	१	१६	—	२५	—	२५		
१५—पेंटर एण्ड डिकोरेटर	..	—	—	—	—	—	—	—	—	
१६—पैटर्न मेकर	..	१०	१	११	२	६	—	६	—	
१७—प्लम्बर	..	—	२	२	—	४	—	४	—	
१८—फिटर	..	४२	४६	८८	७	१३५	—	१३५	४	
१९—शीट मेटल	..	१३	२	१५	—	२०	—	२०	१	
२०—सर्वेयर	..	—	१	१	—	—	—	—	—	
२१—टर्नर	..	१९	६	२५	३५	..	—	३५	—	
२२—वेल्डर	..	११	३	१४	—	१५	—	१५	—	
२३—अपहोल्सट्री	..	—	—	—	—	—	—	—	—	
योग	..	१७१	११२	२८३	१६	३६४	—	३६४	१८	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(अप्रेन्टिस इन-प्लान्ट ट्रेनिंग में भेजने के लिये बचे हुये प्रशिक्षणार्थियों का ब्योरा।)

अप्रेन्टिसशिप

क्रम सं०	व्यवसाय	इनप्लान्ट्स ट्रेनिंग में भेजने के लिये बचे हुये उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जो सन् १९६४ व १९६५ में उत्तीर्ण हुये थे।	हरिजनों की संख्या जो स्तंभ ३ में शामिल है	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
१—ब्लैक स्मिथ ..	..	५९	१६	—
२—कारपेन्टर ..	..	१६	५	..
३—ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	..	६०	२	—
४—ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिक)	..	५९	३	..
५—इलेक्ट्रीशियन	..	२४	२	—
६—इलेक्ट्रोप्लेटर ..	..	२८	१	..
७—ग्राइन्डर ..	..	२६	२	—
८—वायरमैन ..	..	४१	५	—
९—मशीनिस्ट ..	..	५५	२	—
१०—मैकेनिक रेफ्रीजिरेटर	..	२७	—	—
११—मैकेनिक रेडियो ..	..	१३	—	—
१२—मैकेनिक इस्ट्रूमेंट	..	४०	—	—
१३—मैकेनिक मोटर ..	..	७	—	..
१४—मोल्डर ..	..	३८	७	..
१५—पेन्टर एंड डिकोरेटर	..	२९	५	—
१६—पैटर्न मेकर ..	..	९	१	—
१७—प्लम्बर ..	..	१७	२	—
१८—फिटर ..	..	७१	१२	—
१९—शीट मेटल ..	..	४	—	—
२०—सर्वेयर ..	..	२९	२	—
२१—टर्नर ..	..	४०	२	—
२२—वेल्डर ..	..	५०	४	—
२३—अपहोल्सट्री ..	..	१८	२	—
योग ..		७६०	७५	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०३ एल० ए०—१९६५—८६२।